BIHAR PSC
MAINS COMPULSORY
GENERAL HINDI
GENERAL STUDIES (Paper I & II)
DESCRIPTIVE
SOLVED PAPER

2025

यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स

अनिवार्य प्रश्न पत्र

69वीं
68वीं
67वीं
66वीं
65वीं
64वीं
63वीं
60-62वीं
56-59वीं
53-55वीं
48-52वीं
47वीं
46वीं
45वीं
44वीं
43वीं
42वीं
41वीं
40वीं
39वीं

BPSC

बिहार लोक सेवा आयोग

मुख्य परीक्षा

सामान्य हिन्दी

सामान्य अध्ययन

(PAPER : I & II)

वर्षवार विवरणात्मक

सॉल्व्ड पेपर्स

नवीनतम पाठ्यक्रम एवं नवीन पद्धति पर आधारित

मुख्य विशेषताएं

- वर्तमान परिपेक्ष्य में शब्द सीमा के अनुरूप उत्तर
- सरल एवं सहज भाषा में उत्तर
- प्रमाणिक, तार्किक, बिन्दुवार एवं संक्षिप्त उत्तर
- प्रश्नों की आवश्यकता के अनुरूप चित्रात्मक प्रस्तुति

पाठ्यक्रम (परीक्षा पद्धति)			
विषय कोड	विषय	पूर्णांक	परीक्षा अवधि
01	सामान्य हिन्दी	100	3 घण्टे
02	सामान्य अध्ययन (पत्र–I)	300	3 घण्टे
03	सामान्य अध्ययन (पत्र–II)	300	3 घण्टे

नोट : सामान्य हिन्दी में 30 प्रतिशत लाघ्यांक (अंक) प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेघा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।

विषय-सूची

प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 3-179

- बिहार लोक सेवा आयोग, 39वीं मुख्य परीक्षा, 1993, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 3-10
- बिहार लोक सेवा आयोग, 40वीं मुख्य परीक्षा, 1995, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 11-15
- बिहार लोक सेवा आयोग, 41वीं मुख्य परीक्षा, 1997, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 16-22
- बिहार लोक सेवा आयोग, 42वीं मुख्य परीक्षा, 1997, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 23-29
- बिहार लोक सेवा आयोग, 43वीं मुख्य परीक्षा, 2001, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 30-34
- बिहार लोक सेवा आयोग, 44वीं मुख्य परीक्षा, 2002, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 35-40
- बिहार लोक सेवा आयोग, 45वीं मुख्य परीक्षा, 2002, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 41-48
- बिहार लोक सेवा आयोग, 45वीं मुख्य परीक्षा, 2005, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 49-55
- बिहार लोक सेवा आयोग, 47वीं मुख्य परीक्षा, 2007, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 56-62
- बिहार लोक सेवा आयोग, 48-52वीं मुख्य परीक्षा, 2009, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 63-70
- बिहार लोक सेवा आयोग, 53-55वीं मुख्य परीक्षा, 2012, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 71-75
- बिहार लोक सेवा आयोग, 56-59वीं मुख्य परीक्षा, 2015, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 76-85
- बिहार लोक सेवा आयोग, 60-62वीं मुख्य परीक्षा, 2016, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 86-95
- बिहार लोक सेवा आयोग, 63वीं मुख्य परीक्षा, 2017, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 96-105
- बिहार लोक सेवा आयोग, 64वीं मुख्य परीक्षा, 2018, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 106-121
- बिहार लोक सेवा आयोग, 65वीं मुख्य परीक्षा, 2019, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 122-132
- बिहार लोक सेवा आयोग, 66वीं मुख्य परीक्षा, 2020, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 133-141
- बिहार लोक सेवा आयोग, 67वीं मुख्य परीक्षा, 2021, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 142-154
- बिहार लोक सेवा आयोग, 68वीं मुख्य परीक्षा, 2022, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 155-166
- बिहार लोक सेवा आयोग, 69वीं मुख्य परीक्षा, 2023, प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन) 167-179

प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 180-418

- बिहार लोक सेवा आयोग, 39वीं मुख्य परीक्षा, 1993, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 180-187
- बिहार लोक सेवा आयोग, 40वीं मुख्य परीक्षा, 1995, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 188-195
- बिहार लोक सेवा आयोग, 41वीं मुख्य परीक्षा, 1997, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 196-205
- बिहार लोक सेवा आयोग, 42वीं मुख्य परीक्षा, 1997, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 206-215
- बिहार लोक सेवा आयोग, 43वीं मुख्य परीक्षा, 2001, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 216-226
- बिहार लोक सेवा आयोग, 44वीं मुख्य परीक्षा, 2002, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 227-235
- बिहार लोक सेवा आयोग, 45वीं मुख्य परीक्षा, 2002, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 236-244
- बिहार लोक सेवा आयोग, 46वीं मुख्य परीक्षा, 2005, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 245-253
- बिहार लोक सेवा आयोग, 47वीं मुख्य परीक्षा, 2007, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 254-262
- बिहार लोक सेवा आयोग, 48-52वीं मुख्य परीक्षा, 2009, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 263-269
- बिहार लोक सेवा आयोग, 53-55वीं मुख्य परीक्षा, 2012, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 270-280
- बिहार लोक सेवा आयोग, 56-59वीं मुख्य परीक्षा, 2015, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 281-293
- बिहार लोक सेवा आयोग, 60-62वीं मुख्य परीक्षा, 2016, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 294-308
- बिहार लोक सेवा आयोग, 63वीं मुख्य परीक्षा, 2017, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 309-323
- बिहार लोक सेवा आयोग, 64वीं मुख्य परीक्षा, 2018, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 324-339
- बिहार लोक सेवा आयोग, 65वीं मुख्य परीक्षा, 2019, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 340-351
- बिहार लोक सेवा आयोग, 66वीं मुख्य परीक्षा, 2020, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 352-365
- बिहार लोक सेवा आयोग, 67वीं मुख्य परीक्षा, 2021, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 366-379
- बिहार लोक सेवा आयोग, 68वीं मुख्य परीक्षा, 2022, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 380-400
- बिहार लोक सेवा आयोग, 69वीं मुख्य परीक्षा, 2023, प्रश्न पत्र-द्वितीय (सामान्य अध्ययन) 401-418

सामान्य हिन्दी (निबन्ध) 419-528

- बिहार लोक सेवा आयोग, 53-55वीं मुख्य परीक्षा, 2012, सामान्य हिन्दी 419-428
- बिहार लोक सेवा आयोग, 56-59वीं मुख्य परीक्षा, 2015, सामान्य हिन्दी 429-440
- बिहार लोक सेवा आयोग, 60-62वीं मुख्य परीक्षा, 2016, सामान्य हिन्दी 441-449
- बिहार लोक सेवा आयोग, 63वीं मुख्य परीक्षा, 2017, सामान्य हिन्दी 450-459
- बिहार लोक सेवा आयोग, 64वीं मुख्य परीक्षा, 2018, सामान्य हिन्दी 460-467
- बिहार लोक सेवा आयोग, 65वीं मुख्य परीक्षा, 2019, सामान्य हिन्दी 468-476
- बिहार लोक सेवा आयोग, 66वीं मुख्य परीक्षा, 2020, सामान्य हिन्दी 477-486
- बिहार लोक सेवा आयोग, 67वीं मुख्य परीक्षा, 2021, सामान्य हिन्दी 487-496
- बिहार लोक सेवा आयोग, 68वीं मुख्य परीक्षा, 2022, सामान्य हिन्दी 497-505
- बिहार लोक सेवा आयोग, 69वीं मुख्य परीक्षा, 2023, सामान्य हिन्दी 506-514
- बिहार लोक सेवा आयोग, 69वीं मुख्य परीक्षा, 2023, निबन्ध 515-528

बिहार लोक सेवा आयोग
39वीं मुख्य परीक्षा, 1993
प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन)

प्रश्न-1. बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

उत्तर- किसी राष्ट्र या प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास हेतु कौशल युक्त शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। औपनिवेशिक शासन से पूर्व बिहार की शिक्षा व्यवस्था परम्परागत पद्धति पर आधारित थी। ब्रिटिश शासनकाल में शिक्षा को साहित्य की जगह व्यावसायिक एवं जीविकोपार्जन पर आधारित प्रशिक्षण के साथ देने पर बल दिया गया।

भारत में आधुनिक शिक्षा की विचारधारा मुख्यतः ब्रिटेन से आयी। बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास में पश्चिमी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग प्रशिक्षण आधारित कौशल प्रदान करना, शिक्षा का उद्देश्य साहित्य से हटकर विज्ञान एवं तकनीक आधारित बनाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना सुनिश्चित किया गया।

वुड डिस्पैच नीति (1854) के अनुसार सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा जो ज्ञान-विज्ञान पर आधारित थी का प्रसार करना था। इसमें यह भी कहा गया कि व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया जाये। बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत 1863 में पटना कालेज की स्थापना के साथ हुई।

बिहार में कृषि में पाश्चात्य शिक्षा एवं तकनीक से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हरित क्रांति का प्रभाव बिहार सहित सम्पूर्ण देश पर पड़ा है। प्रारंभ में बिहार में कृषि कार्य परम्परागत माध्यमों एवं साधनों से होता था परन्तु पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के प्रसार-प्रचार से आधुनिक उन्नत कृषि तकनीक (मशीनों का प्रयोग) तथा उन्नत कृषि पद्धति, उन्नत बीज, उर्वरक, कुशल फसल पैटर्न व्यवस्था को अपनाकर कार्य किया जा रहा है। प्रति एकड़ उत्पादन वृद्धि के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग, कृषि कार्य में मशीनों का उपयोग करने से उत्पादन बढ़ा है।

रासायनिक उर्वरकों की जगह अब जैविक कृषि पर बल दिया जा रहा है। बिहार की कृषि उन्नत एवं राज्य आर्थिक रूप से सशक्त होता जा रहा है। वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल खाद्यान उत्पादन 16379.88 हजार टन था। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की 88.7% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जो पूरी तरह से कृषि एवं इसके सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है। बिहार में पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र में आय एवं रोजगार के अवसरों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, महत्वपूर्ण आय के साधन हैं। उच्च दुग्ध उत्पाद गाय एवं भैंस पालन को बढ़ावा दिया गया है। दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन (कॉम्फेड द्वारा सुधा ब्रांड) किया गया है।

बिहार में औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण स्रोत झारखण्ड के अलग होने से कम हो गये। राज्य में कृषि आधारित उद्यमों का विकास हुआ है। खनिज आधारित उद्यम कम हैं। फिर भी पश्चिमी एवं आधुनिक तकनीकी शिक्षा के विकास से बरौनी में तेलशोधक कारखाना, उर्वरक कारखाना, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, औषधि निर्माण, वनोत्पाद आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग के विकास से राज्य की आर्थिक प्रगति बढ़ रही है।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी वर्ष 2010 के बाद से बिहार निरन्तर उच्च संवृद्धि दर से विकास कर रहा है। जिसका मुख्य कारण तकनीकी शिक्षा के प्रसार से है वर्तमान में बिहार पुनः शिक्षा का केन्द्र (मुख्यतः राजधानी पटना) बनता जा रहा है। वर्तमान विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान आधारित शिक्षा लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है।

निष्कर्षतः अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से बिहार की आर्थिक प्रगति के द्वार खुले। तत्कालीन पाठशाला, मकतब, मदरसे पर आधारित शिक्षा की जगह विज्ञान एवं कौशल पर आधारित स्कूली शिक्षा ने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की कड़ी मानकर बिहार सरकार ने भी माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी बहुउद्देशीय स्कूल स्थापित किया।

प्रश्न-2. बिरसा आन्दोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आन्दोलनों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर– भारत के विभिन्न भागों में रह रहे आदिवासी समुदायों ने ब्रिटिश उत्पीड़न, शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया जिसमें बिरसा आन्दोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। बिरसा मुंडा उन आदिवासी सुधारकों में से एक थे जिनके कार्यो ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बिरसा मुंडा एक आदिवासी सुधारक, धार्मिक नेता और मुंडा जनजाति से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे। 19वीं शताब्दी में तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने एक बड़ा धार्मिक एवं सुधारात्मक आन्दोलन किया। बिरसा का जन्म 1875 ई. में उलिहातु गांव (झारखण्ड) में हुआ था। इस समय ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश कर परम्परागत आदिवासी जीवन शैली में हस्तक्षेप करना शुरू किया। भ्रष्टाचार एवं अत्याचार के हथियारों से लैस औपनिवेशिक शासन ने जब आदिवासी इलाकों में घुसपैठ की तो घोर असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। आमतौर पर आदिवासी समाज, शेष समाज से अलग-थलग रहते थे परन्तु ब्रिटिश राज ने उनको पूरी तरह से औपनिवेशिक घेरे के भीतर खींच लिया। जिसका परिणाम 1899-1900 के मध्य बिरसा आंदोलन हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया।

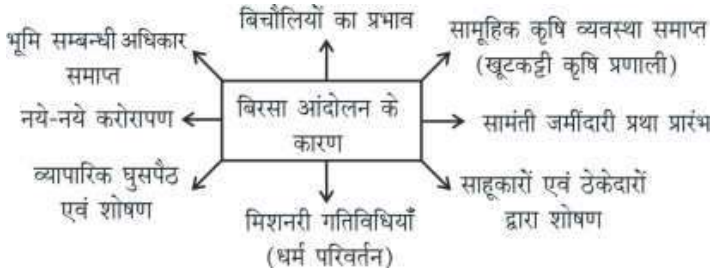

इस प्रकार अनेक प्रकार के शोषण एवं अत्याचार से दुःखी मुंडा समुदाय ने बिरसा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। वर्ष 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उसने कहा कि ईश्वर ने स्वयं विद्रोह करने को कहा है और ठाकुरजी (भगवान) स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे। शीघ्र ही बिरसा की बातों का असर मुंडा समुदाय पर दिखने लगा। बिरसा नेता बन गया और धार्मिक आन्दोलन शीघ्र ही खेतिहर मजूदरों का राजनीतिक आन्दोलन बन गया। 1899 ई में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडाजाति के शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी। मुंडा लोगों ने ससस्त्र संघर्ष किया। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के दमन हेतु सेना का सहारा लिया। शीघ्र ही विद्रोह को कठोरतापूर्वक समाप्त कर दिया गया। बिरसा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी।

बिहार में ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषणकारी शासन के विरुद्ध अनेक आदिवासी विद्रोह हुए जिनमें प्रमुख रूप से पहाड़ियाँ विद्रोह (1778), चुआर विद्रोह, नोनिया विद्रोह, संन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह (1855-56) एवं मुंडा विद्रोह प्रमुख हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों (दिकुओं) एवं औपनिवेशिक राज की बढ़ती घुसपैठ ने जनजातीय सामाजिक व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। उनकी जमीन छीन ली गयी। वे खेतिहर से मजदूर बन गये। जंगल संबंधी अधिकार समाप्त कर दिये गये। जमींदार एवं ब्रिटिश अधिकारी उन पर अत्याचार, शोषण, जबरन धन उगाही करते थे। जबरन बेगार करवाना, साहूकारों के चंगुल में फंस जाना आदिवासी असंतोष बढ़ावा दिया।

इस प्रकार विभिन्न कष्टों को सहते हुए आदिवासी समुदाय ने समय-समय पर संघर्ष किया। आदिवासी इस हद तक संगठित थे कि अनेक बार आदिवासी क्षेत्रों में एक ही समय पर बाहरी लोगों के खिलाफ हिंसक संघर्ष भड़का। इन आदिवासी विद्रोह का प्रभाव भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन पर स्पष्ट दिखाई देता है। समय-समय पर इनके द्वारा किया गया इनकी एकता एवं समर्थन का प्रतीक है। बिहार में हुए जनजातीय विद्रोह यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर सम्पन्न हुए परन्तु यह विद्रोह धर्म एवं जाति के आधार पर संगठित, ससस्त्र विद्रोह कर ब्रिटिश साम्राज्य से सीधे टकराना, परम्परागत हथियारों से संघर्ष करना था। जिसका परिणाम रहा कि ब्रिटिश सेना इन्हें आसानी से दबा दीं फिर भी इन विद्रोहों का ऐतिहासिक महत्व है।

प्रश्न-3. बिहार के किसान आन्दोलनों का सामान्यतः वर्णन करते हुए चम्पारण आन्दोलन में विशेषतः गाँधीजी के हस्तक्षेप की विवेचना कीजिए।

उत्तर- बिहार में किसान आंदोलन की एक समृद्ध परम्परा रही है। पूरे देश की तरह बिहार में भी किसान जमींदारों एवं ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शोषित थे। बिहार में जहाँ कहीं भी नील की खेती होती थी, वहाँ अन्याय एवं शोषण का सबसे विकृत रूप दिखाई पड़ता था। 19वीं सदी का बिहार अनेक किसान आन्दोलनों एवं संघर्षों का साक्षी रहा है।

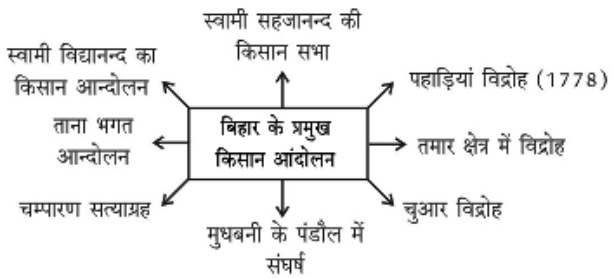

चम्पारण किसान सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम किसान आन्दोलन था। चम्पारण में निलहों के द्वारा किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार किये जाते थे। चम्पारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के आरम्भ में गोरे बागान मालिकों ने

किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था, इसे 'तिनकठिया पद्धति' कहते थे।

- 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में जर्मनी के रासायनिक दंगों ने भारतीय नील को बाजार से बाहर दिया। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा और किसानों को अनुबंध से मुक्त करने हेतु लगान एवं गैर कानूनी अब्बाबों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसान अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से मुक्ति पाने हेतु उद्वेलित थे।
- वर्ष 1917 में चम्पारण के राजकुमार शुक्ल, ने गाँधी जी को चम्पारण आने के लिए मनाया। गाँधी जी 10 अप्रैल, 1917 को पटना और 15 अप्रैल को मोतिहारी (चम्पारण) पहुँचे। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वहाँ से तुरंत चले जाने का आदेश दिया। गाँधी जी ने इस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया। अंग्रेजी शासन ने अंततः गाँधीजी को चम्पारण के गाँवों में जाने की छूट देने का निर्देश दिया।

गाँधी जी अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर, राजेन्द्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जे.बी. कृपलानी, तथा बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों के साथ सवेरे गाँव-गाँव में निकल जाते और दिन भर घूम-घूमकर बयान दर्ज करते। इसी बीच सरकार द्वारा सारे मामले की जाँच हेतु एक आयोग को भी बनाया गया। गाँधी जी द्वारा काफी सबूत प्रस्तुत किये गये। आयोग को यह समझाने में कि तीन कठिया पद्धति खत्म होनी चाहिए, उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई। अंततः सरकार ने तीन कठिया पद्धति को समाप्त घोषित किया और बागान मालिकों द्वारा 25 प्रतिशत अवैध वसूली को वापस कराने में गाँधी जी सफल हुए। इस आन्दोलन में गाँधी जी को व्यापक जनसमर्थन मिला। यह सत्य है कि आन्दोलन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और एक सीमित दायरे में ही कैद रहा। यह भूमि संबंधी गंभीर मुद्दों को छू तक न सका। फिर भी इस आंदोलन की सफलता ने जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ प्रदान किया वहीं बिहार के किसानों को अंग्रेजों/जमींदारों से लड़ने का साहस प्रदान किया।

चम्पारण सत्याग्रह के पश्चात बिहार में हुए अन्य कृषक आन्दोलनों में महात्मा गाँधी से प्रभावित होकर छपरा जिला के विभूषण प्रसाद ने दरभंगा जिला के दरभंगा राज एवं उनके गुमाइश्तों की ज्यादतियों के विरुद्ध जबर्दस्त किसान आंदोलन की शुरुआत की।

बिहार में स्वामी सहजानन्द सरस्वती द्वारा किसानों के हितों को लेकर एक लम्बा संघर्ष किया गया। इनके द्वारा निर्मित किसान सभा का उद्देश्य किसान संघर्ष को प्रोत्साहित करना, उनके दुःख को दूर करना था। 1929 ई. में बिहार प्रदेश किसान सभा की स्थापना तथा 1935 ई. में संयुक्त प्रदेश किसान संघ की स्थापना और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किसानों के हितों को लेकर संघर्षशील आन्दोलन की कड़ी थी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बिहार में चले किसान आन्दोलनों ने संगठित एवं असंगठित किसानों के भीतर सामंतवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी चेतना का विस्तार किया। इन किसानों ने आन्दोलनों में गाँधीवादी आंदोलन की नीति एवं विचारधारा मार्गदर्शक की भूमिका में थी। गाँधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि तिनकठिया पद्धति जो लगभग एक सदी से अस्तित्व में थी, इस तरह समाप्त कर दी गयी और इसके साथ ही प्लांटरों का राज भी समाप्त हो गया।

प्रश्न-4. बिहार की कला एवं चित्रकला पर एक निबन्ध लिखिए।

उत्तर- किसी भी प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ-साथ कला-स्थापत्य, चित्रकला इत्यादि का विकास महत्वपूर्ण तत्वों को इंगित करता है। बिहार की धरती प्राचीन काल से ही कला एवं चित्रकला हेतु प्रसिद्ध रही है। यहाँ की कलाओं को न सिर्फ राजकीय स्तर पर संरक्षण दिया गया, अपितु स्थानीय निवासियों द्वारा भी लोक कलाओं को संरक्षण देकर उसे विकसित किया गया है। बिहार की कलात्मक सम्पदा प्राचीनः बहुआयामी एवं समृद्ध है।

बिहार के इतिहास में कला के स्पष्ट प्रमाण मौर्यकाल से देखने को मिलता है, मौर्यकाल में बिहार ने कला एवं स्थापत्य में समस्त उत्तरी भारत को मार्गदर्शन प्रदान किया। मौर्यकालीन शासकों के कला प्रेमी होने के कारण कला के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला

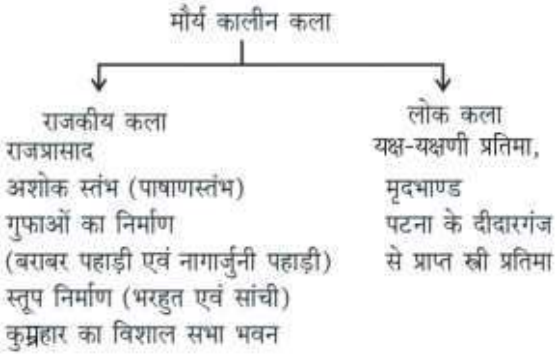

मौर्यकालीन विशाल राजप्रासाद, अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ एवं स्तूप तथा अशोक एवं दशरथ द्वारा निर्मित करवाये गये गुफा मौर्यकालीन राजकीय कला की अनुपम उपलब्धि रही है। लोककला का विकास भी पटना, मथुरा, बेसनगर, काशी, कौशांबी इत्यादि स्थानों से प्राप्त होता है।

मौर्योत्तर काल में भी बिहार में कला एवं चित्रकला का विकास जारी रहा। गुप्तकाल में भी कला काफी विकसित थी। गुप्तकालीन कला के अवशेष पटना, वैशाली, गया, राजगीर, नालंदा तथा भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। इस समय बौद्ध धर्म की तुलना में हिन्दू धर्म का प्रभाव अधिक झलकता है। इस समय अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। नालंदा का विद्या केन्द्र और इससे संबद्ध कुछ अवशेष गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

बिहार में पाल कला के अवशेष प्रचुरता से मिलते हैं। इस काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला की एक नयी शैली का उदय हुआ। पाल कला के प्रमुख कलाकार धीमन एवं बीठपाल थे। पालकालीन कला को मूर्तिकला, मृदभांड, चित्रकला, भित्तिचित्र एवं स्थापत्य कला में अध्ययन की सुविधा हेतु वर्णन किया जा सकता है।

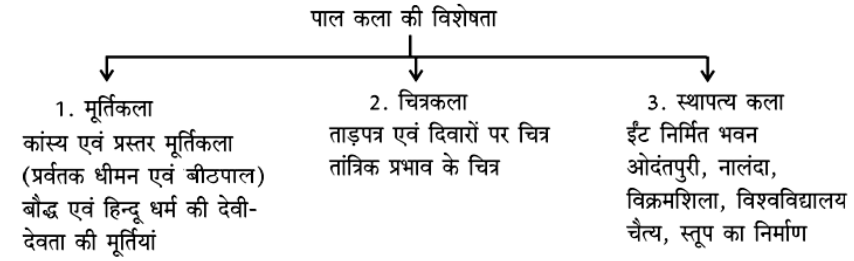

पाल युग में पत्थर की मूर्तियाँ भी कलात्मक सुंदरता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। मूर्तियाँ में अलंकार की प्रधानता है। सभी मूर्तियों अत्यंत सुंदर और कला की परिपक्वता को दर्शाती हैं पाल कला में धार्मिक तत्वों के साथ-साथ सामान्य जनजीवन के रहन-सहन, खानपान, वेशभूषा, मनोरंजन के दृश्य एवं रीतिरिवाज की झलक मिलती है।

बिहार में मध्यकालीन स्थापत्य-कला के विकास में तुर्क, अफगान एवं मुगल शासकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहीम का मकबरा, सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा (अष्टकोणीय आकार) जहांगीर के समय निर्मित शाह दौलत का मकबरा प्रमुख है। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है।

यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से यूरोपीय स्थापत्य की शैली का प्रभाव भी बिहार की कला पर पड़ा। पटना कलक्टरी, पटना कॉलेज, पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली, बाँकीपुर की चर्च गोथिक शैली का प्रतिनिधित्व करती है। राजभवन, मुख्य सचिवालय, उच्च न्यायालय की इमारतों पर पुर्नजागरण काल की शैली का प्रभाव है।

बिहार की कला एवं चित्रकला में पटना कलम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पटना कलम चित्रकला, लघुचित्रों की शैली है। इस शैली के प्रमुख क्षेत्र पटना का लोदीकट्टा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा, आरा एवं दानापुर रहे हैं। विषयों का चुनाव सामान्य दैनिक जीवन से संबद्ध होता है। इस शैली के चित्रों में खेत जोतता किसान, मछली बेचती औरत, कहार, सुनार, साधु-संन्यासी आदि के हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकार सेवकराम एवं हुलास लाल हैं। बिहार में मधुबनी चित्रकला (मिथिला पेंटिंग), कला के एक महत्वपूर्ण पक्ष को प्रदर्शित करती है। मधुबनी चित्रकला तीन प्रकार की होती है।

भित्तिचित्र के अंतर्गत गोसनी घर की सजावट एवं कोहबर घर की सजावट की जाती है। अरिपन के अंतर्गत आँगन अथवा चौखट के सामने जमीन पर कूटे हुए चावल के पानी में रंग मिला कर चित्र बनाए जाते हैं। इस काल में देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों एवं वनस्पतियों के चित्र प्रतीकात्मक रूप में बनाए जाते हैं। बिहार में जादोपटिया चित्रकला, थंका पेंटिंग, मंजूषा चित्रशैली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। थंका चित्रशैली में बौद्ध शैली स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। मंजूषा चित्रशैली का विकास भागलपुर क्षेत्र में हुआ।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि बिहार का क्षेत्र, इतिहास में प्राचीन काल से कला एवं चित्रकला के क्षेत्र में समृद्ध रहा है साथ ही इतिहास की कलाओं से प्रेरणा लेकर वर्तमान काल में भी कला एवं चित्रकला का विकास जारी है। बिहार में सभी धर्मों से जुड़े लोगों द्वारा भी बिहार की कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाई गई है।

प्रश्न-5. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में रवीन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह काँग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी?

उत्तर- रवीन्द्रनाथ टैगोर विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे महान साहित्यकार, समाज सुधारक, अध्यापक, चित्रकार, एवं विचारक थे। वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए थे परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति उनके पास एक समग्र विचारधारा थी जो संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर मानवतावाद एवं प्रेम के धरातल पर स्थित थी। टैगोर के अनुसार भारतवासियों की सुख-समृद्धि ही किसी राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार होना चाहिए।

टैगोर के सामाजिक विचार काफी उत्कृष्ट समानता पर आधारित, मानवता एवं विश्व बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण थे। उनका कहना था कि शक्ति का संकेन्द्रण सरकार के पास न होकर जनता के पास होना चाहिए। सरकार का शोषक चरित्र जनता पर हावी न हो पाये। समाज में संपत्ति के समान वितरण के समर्थक थे। वे भारतीयों की गरीबी से अत्यधिक द्रवित हो जाते थे। वे देशवासियों के स्वावलंबन पर बल देते थे। बंगाल विभाजन से उन्होंने द्रवित होकर स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। इस अवसर के लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत ''आमार सोनार बांग्ला'' लिखा जो आंदोलन का प्रसिद्ध गीत (हथियार) बन गया। इस अवसर पर रक्षाबंधन का उत्सव इन्हीं के द्वारा आह्वान किया गया। वे स्वयं कलकत्ता की गलियों में, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का प्रचार करने निकल पड़े बंग-भंग आंदोलन को उन्होंने पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल के लोगों को प्रेम प्रदर्शित करने की सलाह दी।

टैगोर ने अपनी कविताओं एवं लेखों के माध्यम से राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भूमकिा निभाई। उनके द्वारा रचित 'जन-गण-मन' आन्दोलन के समय राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने वाला एवं देश भक्ति की भावना को बढ़ाने वाला गीत बन गया। उनकी ख्याति वर्ष 1913 ई. में और बढ़ गयी जब उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 'नाइटहुड' की उपाधि प्रदान की।

वे उग्र राष्ट्रवाद के विरोधी थे। विदेशी कपड़ों को जलाये जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा एवं इसे सम्पत्ति एवं संसाधनों की हानि माना। असहयोग आन्दोलन का खुलकर समर्थन नहीं किया। र्ष 1919 ई. में जलियांवाला बाग हत्याकांड की तीव्र आलोचना की। इन्होंने इसके विरोध में अपनी 'नाइटहुड' की उपाधि वापस कर दी और कहा ''वह समय आ गया है कि जब सम्मान के प्रतीक अपमान जैसे लगते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ।'' इस प्रकार टैगोर ने देश को राजीतिक नेतृत्व भी प्रदान किया।

उन्होंने मानवतावाद को राष्ट्रवाद एवं देश भक्ति से ऊपर माना। वे मानते थे कि अंग्रेज शोषक हैं और उनका विरोध कर शोषणकारी सत्ता का अंत करना आवश्यक है। टैगोर की विचारधारा कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यरत आंदोलन से भिन्न थी। गाँधी जी से भी उनके मतभेद कई बार सार्वजनिक रूप से प्रकट हुए। वह विश्व-बंधुत्व, की भावना से ओत-प्रोत मानव मात्र की एकता में अनन्त विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर सम्पूर्णता का अनन्त आदर्श है और मनुष्य उस पूर्णता को प्राप्त करने की शाश्वत प्रक्रिया है। टैगोर के जीवन दर्शन में करुणा का महत्वपूर्ण स्थान है। वह भारतीयों की गरीबी से अत्यधिक द्रवित हो जाते थे।

टैगोर ने वर्ष 1941 ई. में कहा था कि भारत का चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेज जाति को बाध्य करेगा कि वह अपने भारतीय साम्राज्य से हाथ धो ले। लेकिन वे अपने पीछे किस तरह का भारत और कितनी बुरी बदहाली छोड़ जायेंगे? जब उनके सदियों पुराने प्रशासन का स्रोत अंततः सूखेगा तब कितना कूड़ा-करकट और कीचड़ वे अपने पीछे छोड़ जाएंगे।'' इस प्रकार रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपने साहित्य, कविता एवं विचारों से काफी योगदान दिया। उनकी देशभक्ति में राजनीतिक संकीर्णता, जातीय भेदभाव, क्षेत्रीय एवं साम्प्रदायिक भेदभाव तथा उग्र राष्ट्रवाद का कोई स्थान नहीं था। वे सभी संस्कृतियों के मध्य सहयोग एवं समन्वय की कामना रखते थे। वे मानव को उसकी क्षुद्र सीमाओं से निकालकर उन्हें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना से ओतप्रोत करना चाहते थे। उन्होंने मानवाधिकारों की बात कही जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किसी देश, जाति या समुदाय के लिए नितांत आवश्यक है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका मूल उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था जिस आधार पर टैगोर के विचार, कांग्रेस से भिन्न थे।

निष्कर्षतः हम देखते हैं कि टैगोर के सामाजिक विचार आकर्षक, समता पर आधारित, विश्व बंधुत्व तथा मानवतावादी विचारधारा पर प्रतीत होते हैं। वे औपनिवेशिक शासन की समाप्ति हेतु देशवासियों के साथ खड़े थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता हेतु अपना भरपूर सहयोग दिया उनका लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता, शांति, समृद्धि की भावना को मजबूत करना था।

SECTION-II

प्रश्न-6. भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री. एम. एन. वेंकटचलैया द्वारा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हाल ही के फैसले की समीक्षा कीजिए।

उत्तर- बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद एक प्रमुख राजनीतिक ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक मुद्दा है। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित एक भूखंड को लेकर उत्पन्न मामला है। यह विवाद हिन्दू भगवान राम की जन्मभूमि और इसी स्थल पर निर्मित बाबरी मस्जिद की संरचना से संबंधित है। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से इस विवाद की समाप्ति हो गई।

बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद की उत्पत्ति बाबर द्वारा राम जन्मभूमि स्थल पर 1528 में एक मस्जिद के निर्माण से होती है। इस मस्जिद का निर्माण राममंदिर के अवशेषों पर कराया गया था। इसका साक्ष्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी और मस्जिद निर्माण से पूर्व वहां पर मंदिर जैसी संरचना होने के प्रमाण मिले हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि खुदाई में पाया गया ढांचा एक इस्लामिक ढांचा नहीं है।

राम जन्मभूमि विवाद का जन्म 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ था।

- 1885 में महंत रघुबर दास ने मस्जिद के बाहर चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति के लिए मुकदमा दायर किया।

- जनवरी 1950 में भक्त गोपाल दास सिंह विशारद ने जन्म स्थान पर पूजा करने के अपने अधिकार को लेकर मुकदमा दायर किया।
- 1950 के अंत में रामचंद्र परमहंस द्वारा मुकदमा दायर किया गया।
- निर्मोही अखाड़ा ने 1959 में तीसरा मुकदमा दायर किया जिसमें आधिकारिक रिसीवर और परिसर को स्वयं और इसके महंतों को सौंपने की मांग की।
- 1961 में मुस्लिम पक्ष से उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा मुकदमा लाया गया।
- 1980 के दशक में विश्व हिन्दू परिषद के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित 'देवता' की ओर से पांचवां मुकदमा दायर किया गया।
- 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस।
- 7 जनवरी, 1993 को केन्द्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर पूरे विवादित क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया।
- अप्रैल 2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की।
- 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने विवादित भूमि को तीन भागों में विभाजित करने का निर्णय दिया।
- 2 : 1 के बहुमत के साथ दिए गए निर्णय के अनुसार विवादित 2.77 एकड़ भूमि को तीन हिस्सों में विभाजित किया जाना था। एक-तिहाई सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक-तिहाई निर्मोही अखाड़े और शेष राम लला मंदिर निर्माण हेतु हिन्दू महासभा के नेतृत्व में दिया जाना तय हुआ।
- वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी।
- 9 नवंबर, 2019 – अंतिम निर्णय
- समग्र विवादित भूमि (2.77 एकड़) हिन्दुओं को दी जायेगी।
- विवादित 2.77 एकड़ भूमि का कब्जा केन्द्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा।
- मुस्लिमों को वैकल्पिक रूप से विवादित ढांचे के आस-पास केन्द्र सरकार द्वारा अधिगृहित 67 एकड़ भूमि या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन दी जाएगी।
- मंदिर निर्माण के लिए 3 माह के भीतर एक ट्रस्ट गठित किया जाएगा।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा अयोध्या में श्री रामजन्म भूमि पर श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए की गई है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज तथा महासचिव श्री चम्पत राय हैं। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य शामिल हैं।

5 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। यह महान भारतीय संस्कृति व सभ्यता के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय के साथ नए युग की शुरुआत है।

प्रश्न-7. राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए यूरेनियम की स्मगलिंग के मामलों की विवेचना करते हुए उसके दुष्परिणामों पर रोशनी डालिए।

उत्तर- यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जिसे सेंट्रीफ्यूज के उपयोग के माध्यम से परिष्कृत करने के बाद परमाणु संबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरेनियम के स्मगलिंग की घटनाएं देखी जा रही हैं।

यूरेनियम तस्करी की समस्या एक ज्वलंत समस्या के तौर पर महसूस की जा रही है। भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। 1 मई 2000 को मुंबई पुलिस ने 8.3 किग्रा. यूरेनियम जब्त किया, 27 अगस्त, 2001 पश्चिम बंगाल में 200 ग्राम, चेन्नई से 8 किग्रा., 30 मई, 2003 को बांग्लादेशी पुलिस ने यूरेनियम की तस्करी करते हुए 4 लोगों को पकड़ा। हाल ही में पटना से 9 लोगों को यूरेनियम के साथ पकड़ा गया है।

भारतीय पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में यूरेनियम की खदान है। यहाँ से 5 लोगों को यूरेनियम तस्करी के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में यूरेनियम की खदान है। यहाँ से भी तस्करी के मामले देखे जा रहे हैं। बोकारो पुलिस ने तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी की है। ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पाकिस्तान में तैयार यूरेनियम का एक पैकेट बरामद किया गया। ब्रिटेन के एक अखबार 'द सन' की रिपोर्ट में यूरेनियम की तस्करी का खुलासा किया गया है। इस मामले को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की स्पेशल टीम को जांच सौंपी गई है। जनवरी 2020 में अमेरिकी जाँच एजेंसी ने पाकिस्तान के पांच नागरिकों को एटमी तकनीक और स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला अकेला मुस्लिम देश है। अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान के एटम बम का जनक माना जाता है। उन पर यह आरोप भी लगाया गया कि वे ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों को परमाणु तकनीक बेचा था। ऐसे में यूरेनियम जैसी परमाणु तत्व की तस्करी वैश्विक चिंता का विषय है।

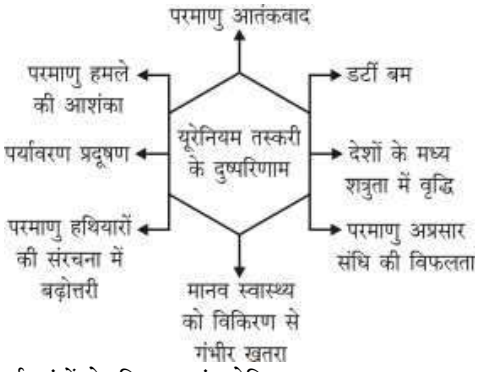

भारत का लक्ष्य अपनी ऊर्जा मांगों के लिए स्वयं यूरेनियम का उत्पादन करना और आयात पर निर्भरता में कमी लाना है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा में भी वृद्धि कर रहा है। इसलिए यूरेनियम जैसे परमाणु ईंधनों का उत्पादन एवं उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से सभी देशों को सतर्क रहकर यूरेनियम जैसे परमाणु तत्वों की तस्करी व दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

प्रश्न-8. इस मत से आप कहाँ तक सहमत हैं कि वर्तमान में फिलीस्तीनी-इजरायली समझौते द्वारा पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित हो सकेगी।

उत्तर : फिलिस्तीन, 1922 में राष्ट्र संघ द्वारा ब्रिटिश प्रशासन के अधीन रखे गये पूर्व ऑटोमन क्षेत्रों में से एक था। फिलिस्तीन को छोड़कर सभी शेष अंततः स्वतंत्र हो गये। 1917 में ''बाल्फोर घोषणा'' द्वारा फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया गया। 1922 से 1947 के बीच मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप से बड़े पैमाने पर यहूदी आप्रवासन हुआ। 1930 के दशक में नाजी उत्पीड़न में लगातार वृद्धि होती चली गयी। 1947 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन समस्या संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया।

इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष

इजरायल व फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का आरम्भ तत्काल में उभरी संघर्ष की कोई घटना नहीं है बल्कि इस संघर्ष की शुरुआत 14वीं सदी के अंत में हो चुकी थी। 1897 ई. में फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों का उत्पीड़न हो रहा था। यहूदियों ने अपने इस उत्पीड़न से बचने के लिए एक आन्दोलन की शुरुआत की जिसे 'जायोती आन्दोलन'' के नाम से जाना जाता है। इस आन्दोलन में यहूदियों को फिलिस्तीन लोगों के विरुद्ध सफलता मिली और उन्होंने उस क्षेत्र में एक इजरायली राज्य की स्थापना की।

- जयोनी आंदोलन में यहूदियों को फिलिस्तीन लोगों के विरुद्ध सफलता मिली और उन्होंने उस क्षेत्र में एक इजरायली राज्य की स्थापना की।
- 1930 में जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना होती है। नाजी शासन द्वारा यहूदियों को प्रताड़ित किया जाता है ऐसी स्थिति में, यहूदी लोग इस प्रताड़ना से बचने के लिए फिलिस्तीन की तरफ भागते हैं। इससे धीरे-धीरे फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार होना शुरू हो जाता है जिसका विरोध अरबवासियों द्वारा किया जाता है।
- इजरायल व फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर 1947 ई. में ब्रिटेन द्वारा यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के समक्ष भेजा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया, इसमें से एक हिस्सा अरबों को और दूसरा हिस्सा यहूदियों को दिया जाय। यहूदी 1948 में इजरायल को स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं।
- इजरायल व फिलिस्तीन के बीच लड़े गये इस प्रथम युद्ध के बाद फिलिस्तीन के लोगों ने ''फिलिस्तीन मुक्ति संगठन'' नाम के एक संगठन का निर्माण किया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन के लोगों का पुनर्वास करना, उनकी सुरक्षा करना था।

वर्ष 1993 में ओस्लो में इजरायल और फिलिस्तीन लिबरेशन एसोसिएशन के तहत एक दूसरे को अधिकारिक तौर पर सहमति दी गयी। ओस्लो एक से फिलिस्तीनी अधिकार की भी स्थापना की। पिछले 26 वर्षों में अब्राहम समझौता पहल अरब-इजरायल शांति समझौता है। 15 सितंबर, 2020 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और संयुक्त 'अरब' अमीरात तथा बहरीन के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की।

पश्चिम एशिया की शांति बहाली में इस प्रकार के समझौतों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। निश्चित रूप से पश्चिम एशिया में यदि शांति लानी है, तो अरब व इजरायल देशों के मध्य आपसी वैमनस्यता को त्यागना होगा ताकि इस क्षेत्र में शांति आ सके।

प्रश्न-9. भारतीय सिनेमा में बढ़ती हुई हिंसा व नग्नता के पक्ष तथा विपक्ष में अपना आलोचनात्मक मत प्रस्तुत कीजिए। इसमें सेंसर बोर्ड की भूमिका की समीक्षा भी कीजिए।

उत्तर - फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, ये समाज में व्याप्त बुराइयों और विसंगतियों को आम जनमानस के समक्ष प्रकट कर इसे समूल खत्म करने को प्रेरित करती हैं। फिल्मों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। लेकिन वर्तमान में भारतीय सिनेमा में हिंसा एवं अश्लीलता की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है इससे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को क्षति पहुँच रही है।

पहले की हिन्दी फिल्में हमारी संस्कृतियों से, संस्कारों से, परिवार व समाज से तथा सभी धर्मों को अन्य धर्मों से जोड़कर रखती थीं। लेकिन आज की प्रसारित फिल्मों में इन सब की भूमिका को खत्म करके पश्चिमी संस्कृति को प्रसारित किया जा रहा है जहाँ नग्नता और अश्लीलता, वासना, हिंसा, नशा, जुआ खेलना, अपनी संस्कृति को नीचा दिखाना और अपने परम्पराओं एवं सभ्यताओं के विरूद्ध जाकर प्रसारित किया जा रहा है। जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

नये दौर में सिनेमा का स्वरूप बदल चुका है। सिनेमा के जरिये समाज को ऐसी चीजें दिखाई जाने लगी हैं जिससे दर्शक वर्ग ही दूर होता जा है। फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन और व्यवसाय का जरिया बन चुकी हैं यह सिनेमा का पॉपकार्न दौर चल रहा है। पॉपकार्न सिनेमा में केवल मनोंरंजन होता है कोई संदेश नहीं। जैसे आदिपुरुष फिल्म में भगवान राम और माता सीता का चरित्र चित्रण सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत किया गया है।

एक अमेरिकी शोध के अनुसार बच्चे 16 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही औसतन टीवी पर प्रसाारित फिल्मों में तकरीबन 33000 हत्याएं और दो लाख हिंसक दृश्य देख चुके होते हैं। इस तरह की विषय वस्तु को ज्यादा देखने पर आक्रामकता, हिंसा, अश्लीलता के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। जिससे समाज में बलात्कार, हत्या, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं निंरतर बढ़ रही हैं।

भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिनके माध्यम से महिलाओं की दुर्दशा, शोषण, जातिवादी अत्याचार, छुआछूत जैसी कुरीतियों को दिखाया गया है। जिसमें फिल्म की मांग पर अश्लील दृश्यों को दिखाया गया है जैसे- बैंडिट क्वीन, वाटर, अलीगढ़। इन फिल्मों में यथार्थ चित्रण किया गया है जिससे कि पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता व करुणा का संचार हो।

भारतीय सिनेमा में कुछ फिल्मों को लेकर मामला न्यायालय तक भी पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉबी इंटरनेशनल केस में फैसला सुनाया कि नग्नता दिखाने वाले दृश्यों को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए जिसमें वे बनाए गए हैं। किसी कृत्य की अश्लीलता का निर्णय करते समय चित्रण के माध्यम से दिया जा रहा संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिल्म फूलन देवी में एक असहाय बच्ची के खिलाफ अत्याचार और हिंसा के सामाजिक खतरे को दर्शाया गया है, जिसने उसे खूंखार डकैत बना दिया। दृश्यों का उद्देश्य सिनेमा देखने वाले की वासना को उत्तेजित करना नहीं था बल्कि उसके मन में पीड़ित के प्रति सहानुभूति और अपराधियों के प्रति घृणा जगाना था।

भारतीय सिनेमा का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। ओटीटी प्लेटफार्म के आ जाने से यह और विस्तृत हो गया है इस कारण अधिकांश फिल्में पूर्णतः व्यावसायिक नजरियें से बन रही हैं जिनमें हिंसा और नग्नता का बोलबाला है। सेंसर बोर्ड को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सेंसर बोर्ड द्वारा उन फिल्मों को प्रदर्शन का अधिकार नही देना चाहिए जिनमें सांप्रदायिक संघर्ष, जातिवादी नफरत अनावश्यक हिंसा व अश्लीलता का बेवजह प्रयोग दिखाया गया है। फिल्म की जरूरत के अनुसार नग्नता की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। क्योंकि ''नग्नता हमेशा निम्नतर प्रवृत्ति नहीं जगाती।''

प्रश्न-10. चरवाहा विद्यालय को बिहार में लोगों को शिक्षा प्रदान करने में उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- वर्ष 1991 में बिहार में शिक्षा तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा चरवाहा विद्यालय की स्थापना की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में इस अभिनव प्रयोग ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था।

चरवाहा विद्यालय राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद प्रसाद यादव के बेहद चर्चित प्रयोगों में से एक था। पांच से पन्द्रह साल की उम्र के बच्चे जो जानवरों को चराते हैं उनको ध्यान में रखकर चरवाहा विद्यालय खोला गया था।

यह एक ऐसा प्रयोग था जिसे यूनिसेफ सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सराहा।

23 दिसंबर 1991 को मुजफ्फरपुर के तुर्की में 25 एकड़ की जमीन मे पहला चरवाहा विद्यालय शुरू किया गया था। इस विद्यालय में गाय, भैंस, बकरी, सूअर, इत्यादि चराने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती थी।

लालू यादव ने बिहार में साक्षरता दर बढ़ाने और राज्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए चरवाहा विद्यालय का विचार प्रस्तुत किया था। इस तरह के विद्यालय रूस में घुमंतू लोगों के लिए चलाए जाते थे। इस तरह के विद्यालयों का उद्देश्य जहाँ काम वहीं पढ़ाई की सुविधा प्रदान करना था। इस मायने में चरवाहा स्कूल की परिकल्पना बहुत सराहनीय थी।

चरवाहा स्कूल में श्रम की प्रतिष्ठा थी, वैज्ञानिकता थी और रोजगार से शिक्षा की तरफ जाना था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक व प्रशासनिक उपेक्षाओं के कारण यह विद्यालय अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा।

बिहार लोक सेवा आयोग
40वीं मुख्य परीक्षा, 1995
प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन)

SECTION-I

प्रश्न-1. बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। विवेचना कीजिए।

उत्तर- 20वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा किये गए कुछ परिवर्तनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अलग दिशा प्रदान की, बंगाल विभाजन का निर्णय उनमें से एक था। इस निर्णय को भारतीय इतिहास की क्रांतिकारी घटना माना जाता है। बंगाल विभाजन की घटना ने स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत क्रांतिकारियों को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया।

बंगाल विभाजन का फैसला ब्रिटिश वायसराय कर्जन के द्वारा लिया गया था। यह अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' नीति का हिस्सा था। लार्ड कर्जन ने तर्क दिया कि इतने बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन देना संभव नहीं है, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया है। लेकिन कर्जन का वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक जागृति को कुचलना था। बंगाल विभाजन ने हिन्दू-मुसलमानों के मध्य वैमनस्यता का बीजारोपण कर दिया।

19वीं शताब्दी में ही राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय चेतना की अवधारणा का उदय हो गया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने लोगों को अपनी पहचान को परिभाषित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए बंगाल-विभाजन ने बंगाली अस्मिता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, जो लोगों को स्वीकार्य नहीं था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया।

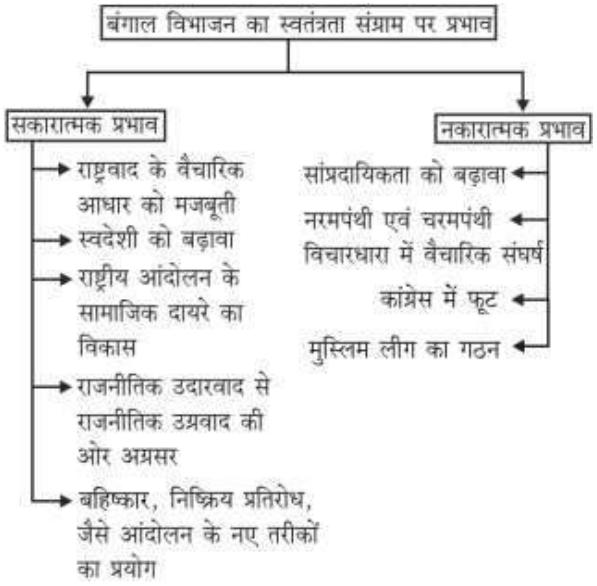

- बंगाल विभाजन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रबल कर दिया। इस घटना ने राष्ट्रवाद का तीव्र प्रसार किया। राष्ट्रवाद का वैचारिक आधार मजबूत हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक दायरे का विकास हुआ।
- स्वतंत्रता आंदोलन में विद्यार्थियों और महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया
- स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया।
- स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग बढ़ा। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों एवं उद्योग धंधों की स्थापना की गई।
- स्वतंत्रता आंदोलन में बहिष्कार, हड़ताल, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे नए तरीकों का प्रयोग किया गया।
- रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया जिसके तहत सामाजिक सुधार, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई।

बंगाल विभाजन के जरिए लार्ड कर्जन की समाज विस्तार की नीति ने जहां साम्प्रदायिकता फैलाने का कार्य किया वहीं राष्ट्रीयता के मार्ग को भी प्रशस्त किया। स्वदेशी आंदोलन में अपनाए गए नवीन तरीकों ने आगे चलकर गांधीवादी आंदोलन में अपनी पूर्णता को प्राप्त की। इस आंदोलन ने आत्म निर्भरता एवं आत्मशक्ति को प्रबल स्वरूप प्रदान किया।

प्रश्न-2. भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 'आजाद दस्ता' की क्या भूमिका थी?

उत्तर- आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी।

संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकारी मशीनरी और सैन्य प्रशिक्षण को पंगु बनाना था। लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार करने हेतु शिविर स्थापित किए गए थे। मुख्य प्रशिक्षक के रूप में सरदार नित्यानंद सिंह के साथ पहला प्रशिक्षण शिविर नेपाल की तराई में स्थापित किया गया था। यहीं पर मधुबनी दस्ता का मुख्यालय था। यहां 35 लोगों को इस उद्देश्य से प्रशिक्षित किया गया था कि वे अलग-अलग स्थानों पर आजाद दस्ता की शाखाएं स्थापित करेंगे।

आजाद दस्ता के सदस्यों का शपथ

- भारत के आजाद होने तक अंग्रेजों से लड़ते रहने की प्रतिज्ञा
- दस्ता के प्रति अटूट निष्ठा
- सैन्य अनुशासन का पालन
- अनुशासन के उल्लंघन पर सजा को स्वीकार करना

बिहार में गठित आजाद दस्ते ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गठित प्रथम गुप्त गतिविधियों को संचालित करने में सक्रिय संगठन था। आजाद दस्ता के सदस्यों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार को आतंकित कर दिया था। वे अपने उद्देश्य में सफल रहे।

प्रश्न-3. स्वदेशी पर जोर देकर गांधी जी कौन सा संदेश देना चाहते थे।

उत्तर- स्वदेशी विचार का जन्म भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दरम्यान हुआ था। स्वदेशी स्वतंत्रता आंदोलन का मूल मंत्र था। 1905 में बंग-भंग के खिलाफ आंदोलन भी स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत था। किन्तु स्वदेशी भाव-विचार को बहुआयामी और राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है।

महात्मा गांधी के स्वदेशी विचार का आरंभ 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। गांधी जी ने उत्पादन पद्धति को अपने स्वदेशी विचार के केंद्र में रखा। गांधी जी मशीनी क्रांति और औद्योगिकीकरण के विरोधी थे। उन्होंने मशीनों के अत्यधिक चलन के भयावह परिणामों की ओर 1909 में अपनी पुस्तक हिन्द-स्वराज में ध्यान आकृष्ट करवाया था।

गांधी जी के लिए स्वदेशी सर्वोदय को प्राप्त करने का जरिया था। भारत अपने दम पर उन्नति को प्राप्त कर सके इसलिए उन्होंने स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी का उनका विचार उत्कट राष्ट्रवादी होने के साथ-साथ व्यावर्तक और समावेशी अंतर्राष्ट्रवादी भी प्रतीत होता है।

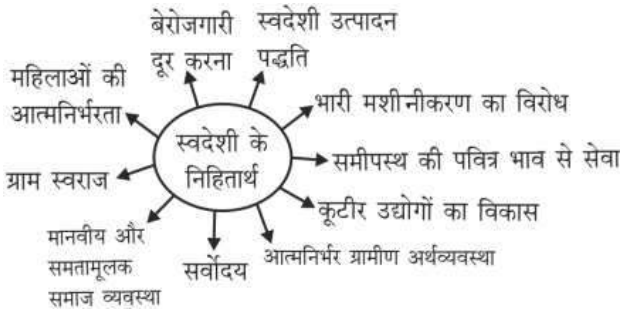

स्वदेशी का संदेश

- स्वदेशी को एक व्रत का रूप दिया गया
- उत्पादन पद्धति स्वदेशी विचार के केन्द्र में थी।
- भारी मशीनीकरण वाले उद्योगों का विरोध।
- स्वदेशी सर्वोदय का माध्यम है।

- स्वदेशी का विचार राष्ट्रवादी के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रवादी भी है।
- स्वदेशी वस्तु का उपयोग पड़ोसी से प्रेम का दर्शन है।
- स्वदेशी मानवीय एवं समतामूलक समाज व्यवस्था की नींव है।
- स्वदेशी विचारधारा में किसी के प्रति द्वेष नहीं है।
- स्वदेशी उत्पादन पद्धति बेरोजगारी दूर कर हर हाथ को काम देती है।
- स्वदेशी तकनीक से उत्पादन महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाता है।

गांधी जी के लिए स्वदेशी का अर्थ सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं है। वे केवल स्थानीय संसाधनों के उपयोग की हद निर्धारित करना चाहते थे। विशेषकर गृह-उद्योग जैसे- हस्त-शिल्प, कुंभकारी, नाई का काम, इत्यादि। इनके बिना भारत उन्नति नहीं कर सकता है। इस तरह गांधी जी का स्वदेशी विचार एक सकारात्मक अवधारणा है।

प्रश्न-4. मौर्यकलीन मूर्तिकला के विशिष्ट लक्षण क्या हैं?

उत्तर- हड़प्पा के बाद मौर्यकाल में ही मूर्तिकला के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि मौर्यकालीन मूर्तियों में कोई स्पष्ट मूर्ति निर्माण शैली नहीं थी जैसा कि गांधार और मथुरा कला शैली में देखने को मिलता है तथापि मौर्यकालीन मूर्तियां विशिष्ट हैं।

मौर्यकालीन मूर्तिकला की जानकारी के स्रोतों में साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों को शमिल किया जाता है। साहित्यिक स्रोतों में आपस्तंभ गृहसूत्र तथा अर्थशास्त्र प्रमुख हैं। मौर्यकालीन मूर्तियां स्तंभों के ऊपर बनी आकृतियों एवं स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त होती हैं।

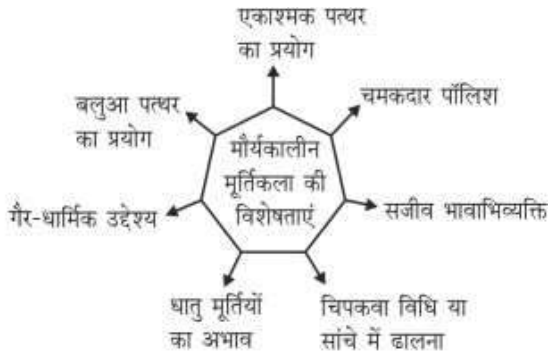

- मौर्यकालीन मूर्तिकला की सबसे प्रमुख विशेषता एकाश्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाना है।
- मूर्तियों पर चमकदार पॉलिश की गई है। पत्थरों की चमकदार पॉलिश आज भी अस्तिव में है जो इसकी उच्च तकनीकी का प्रतीक है।
- सारनाथ के अशोक स्तम्भ की लाट की पॉलिश आज भी शीशे की भांति चमक रही है।
- मौर्यकालीन मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि या सांचे में ढालकर किया जाता था।
- मौर्यकालीन मूर्तियों की विषयवस्तु गैर-धार्मिक थी। इनके विषय पशु-पक्षी, खिलौने एवं मानव से संबंधित होते थे।
- मौर्यकालीन मूर्तियां मिट्टी एवं पत्थरों से निर्मित होती थीं। इसके लिए चुनार के बलुआ पत्थर और चित्तीदार लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है।
- एकाश्मक पत्थरों से निर्मित स्तंभों के शीर्ष भाग में मूर्तियों को स्थापित किया गया है जैसे सारनाथ के अशोक स्तभ पर निर्मित चार शेरों की मूर्तियाँ मौर्य कालीन कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती हैं।

मौर्यकालीन मूर्तिकला का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये मूर्तियां पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी अहिच्छत्र, सारनाथ इत्यादि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। सम्राट अशोक के समय की मूर्तियां कला, सौन्दर्य एवं चमकदार पॉलिश की दृष्टि मूर्तिकला की उत्कृष्ट नमूना हैं।

SECTION-II

प्रश्न-5. फ्रांस एवं चीन द्वारा हाल ही में किए गए परमाणु परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर– वर्ष 1995 में जब कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के मंच पर व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) से संबंधित वार्ताएँ चल रही थीं, तब फ्रांस और रूस के अलावा चीन की साम्यवादी सरकार ने भी इस संधि के अंतर्गत 10-200 टन क्षमता वाले परमाणु परीक्षण करने की छूट की माँग उठाई थी। इतनी क्षमता के परमाणु परीक्षण के अधिकार सुनिश्चित करके ये देश भविष्य में परमाणु परीक्षण के अवसर अपने हाथ में रखना चाहते थे। ताकि उस समय के परमाणु शक्ति संपन्न देशों और संभावित परमाणु शक्ति संपन्न देशों के पास परमाणु परीक्षण करने के आकर्षक विकल्प सदैव उपलब्ध रहेंगे।

- फ्रांस एवं चीन दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए और स्वयं को परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल किया। वर्ष 1960 में फ्रांस ने प्रशांत महासागर के टुआमोतो द्वीप समूह में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1964 में सिक्यांग प्रांत के लोपनॉर रेगिस्तान में किया था।
- वर्ष 1995 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और निंदा किए जाने के बावजूद फ्रांस ने प्रशांत महासागर में मुरूरोआ में अपने परमाणु परीक्षण किए।

- 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि को मंजूरी दी। इस संधि पर ब्रिटेन व फ्रांस ने अपना अनुमोदन प्रदान किया, लेकिन अमेरिका, रूस व चीन ने हस्ताक्षर तो किए लेकिन पुष्टि नहीं की। भारत ने इस संधि को पक्षपातपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर से इंकार कर दिया है।
- 1990 के दशक में साम्यवादी चीन के लिए ऐसी किसी भी संधि को पास कराना उचित नहीं होता, जो उसे परमाणु परीक्षण करने से रोकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पाँच स्थायी सदस्य देश परमाणु संपन्न हैं। इनमें से ब्रिटेन व फ्रांस ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया है, जबकि अमेरिका, चीन व रूस ने हस्ताक्षर किया है, लेकिन अनुमोदन नहीं किया है। इसलिए ये आगे भी परमाणु परीक्षण कर सकते हैं।
- चीन को अपने नए परमाणु हथियारों की विश्वसनीयता परखने के लिए ऐसे परमाणु परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए चीन ने अपने परमाणु हथियारों के बारे में कोई भी आंकड़ा न तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग स्टेशन (IMS) से साझा किया है और न ही उसने इससे जुड़े आँकड़े इंटरनेशनल डेटा सेंटर को दिया है।

  चीन का अनुमान है कि रूस और अमेरिका के मुकाबले उसका परमाणु हथियारों का जखीरा बहुत कम है, लेकिन चीन परमाणु ईंधन के मामले में संपन्न है, इसलिए चीन परमाणु परीक्षण करता रहता है। वैश्विक स्तर पर व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि को लागू किया जाना चाहिए, ताकि दुनिया को परमाणु युद्ध के खतरे से बचाया जा सके।

प्रश्न-6. भारत में राजनीति के अपराधीकरण की समस्या के समाधान हेतु वोहरा कमेटी के मुख्य सुझावों को बताइए।

उत्तर- राजनीति के अपराधीकरण से तात्पर्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की राजनीति में बढ़ती भागीदारी से है। लोकसभा चुनावों के आँकड़ों पर दृष्टि डाला जाय तो आपराधिक प्रवृत्ति वाले सांसदों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। 2004 के आम चुनाव में 24%, 2009 में 30% तथा 2019 में 43% आपराधिक छवि वाले लोग संसद सदस्य बने हैं।

वोहरा समिति का गठन जुलाई 1993 में पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किया गया था। समिति की अध्यक्षता पूर्व भारतीय गृह सचिव एन.एन. वोहरा ने की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में ही प्रस्तुत की थी।

वोहरा समिति ने भारत में राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच सांठगांठ की समस्या का अध्ययन किया। रिपोर्ट में आपराधिक नेटवर्क पर आधिकारिक एजेंसियों द्वारा की गई टिप्पणियाँ शामिल थीं जो वस्तुतः एक समानांतर सरकार चला रही थीं। इस रिपोर्ट में उन गिरोहों पर भी चर्चा की गई है जिन्हें सभी दलों के राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था।

वोहरा समिति की सिफारिशें

- माफिया तत्वों के खिलाफ नियमित रूप से जानकारी एकत्र करने और मामलों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता है।
- आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की शक्तियों के साथ एक कुशल नोडल सेल स्थापित किया जाना चाहिए।
- आपराधिक तत्वों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त संरक्षण की कड़ी को तोड़ना आवश्यक है।
- ये कड़ियाँ सरकार की एक समानांतर प्रणाली की तरह कार्यरत हैं।
- माफिया संगठनों का गठजोड़ न्यायिक प्रणाली से भी है, जिसे समाप्त करने का प्रयास किया जाना है।
- आपराधिक समूह बैंकों से भी सांठगांठ बनाए हुए हैं। इसकी जाँच पड़ताल किया जाना आवश्यक है।
- अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना।
- सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस डाटाबेस से जोड़ा जाना चाहिए।
- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को अयोग्य ठहराया जाना।
- सभी राजनीतिक दलों का नामांकन के समय अपने उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी साझा करनी होगी।
- आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
- राजनेताओं और संगठित अपराध से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना।
- विशेष अदालतों को दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आय का उपयोग करने की शक्ति होनी चाहिए।

वोहरा समिति की रिपोर्ट पर व्यापक ध्यान दिया गया और भारत में आपराधिक प्रवृत्ति की समस्या के समाधान के लिए कई उपाय किए गए। हालांकि समस्या आज भी बनी हुई है। वोहरा समिति की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की गई। इस समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक भी नहीं की गई। भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए इस समिति की सभी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।

प्रश्न-7. एक बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति की समीक्षा कीजिए एवं फोटो पहचान पत्र के संबंध में अपने विचार दीजिए।

उत्तर- भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य रूप से मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव के संचालन से संबंधित प्रशासनिक कार्य होते हैं। आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग और कार्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1991 की धारा 9 से 11 के प्रावधानों के अनुरूप अनुच्छेद 324 के तहत करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। भारत का निर्वाचन आयोग एक तीन सदस्यीय निकाय है। जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।

- संविधान के प्रांरभ से 1989 तक निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय निकाय था जिसमें केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। 7 अक्टूबर, 1989 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। सत्ता में आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने 7 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति की अधिसूचना को रद्द कर दिया।
- केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1991 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा दिया गया और उसकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गयी। चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा दिया गया और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई।
- 12 दिसम्बर, 1990 को टी.एन. शेषन को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। शेषन द्वारा आयोग की स्वतंत्रता पर जोर देने के कारण पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार नाखुश थी। इसलिए 1 अक्टूबर 1993 को निर्वाचन आयोग को फिर से विस्तारित करने का फैसला किया गया इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1991 में पुनः संशोधन किया गया। तब से अब तक निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय आयोग के रूप में कार्य कर रहा है।
- अधिनियम में संशोधन के बाद सरकार ने तीनों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का दर्जा देकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को समान बना दिया जो 65 वर्ष की आयु में सेवामुक्त होंगे। इसका तात्पर्य है कि सभी तीन आयुक्तों के पास निर्णय लेने की समान शक्तियाँ थीं।
- अधिनियम में एक नया अध्याय के साथ धारा 9, 10, 11 शामिल किया गया। इन तीनों धाराओं ने परिकल्पना की कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त इस तरह से कार्य करेंगे कि उनका निर्णय एकमत के साथ आये और किसी भी मुद्दे पर किसी भी तरह का मतभेद होने पर बहुमत का दृष्टिकोण प्रबल हो।

  यदि चुनाव आयोग में किसी मौखिक विचार विमर्श और चर्चा के बाद भी कुछ मतभेद बने रहते हैं तो ऐसी असहमति फाइल में दर्ज की जाती है। सभी की राय समान महत्त्व रखती है जिसका यह अर्थ हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त को दो चुनाव आयुक्तों द्वारा अधिभूत किया जा सकता है। सामान्य व्यवहार में कार्यकारी मामलों में आयोग के निर्णय को संप्रेषित करते समय बहुमत के दृष्टिकोण से संबंधित पक्षों को अवगत करा दिया जाता है। 1993 में बहुसदस्यीय आयोग के गठन के बाद से बहुत कम ही मतभेद दर्ज किए गए हैं। आयोग की बैठक में तीनों आयुक्तों की किसी मामले पर विचार-विमर्श के बाद कार्रवाई के लिए एक सामान्य पाठयक्रम पर सहमति रहती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिकरण का निवारण करने की दृष्टि से तथा उनके मत देने के अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की गई। भारत निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, सभी निर्वाचकों को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी करने का निर्देश देते हुए 28 अगस्त, 1993 के एक आदेश जारी किया था। वर्तमान में लगभग सभी निर्वाचकों के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह भारत सरकार द्वारा जारी एक वैध पहचान पत्र है।

प्रश्न-8. भारत-नेपाल सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कीजिए। दोनों देशों के बीच विवाद की बुनियादी बातें क्या हैं?

उत्तर- भारत और नेपाल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों के आधार पर एक दीर्घकलिक रिश्ता साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के साथ-साथ लोगों से लोगों के बीच संबंध भी हैं। इसके बावजूद सीमा विवाद और नदी जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के मध्य स्थिति बेहद तनावपूर्ण भी हो जाती है।

- भारत ऐहिासिक रूप से नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, सहायता देने वाला और निवेशक रहा है। इसके बावजूद नेपाल अक्सर भारत पर अपने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाता रहता है।
- भारत- नेपाल संबंधों में असंतुलन का कारण चीन है।
- भारत-नेपाल के संबंध भौगोलिक निकटता एवं साझा सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण अहम हैं।
- हाल के वर्षों में चीन के साथ नेपाल के बढ़ते जुड़ाव और उस परिप्रेक्ष्य में भारत की क्षेत्रीय सामरिक चिंताओं ने दोनों देशों के संबंधों में जटिलता पैदा कर दी है।

  भारत नेपाल के संबंध में हाल की घटना ने अधिक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न की है। नेपाल ने अधिकारिक रूप से एक नवीन मानचित्र जारी किया है जिसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा माना है। इसके साथ ही नेपाली सरकार का कहना है कि नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार में भारत की भूमिका है। इससे भारत-नेपाल के मध्य संबंधों में कटुता आई है।

  भारत द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये लिपुलेख-धराचूला मार्ग के उद्घाटन पर नेपाल ने आपत्ति जताई है। नेपाल के इस तरह के कार्यों की वजह चीन द्वारा दिया जा रहा संरक्षण है। चीन-नेपाल के संबंधों में आई नजदीकी ने भारत-नेपाल के संबंधों पर विपरीत असर डाला है। नेपाल चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' परियोजना में भी शामिल हुआ है। भारत द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई है।

  भारत 'पहले पड़ोस की नीति' का पोषक है, इसलिए अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों पर बल देता है। नेपाल भारत का निकटस्थ पड़ोसी है जिसके साथ न केवल भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संबंध बल्कि 'रोटी-बेटी' जैसा संबंध भी है।

  भारत सरकार द्वारा नेपाल के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बरकरार रखने के लिए ऐतिहासिक संधि, दस्तावेजों, तथ्यों और नक्शों के आधार पर सीमा विवाद एवं नदी जल विवाद मुद्दों को द्विपक्षीय वार्ता के तहत सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। नेपाल का भारत के लिए विशेष आर्थिक एवं सामरिक महत्व है।

बिहार लोक सेवा आयोग
41वीं मुख्य परीक्षा, 1997
प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन)

SECTION-I

प्रश्न-1. ''इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम है। समीक्षा कीजिए।

उत्तर- 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में अमिट रूप से अंकित है। यह संग्राम इस कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों ने सक्रिय भूमिका निभाई और ये भारतीय समाज के सभी वर्गों, जातियों और धर्मों से ताल्लुक रखते थे।

1857 की क्रांति वह प्रथम ज्वाला थी जिसने स्वतंत्रता के मार्ग को प्रारंभ किया था, जिस पर अनेकता में एकता की भावना से चलकर क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को ललकारा था, लेकिन 1857 के विद्रोह को लेकर विद्वानों में काफी मत भिन्नता पाई जाती है। विनायक दामोदर सावरकर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, बेंजामिन डिजरैली जैसे लोगों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा है, वहीं डॉ. आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन जैसे विद्वानों ने इसे स्वतंत्रता संघर्ष नहीं माना है।

डॉ. आर.सी. मजूमदार ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय विप्लव और न ही स्वतंत्रता का युद्ध ही माना है। इसके समर्थन में इन्होंने कई तर्क दिए हैं–

- 1857 का विद्रोह प्रथम प्रतिक्रिया नहीं थी क्योंकि भारत के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भागों में पहले भी विद्रोह हुए थे।
- कुल क्षेत्रफल का लगभग एक-चौथाई और कुल आबादी के दसवें भाग से अधिक जनसंख्या इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुई। इसका प्रादेशिक प्रसार सीमित था, इसलिए यह विद्रोह राष्ट्रीय स्तर का नहीं था।
- विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नेता क्षेत्रीय भावना और व्यक्तिगत भावना से प्रेरित थे।
- विद्रोहियों में उचित समन्वय और केन्द्रीय नेतृत्व का अभाव था।
- इस विद्रोह में बड़े जमींदार, साहूकार, व्यापारी तथा अधिक शिक्षित लोगों ने भाग नहीं लिया।
- इस विद्रोह का नेतृत्व सैनिकों ने किया था लेकिन इसका दमन सिख और गोरखा सैनिकों द्वारा किया गया। इसलिए भारतीय सैनिकों के मध्य एकता का अभाव था।

उपर्युक्त तर्कों के आधार पर डॉ. मजूमदार ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था।

1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का भारतीयों का प्रथम महान प्रयास एवं संघर्ष था। स्वतंत्रता की भावना से उद्वेलित हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायों का संयुक्त होकर विदेशी शासन को देश से नष्ट करने का प्रयास किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के हाथों में सौंपना इसके राष्ट्रीय स्वरूप को इंगित करता है। भारत सरकार द्वारा भी 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जा चुका है।

प्रश्न-2. बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव की विवेचना कीजिए।

उत्तर- भारत छोड़ो आंदोलन हो या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कोई भी लड़ाई, उसमें बिहार की प्रभावी व महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जब किया जा रहा था, उससे पूर्व ही बिहार में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी।

भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था। 31 जुलाई को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की बैठक बुलाकर कांग्रेसी कार्यक्रम को भावी संघर्ष के लिए तैयार रहने की बात की गई। आंदोलन शुरू होते ही 9 अगस्त, 1942 को कांग्रेस के अग्रणी नेता और बिहार के नेता गिरफ्तार कर लिए गए और यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया।

बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जय प्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू श्याम नंदन, कार्तिक प्रसाद इत्यादि क्रांतिकारी नेताओं के हाथों में था। बिहार के सभी जिलों में आंदोलन का प्रभाव दिखाई देता है। राजधानी पटना में आंदोलन उग्र स्थिति में पहुँच चुका था।

अंग्रेजों भारत छोड़ो के राष्ट्रीय आह्वान पर 11 अगस्त, 1942 को बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का एक समूह जुलूस निकालता हुआ सचिवालय की ओर बढ़ रहा था। इनका इरादा सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराना था। इसी समय पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. ऑर्थर ने निहत्थे छात्रों पर गोलियाँ चलवा दी थी। इस गोलीकांड में 25 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हुए और 7 छात्र शहीद हो गए। इस घटना के बाद भारत छोड़ो आंदोलन ने और भी उग्र रूप ले लिया।

9 नवंबर, 1942 को पुलिस की निष्क्रियता का लाभ उठाकर जय प्रकाश नारायण, रामानंदन मिश्र, योगेन्द्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि क्रांतिकारी नेता हजारीबाग जेल की दीवार फाँदकर भाग निकले। इन नेताओं ने सरकार की दमन कार्यवाइयों को देखते हुए गुप्त गतिविधियों का संचालन शुरू कर दिया।

बिहार की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पटना गोलीकांड के बाद आंदोलन उग्र हो गया था। जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों में अवरोध डालने का निर्णय लिया गया। इसके फलस्वरूप पूरे बिहार की रेल पटरियों को नुकसान पहुँचाया गया, तार तथा टेलीफोन लाइनों को काट दिया गया तथा डाकखानों, थानों इत्यादि की इमारतों को जला दिया गया।

भारत छोड़ो आंदोलन के निमित्त बिहार में कई गुप्त संस्थाओं का निर्माण हुआ। 'आजाद दस्ता' इनमें प्रमुख था। यह इस आंदोलन के दौरान स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना जय प्रकाश नारायण द्वारा नेपाल की तराई में किया गया था। इसमें सदस्यों को छापामार युद्ध एवं विदेशी शासन को अस्त-व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन में 'आजाद दस्ता' ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारत छोड़ो आंदोलन पूर्ववर्ती आंदोलनों की तुलना में स्वतः स्फूर्त एवं उग्र आंदोलन था। महात्मा गाँधी ने 'करो या मरो' का नारा दिया था। इसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें भारत को तुरंत आजाद करने की माँग की गयी थी। बिहार की जनता एवं क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

प्रश्न-3. वर्ण जाति व्यवस्था पर गाँधी जी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके सक्रियतावाद से क्या वे संगत थे?

उत्तर- वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की आधारशिला थी। आश्रम व्यवस्था द्वारा व्यक्तिगत जीवन की उन्नति तथा वर्णव्यवस्था द्वारा सामाजिक एकता व उन्नति के लक्ष्य की प्राप्ति की जाती थी। गाँधी जी भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था के समर्थक एवं जातिगत अस्पृश्यता के कट्टर विरोधी थे।

गाँधी जी के अनुसार वर्णव्यवस्था श्रम विभाजन की प्रणाली है जो समाज में श्रम की जरूरत तथा श्रम की उपलब्धता में समन्वय करती है। गाँधी जी वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत मानते थे। इसका आशय है कि वर्ण का निर्धारण जन्म से ही होता है। उन्होंने यह स्पष्टतः माना है कि हर व्यक्ति को अपना पैतृक व्यवसाय अपनाना चाहिए। इससे व्यक्ति के समक्ष रोजगार की समस्या नहीं उत्पन्न होगी।

गाँधी जी के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास हिन्दू होने की एक प्रमुख योग्यता है। गाँधी की वर्णव्यवस्था में आंतरिक लचीलापन था और हिन्दू समाज में वर्णों का परस्पर व्यापार होता था। सभी चार वर्ण समाज के लिए प्रतिष्ठा एवं कार्यात्मकता में समान थे। चारों वर्णों को क्षैतिज और परस्पर प्रतिस्थापन योग्य रखा गया था। गाँधी जी के लिए वर्ण व्यवस्था पदानुक्रमित नहीं थी।

गाँधी जी ने जातिगत भेद-भाव, ऊँच-नीच अस्पृश्यता जैसी किसी व्यवस्था को उचित नहीं माना है। उनके अनुसार अस्पृश्यता एक घृणित प्रथा है, इसका न तो 'भगवद्गीता' या अन्य धर्मग्रंथों में कोई आधार है। उन्होंने अस्पृश्यता की प्रथा को अस्वीकार कर दिया था और तत्कालीन अछूतों को 'हरिजन' या 'भगवान के लोग' नाम दिया। आगे चलकर 1933 ई. के बाद गाँधी जी ने इस तर्क को स्वीकार किया कि केवल जन्म किसी व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ''मात्र जन्म का कोई महत्व नहीं है। एक व्यक्ति को अपने दावे को स्थापित करने के लिए जन्म से संबंधित कार्य और चरित्र दिखाना होगा।''

गाँधी जी के वर्णव्यवस्था की आलोचना की जाती है। लेकिन आलोचना तार्किक एवं उचित नहीं है। गाँधी जी ने आगे चलकर वर्णाश्रम व्यवस्था को जन्म के आधार पर न मानकर कर्म के आधार पर मान लिया था। उन्होंने माना था कि हिन्दू धर्म और जाति के बीच कोई संबंध नहीं है। जाति एक प्रथा है जिसका धर्म में कोई आधार नहीं है। उन्होंने जाति एवं अस्पृश्यता को आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास दोनों के लिए हानिकारक माना था। इन्हीं के प्रभाव से संविधान से अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन (अनुच्छेद 17) किया गया

प्रश्न-4. बिहार में पाल कला की प्रधान विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर- पाल शासकों का काल मात्र एक नवीन राजनीतिक शक्ति के उदय और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वरन् इस राजवंश की छत्रछाया में भारतीय संस्कृति और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ।

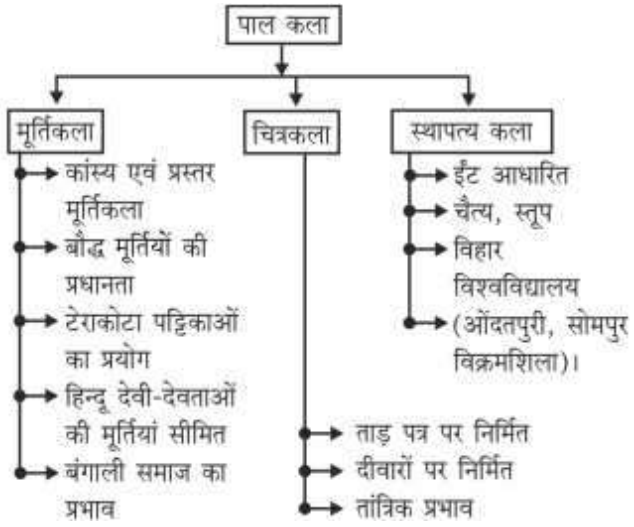

स्थापत्य कला

- पाल स्थापत्य के साक्ष्य सोमपुरी, ओदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं।
- पालकला में टेराकोटा, मूर्तिकला और चित्रकला को महत्व दिया गया था।
- पाल शासकों द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय एवं विहार प्रसिद्ध बौद्धिक केन्द्र हैं।
- इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है।
- पाल शासकों द्वारा बौद्ध स्तूपों का निर्माण अंडशैली (गुंबदाकार) में किया गया है जिसे बंगला छत कहा जाता है।

पाल मूर्तिकला

- पालकालीन मूर्तिकला की विशिष्ट शैली के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं हिन्दू धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ।
- पालकालीन मूर्तियां कांस्य, प्रस्तर एवं टेराकोटा की बनी हैं।
- जैन तीर्थकरों की धातु मूर्तियां चौसा से प्राप्त हुई हैं।
- बुद्ध से संबंधित मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने किया गया है।
- बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का स्वतंत्र रूप से मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना पाल मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता है।
- बुद्ध की कुछ स्वतंत्र मूर्तियों में उन्हें विविध मुद्राओं में दिखाया गया है। पटना संग्रहालय में सुरक्षित भूमिस्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति के ललाट पर उर्जा का प्रदर्शन हुआ है।
- बोधिसत्व मूर्तियों में प्रतिमाशास्त्रीय परम्परा के निर्वाह के साथ ही उत्तम शिल्प का भी दर्शन होता है।
- पालयुगीन ब्राह्मण मूर्तियों के अंतर्गत विष्णु, शिव, सूर्य गणेश तथा देवियों की सुन्दर मूर्तियां प्राप्त होती हैं।

चित्रकला

- पालकालीन चित्रकला का दर्शन ताड़, पांडुलिपियों एवं दीवारों पर बने चित्रों में होता है।
- पालकालीन लघुचित्र एवं भित्तिचित्र प्राप्त हुए हैं।
- पालकालीन चित्रकला बौद्धग्रंथ प्रज्ञापरमिता, अष्टाहसत्रिका, पंचरक्षा में प्राप्त होता है।
- इन चित्रलिपियों पर तांत्रिक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं।
- इन चित्रलिपियों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं, महायान सम्प्रदाय के देवी-देवताओं तथा जातक कथाओं पर आधारित दृष्यों का अंकन प्राप्त होता है।
- इन चित्रलिपियों के निर्माण में प्राथमिक रंगों का व्यवहार किया गया है। तत्पश्चात उन पर हरे, भूरे, हल्के गुलाबी और बैंगनी रंगों से चित्रकारी की गई है।
- नालंदा से प्राप्त इन पांडुलिपियों के चित्रकारियों की विशिष्टता उनका उत्कृष्ट स्नायविक रेखांकन, इंद्रियासक्त लालित्य एवं रैखिक अलंकृत शैली है।
- पाल कालीन कला को 'मध्यकालीन कला की पूर्व शैली' कहा जाता है। इस कला का प्रभाव दक्षिण-पूर्व एशिया तक देखा जा सकता है। पाल कला सांस्कृतिक संगम और धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

SECTION-II

प्रश्न-5. पश्चिम एशिया में शांति वार्ता पर संक्षिप्त निबंध लिखें तथा इस प्रक्रिया में प्रस्तुत मुख्य बाधाओं को रेखांकित करें।

उत्तर– पश्चिम एशिया परंपरागत रूप से मेसोपोटामिया, नील नदी डेल्टा, ईरान, लेवेंट, अरब और अनातोलिया के निकटस्थ क्षेत्रों को दिया गया नाम है। वर्तमान में पश्चिम एशिया के अंतर्गत पश्चिम में मिस्र, तुर्की, साइप्रस से लेकर पूर्व में ईरान और फारस की खाड़ी तक तथा उत्तर में ईरान व तुर्की से लेकर दक्षिण में ओमान तथा यमन तक का क्षेत्र इसमें शामिल है।

- पश्चिमी एशिया का अधिकांश भाग 14वीं शताब्दी के बाद से ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। इस साम्राज्य में नस्ल, धर्म और संस्कृति में भिन्न बहुसांस्कृतिक आबादी निवास करती थी। शुरू में यह शांतिपूर्ण क्षेत्र था, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह स्थिति परिवर्तित हो गयी।

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण

- फिलिस्तीन क्षेत्र में अरबों का निवास जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के नियंत्रण में था।
- यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का पवित्र शहर येरुशलम यहीं पर स्थित है। यहूदी फिलिस्तीन को अपना शहर मानते हैं, जहाँ से अतीत में उन्हें निर्वासित किया गया था।
- नाजियों के अधीन जर्मनी में संघर्ष अपने चरम पर पहुँच गया। अधिकांश यहूदियों को मार डाला गया और बचे हुए लोगों को जेल में डाल दिया गया।
- 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव पास करके फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। लेकिन अरबों ने इजराइल को एक वैध राज्य के रूप में स्वीकार नहीं किया और मातृभूमि छोड़ने से इंकार कर दिया।
- जब इजराइल की नीतियों में कड़वाहट बढ़ी तो अरबों को अपनी संपत्ति और मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अस्दैल नासिर ने अरबों को एकजुट करने की कोशिश की और इसलिए आक्रामक नीतियाँ अपनाई। पश्चिमी शक्तियों के सहयोग से इजराइल ने 1950 में मिस्र पर हमला कर दिया। प्रति हिंसा और जवाबी कार्यवाही के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र लगातार युद्ध और आतंकवादी हमलों की चपेट में रहा जिसके कारण यह क्षेत्र तनाव का केंद्र बन गया।
- यमन संकट 2011-12 में राष्ट्रपति अली अस्दुल्ला सालेह के तख्तापलट के साथ शुरू हुआ।
- सीरिया का गृहयुद्ध अरब स्प्रिंग की अशांति की व्यापक लहर के हिस्से के रूप शुरू हुआ। सीरिया में चल रहा संघर्ष 21वीं सदी का दूसरा सबसे घातक संघर्ष रहा।

पश्चिम एशिया में शांति के प्रयास

- शांति के लिए किए गए प्रयासों में सबसे सफल ''ओस्लो'' प्रयास था, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुआ था।
- 28 जनवरी, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पश्चिमी एशिया शांति योजना का अनावरण किया गया। पश्चिमी एशिया शांति योजना में कहा गया कि अमेरिका कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजराइली बस्तियों को मान्यता देगा।
- इसके बदले में इजराइल, फिलिस्तीन राज्य के दर्जे पर बातचीत के दौरान नई गतिविधियों पर चार वर्ष की रोक को स्वीकार करने पर सहमत होगा। हालाँकि इजराइली सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन फिलिस्तीन के साथ इस पर समझौता नहीं हो सका।
- रूस से सुझाव दिया था कि पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन मंत्री स्तर पर आयोजित किया जा सकता है।

प्रश्न-6. स्वातत्र्योत्तर भारत में क्षेत्रवाद के विकास के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए।

उत्तर- क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की उस भावना से है जिसके अंतर्गत वे अपनी एक विशेष भाषा, सामान्य संस्कृति, इतिहास और व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर उस क्षेत्र से विशेष लगान महसूस करते हैं तथा क्षेत्रीय आधार पर स्वयं को एक समूह के रूप में देखते हैं।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से क्षेत्रवाद का आशय एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों की उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है। जिसके अंतर्गत वे एक क्षेत्र विशेष को केवल अपना और अपने लिए ही मानकर अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक अलगाववाद को प्रोत्साहन देते हैं।

भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता के बाद से क्षेत्रवाद देश को एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ करने के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है।

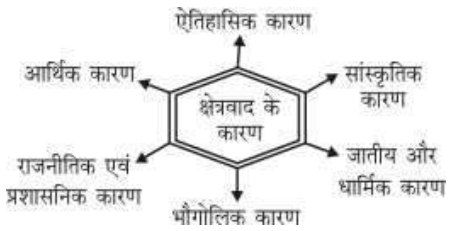

- भारत में भौगोलिक विविधताएँ पाई जाती हैं, जिससे किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों के बीच अपने क्षेत्र के प्रति प्रतीकात्मक लगाव के आधार पर क्षेत्रीयता की भावना पैदा होती है।
- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक क्षेत्रीयता को आकार देने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- सांस्कृतिक विरासत, लोककथाएँ मिथक प्रतीकवाद और ऐतिहासिक परम्पराएं एक विशेष क्षेत्र के लोगों में गौरव व पहचान की भावना को प्रेरित करके क्षेत्रीयता के विकास को बढ़ावा देती है।
- जाति और धर्म भी क्षेत्रीयता के उभार को प्रेरित करते हैं। धार्मिक कट्टरता हठधर्मिता और रूढ़िवादिता को जन्म देकर क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित करती हैं।
- असमान आर्थिक विकास क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देने में सहायक होता है और क्षेत्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करती हैं।
- देश में प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण भी आर्थिक असमानता को बढ़ाता है जिससे क्षेत्रवाद की भावना पनपती हैं।
- क्षेत्रवाद की भावना को प्रेरित करने में राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारकों की भूमिका भी प्रभावी होती है। राजनीतिज्ञों ने वोट बैंक की राजनीति के द्वारा क्षेत्रीयता को हवा दी है।
- भारतीय संदर्भ में भाषायी विविधता ने भी क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित किया है।

विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है। यह विविधता क्षेत्रीयता की भावना को प्रेरित करती है। लेकिन क्षेत्रीयता सदैव नकारात्मक नहीं होती है, यह क्षेत्र विशेष के लोगों के बीच एकता को प्रोत्साहित करती है। राजनीतिक कारणों से इस क्षेत्रीयता को संकीर्ण अर्थों में क्षेत्रवाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो देश की एकता व अखंण्डता के लिए चुनौती उत्पन्न करती रहती है। राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देकर क्षेत्रवाद को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

प्रश्न-7. ग्रामीण बिहार में हिंसा के कारणों की विवेचना कीजिए।

उत्तर- बिहार ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यह अपने प्राचीन शिक्षा पद्धति धार्मिक-सामाजिक आंदोलन एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। लेकिन आज बिहार शैक्षणिक दृष्टि सबसे पिछड़ा राज्य है। इसे बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है।

बिहार गांवों का राज्य है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का अभाव है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सड़क, संचार व रोजगार की उपलब्धता न होने के कारण बिहार की युवा आबादी देश के अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में पलायन की शिकार है।

बिहार कृषि प्रधान राज्य है कृषि कार्य में राज्य की लगभग 79% आबादी संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। इसलिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार (1106) प्रथम स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय, धार्मिक व सामाजिक रूढ़िग्रस्तता व्याप्त है। इसलिए बिहार का ग्रामीण क्षेत्र हिंसाग्रस्त है।

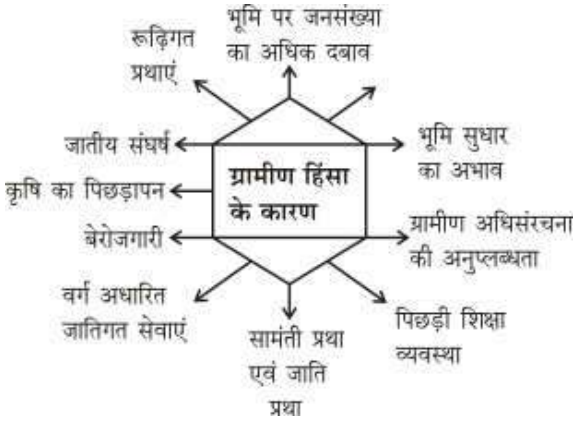

- बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव संसाधनों के वितरण को असमान बना दिया है, इसलिए भूमि, जल, जंगल को लेकर अगड़े-पिछड़ों में हिंसात्मक झड़पें होती रहती हैं।
- राज्य में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। ये भूमिहीन श्रमिक कृषि कार्य पर निर्भर हैं। इनकों जमीदारों द्वारा बहुत कम मजदूरी दी जाती है, जो जमींदारी व श्रमिकों के बीच हिंसा का कारण है।
- बिहार में भूमि का असमान वितरण हुआ है। इसका प्रमुख कारण जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि सुधार कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन न हो पाना है।

- जमींदारी उन्मूलन के बाद भी जमींदारों की सामंती प्रवृत्ति कम नहीं हुई है। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। इससे श्रमिकों द्वारा विरोध जताया जाता है जो हिंसा का कारण बनता है।
- बिहार शैक्षणिक दृष्टि से देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहां ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा, कुप्रथाएं, रूढ़िवादिता जैसे तत्व विद्यमान हैं। इससे लोगों में आधुनिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसात्मक गतिविधियां चलती रहती हैं।
- बिहार के सर्वाधिक गरीब जिलों में माओवादी गतिविधियां भी अपनी विस्तार करती जा रही हैं। ये गरीब बेरोजगार लोगों को अपने साथ मिलाकर उच्च वर्गों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देते हैं।
- बिहार राज्य के आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए उपयुक्त समस्याओं को दूर करना होगा। राज्य के पिछड़ेपन का मुख्य कारण सामाजिक पूंजी एवं संसाधनों की कमी है। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लोग हिंसात्मक गतिविधियों से दूर हो सकेंगे।

प्रश्न-8. निम्नलिखित में से किन्हीं पांच पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें-

उत्तरः-

व्यापक परमाणु निषेध संधि

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (CTBT) परमाणु परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करती है। यह संधि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 सितंबर 1996 को पारित की गई। 24 सितंबर 1996 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

सीटीबीटी संधि पर उन सभी 44 देशों को हस्ताक्षर करना एवं अनुमोदित करना आवश्यक है जो नाभिकीय शक्ति से सम्पन्न हैं। इन देशों में भारत, पाकिस्तान और इजरायल भी शामिल हैं। इन देशों ने अभी तक सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

भारत सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण तथा सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण को उच्च प्राथमिकता देता है। भारत संधि का समर्थन नहीं करता है, और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व से बाध्य नहीं होगा। भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में कोई योगदान नहीं करती है और न ही कोई मानक निर्धारित करती है। 24 सितंबर 1996 को संयुक्त राज्य अमेरिका सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम देश था, जो सभी परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों या अन्य परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन इसने अभी तक संधि को अनुमोदित नहीं किया है।

कुल 184 देशों ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और 168 देशों ने इसे अनुमोदित भी कर दिया है। लेकिन यह संधि तभी लागू होगी जब तक 8 देशों (चीन, कोरिया, मिस्र, भारत, ईरान, इजरायल, पाकिस्तान और यूएसए) के हस्ताक्षर और अनुमोदन नहीं प्राप्त हो जाते हैं।

परमाणु निरस्त्रीकरण समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने संदेश में कहा है कि ''परमाणु पागलपन एक बार फिर उछाल पर है, परमाणु हथियारों की गुणवत्ता व संख्या'' में सुधार पर रोक लगाने और एक परमाणु मुक्त विश्व बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए परमाणु परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।''

क्लोनिंग

किसी जीव का प्रतिरूप बनाने की पद्धति को क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन का अर्थ समरूप होता है। क्लोन अपने जनक से भौतिक एवं आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होता है। इस तकनीक के अंतर्गत प्रायः नाभिकीय अंतरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अतः जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर प्रयोगशाला में किसी कोशिका या जीव का अलैंगिक प्रकार से उत्पादन करना क्लोनिंग कहलाता है।

❖ **लाभ**

- विलुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा।
- कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन।
- अंग प्रत्यारोपण का विकास।
- अनेक रोगों का निदान संभव।
- मानव के विकास एवं रोगों के उपचार।
- महिलाओं में बाँझपन की समस्या का निदान।
- मानव के विशिष्ट गुण को क्लोनिंग के माध्यम से पुनः उत्पन्न करना संभव।
- प्रतिकृति निर्माण में सहायक।

- पौधों एवं जानवरों के आनुवंशिक परिवर्तन को भी क्लोनिंग द्वारा अनुमति प्रदान करना।

❖ **हानि**

- यह तकनीक पूर्णतः सुरक्षित नहीं है।
- सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के समाप्त होने का खतरा तथा नैतिक एवं कानूनी विवाद में वृद्धि होना।
- तकनीक के दुरुपयोग की संभावना एवं अपराध में वृद्धि।
- क्लोनिंग मानव आनुवंशिकी के साथ छेड़छाड़ के लिए सक्षम बनाता है।
- अनैच्छिक गुणों से युक्त उत्पादन की संभावना।
- शारीरिक अंगों की क्लोनिंग सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करना।

गुजराल सिद्धांत

गुजराल सिद्धांत भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सकारात्मक दृष्टिकोण से समायोजित करने का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के वास्तुकार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। इन्होंने अपने एक भाषण में इस सिद्धान्त की रूपरेखा प्रस्तुत की थी।

गुजराल सिद्धांत भारत के निकटस्थ पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के संचालन हेतु पांच सिद्धांतों का समूह है। भारत को एक बड़ा देश होने के कारण अपने पड़ोसियों के प्रति कुछ दायित्व निभाने चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य अपने पड़ोसियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करना है।

- भारत, बांग्लादेश भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ पारस्परिकता की मांग नहीं करता है बल्कि अच्छे विश्वास और सद्भावना से जो कुछ भी कर सकता है प्रदान करता है।
- किसी भी दक्षिण एशियाई देश को अपने क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देश के हितों के विरुद्ध करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- किसी भी देश को दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।
- उन्हें अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाना चाहिए।

भारत सहित दक्षिण एशिया के सभी देशों के मधुर संबंध दक्षिण एशिया की समृद्धि के लिए आवश्यक शर्त है। गुजराल सिद्धांत इसमें प्रभावी व महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री ने भी 'पड़ोसी पहले' के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है।

भारत-बांग्लादेश नदी जल संधि

भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर दोनों देश 54 नदियां साझा करते हैं, इसलिए जल का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि यह दोनों देशों के बीच संबंधों को निर्धारित करने की क्षमता रखता है।

भारत और बांग्लादेश के मध्य नदी जल विवादों को दूर करने के लिए 1972 में 'संयुक्त नदी आयोग' का गठन द्विपक्षीय तंत्र के रूप में किया गया था जिससे कि सीमावर्ती नदियों पर पारस्परिक हित के मुददों को हल किया जा सके। संयुक्त नदी आयोग का नेतृत्व दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री करते हैं।

भारत-बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी जल बंटवारे पर 12 दिसंबर, 1996 को संधि पर हस्ताक्षर किया गया। यह संधि तीस सालों तक प्रभावी रहेगी और उसके बाद परस्पर सहमति से इसका नवीनीकरण किया जाएगा, इस संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है।

भारत-बांग्लादेश के बीच छह अन्य नदियों यथा मानू, मुहरी, कोवई, गुमती, जलढाका और तोरसा के जल बंटवारे को लेकर समझौते हुए हैं। दोनों देशों के मध्य 54 नदियों में से 7 की पहचान प्राथमिकता के आधार पर जल बंटवारे के समझौतों के ढांचे विकसित करने के लिए की गई है। नवीनतम बैठक में डेटा आदान - प्रदान के लिए आठ और नदियों को शामिल किया जाना तय हुआ है।

भारत-बांग्लादेश के मध्य फेनी, तीस्ता, और कुशियारा नदी जल बंटवारे के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है।

मानसून के मौसम के दौरान भारत से बांग्लादेश की ओर गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी प्रमुख नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान आंकड़ों के प्रेषण की एक प्रणाली स्थापित की गई है।

बिहार लोक सेवा आयोग
42वीं मुख्य परीक्षा, 1997
प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन)

SECTION-I

प्रश्न-1. बिरसा आंन्दोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजाति शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना कीजिए।

उत्तर- मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के प्रमुख आदिवासी विद्रोहों में से एक था। 1899-1900 के दौरान बिरसा मुंडा ने राँची के दक्षिण क्षेत्र में आंदोलन के समन्वयक के रूप में कार्य किया। यह अनिवार्यतः एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसने मुंडा समाज को दिकुओं से मुक्त करने और मुण्डा जनजाति का उत्थान करने का प्रयास किया।

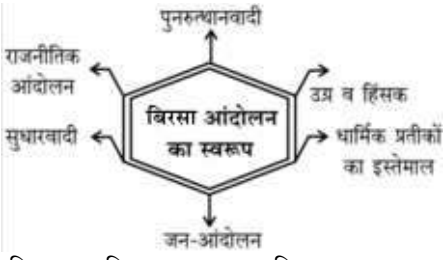

- बिरसा आंदोलन विभिन्न उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया था, इसलिए इसका स्वरूप मिश्रित था।
- इस आंदोलन का उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन तथा धार्मिक पुनरुत्थान जैसे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करना था।
- यह आंदोलन एक नया धर्म, नवीन दर्शन, नवीन आचार-संहिता की शुरुआत करने हेतु प्रेरित था। इसलिए इसे पुनरुत्थानवादी आन्दोलन कहा जाता है।
- बिरसा मुण्डा आन्दोलन सरदारी आंदोलन के विपरीत उग्र और हिंसक था।
- बिरसा मुंडा ने आंदोलन के प्रचार-प्रसार के लिए धर्म का भी सहारा लिया और स्वयं को ईश्वरीय शक्ति से युक्त माना।
- बिरसा मुण्डा ने इस आंदोलन को जनांदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों तथा युवाओं की प्रमुख भूमिका रही।
- यह आंदोलन अपने विस्तार एवं उद्देश्यों के संदर्भ में राजनीतिक स्वरूप का भी माना जाता है।
- इस आंदोलन में शोषकों से आजादी के लिए मुण्डा आदिवासियों को कई अन्य शोषित आदिवासी समुदायों का भी सहयोग मिला।

बिरसा आन्दोलन सबसे महत्वपूर्ण एवं आक्रामक आदिवासी आन्दोलन था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इस आन्दोलन की प्रशंसा की और देशवासियों को बिरसा के त्याग से प्रेरणा लेने को कहा। इंग्लिशमैन, पॉयनियर एवं स्टेट्समैन जैसे अखबारों में इस आन्दोलन के दमन की आलोचना की गई थी।

बिरसा आन्दोलन के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में काश्तकारी अधिनियम में परिवर्तन लाया गया। इन क्षेत्रों में बंगाल काश्तकारी अधिनियम के स्थान पर 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी कानून लागू किया गया। इसमें स्थानीय परंपरागत अधिकारों का समावेश किया गया तथा जनजातियों के पुश्तैनी भूमि के अधिकार (खूटकूटी कृषि व्यवस्था) को कानूनी मान्यता दी गई।

प्रश्न-2. स्वातंत्र्य आन्दोलन के इतिहास में चम्पारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- बिहार में किसान आंदोलन की एक समृद्ध परम्परा रही है। पूरे देश की तरह बिहार में भी किसान जमींदारों एवं ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शोषित थे। बिहार में जहाँ कहीं भी नील की खेती होती थी, वहाँ अन्याय एवं शोषण का सबसे विकृत रूप दिखाई पड़ता था। 19वीं सदी का बिहार अनेक किसान संघर्ष का साक्षी रहा है।

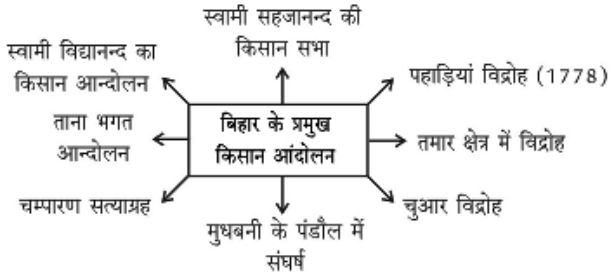

चम्पारण किसान सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम किसान आन्दोलन था। चम्पारण में निलहों के द्वारा किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार किये जाते थे। चम्पारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के आरम्भ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था इसे 'तिनकठिया पद्धति' कहते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में जर्मनी के रासायनिक दंगों ने भारतीय नील को बाजार से बाहर दिया। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा और किसानों को अनुबंध से मुक्त करने हेतु लगान एवं गैरकानूनी अब्बाबों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसान अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से मुक्ति पाने हेतु उद्वेलित थे। 1917 में चम्पारण के राजकुमार शुक्ल, ने गाँधी जी को चम्पारण आने के लिए मनाया। गाँधी जी 10 अप्रैल, 1917 को पटना और 15 अप्रैल को मोतिहारी (चम्पारण) पहुँचे। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वहाँ से तुरंत चले जाने का आदेश दिया। गाँधी जी ने इस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया। अंग्रेजी शासन ने अंततः गाँधीजी को चम्पारण के गाँवों में जाने की छूट देने का निर्देश दिया।

गाँधी जी अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर, राजेन्द्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जे.बी. कृपलानी, तथा बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों के साथ सवेरे गाँव-गाँव में निकल जाते और दिन भर घूम-घूमकर बयान दर्ज करते। इसी बीच सरकार द्वारा सारे मामले की जाँच हेतु एक आयोग को भी बनाया गया। गाँधी जी द्वारा काफी सबूत प्रस्तुत किये गये। आयोग को यह समझाने में कि तिनकठिया पद्धति खत्म होनी चाहिए, उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई। अंततः सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त घोषित किया और बागान मालिकों द्वारा अवैध वसूली का 25 प्रतिशत वापस कराने में गाँधी जी सफल हुए। इस आन्दोलन में गाँधी जी को व्यापक जनसमर्थन मिला। यह सत्य है कि आन्दोलन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और एक सीमित दायरे में ही कैद रहा। यह भूमि संबंधी गंभीर मुद्दों को छू तक न सका। फिर भी इस आंदोलन की सफलता ने जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ प्रदान किया वहीं बिहार के किसानों को अंग्रेजों/जमींदारों से लड़ने का साहस प्रदान किया।

चम्पारण सत्याग्रह के पश्चात बिहार में हुए अन्य कृषक आन्दोलनों में महात्मा गाँधी से प्रभावित होकर छपरा जिला के विभूषण प्रसाद ने दरभंगा जिला के दरभंगा राज एवं उनके गुमाइश्तों की ज्यादतियों के विरुद्ध जबर्दस्त किसान आंदोलन की शुरुआत की।

बिहार में स्वामी सहजानन्द सरस्वती द्वारा किसानों के हितों को लेकर एक लम्बा संघर्ष किया गया। इनके द्वारा निर्मित किसान सभा का उद्देश्य किसान संघर्ष को प्रोत्साहित करना, उनके दुःख को दूर करना था। 1929 ई. में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना तथा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किसानों के हितों को लेकर संघर्षशील आन्दोलन की कड़ी थे।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बिहार में चले किसान आन्दोलनों ने संगठित एवं असंगठित किसानों के भीतर सामंतवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी चेतना का विस्तार किया। इन किसानों ने आन्दोलनों में गाँधीवादी आंदोलन की नीति एवं विचारधारा मार्गदर्शक की भूमिका में थी। गाँधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि तिनकठिया पद्धति जो लगभग एक सदी से अस्तित्व में थी, इस तरह समाप्त कर दी गयी और इसके साथ ही प्लांटरों का राज भी समाप्त हो गया।

प्रश्न-3. यांत्रिकी शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में बिहार में 1900 से 1947 के दौरान पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का विवरण दीजिए।

उत्तर- शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की विरासत गौरवशाली रही है। प्राचीन काल से ही शिक्षा में बिहार को एक विशिष्ट पहचान मिली हुई थी। इस काल में 19वीं सदी के दूसरे दशक से बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई और शिक्षा के कई केन्द्र खुलते चले गये, पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा में ज्ञान-विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा प्रदान करना था।

पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार

आधुनिक भारत के शिक्षा के क्षेत्र में 1835 एक महत्त्वपूर्ण वर्ष था। लॉर्ड विलियम बैंटिक ने घोषणा की थी कि शिक्षा के लिए जो कुछ भी कोश मंजूर हो उसे केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए खर्च किया जाय। परिणामस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया, बिहारशरीफ, भागलपुर, पटना, आरा, छपरा आदि में जिला स्कूल स्थापित हुए।

1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के अनुसार, 1958 में कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। वुड डिस्पैच में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया था। इसे ध्यान में रखते हुए 1863 में पटना कालेज की स्थापना, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, पटना कालेज के कला विभाग के स्नातकोत्तर विभाग 1917 ई. में और भौतिकी तथा रसायन विभाग के विभाग 1919 ई. में खोले गये। विज्ञान संबंधित उच्च शिक्षा देने के लिए 1928 में एक स्वतंत्र विद्यालय की हैसियत से पटना साइंस कालेज स्थापित किया गया। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई तथा 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई।

सैंडलर आयोग (1917-1919) ने व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी डिप्लोमा एवं डिग्री की उपाधि का प्रबंध करने की बात की तथा व्यावसायिक कॉलेज खोलने की बात कही। पशुधन के विकास के लिए 1930 ई. में पटना में पशु चिकित्सा (वेटनरी) कॉलेज की स्थापना की गई, खनिज संसाधनों के उचित दोहन के लिए 1926 ई. में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (धनबाद) की स्थापना की गई, तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा देने के लिए 'पटना इंजीनियरिंग कॉलेज' की स्थापना की गई।

शिक्षा के प्रचार-प्रसार में स्वयंसेवी संस्थाओं तथा प्रमुख व्यक्तियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुजफ्फरपुर में 'बिहार साइंटिफिक सोसाइटी' की स्थापना इमदाद अली खान के द्वारा की गई। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कटक तथा बांकीपुर में कन्या विद्यालय भी खोले गये। ब्रिटिश सरकार तथा शिक्षा पर उठाये गये कदम सीमित तथा अपर्याप्त थे। शिक्षा के केन्द्र कुछ

प्रमुख स्थानों पर थे तथा उनका फैलाव पूरे राज्य में नहीं हुआ था। तकनीकी शिक्षा का विकास नगण्य था। फिर भी ब्रिटिश काल में तकनीकी शिक्षा के प्रसार की शुरूआत हुई थी। जो बाद में एक आधार के रूप में प्रयुक्त की गई।

निष्कर्षतः अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से बिहार की आर्थिक प्रगति के द्वार खुले। तत्कालीन पाठशाला, मकतब, मदरसे पर आधारित शिक्षा की जगह विज्ञान एवं कौशल पर आधारित स्कूली शिक्षा ने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की कड़ी मानकर बिहार सरकार ने भी माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी बहुउद्देशीय स्कूल स्थापित किया।

प्रश्न-4. बिहार में प्राप्त मौर्य कला के वैशिष्ट्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- मौर्य कला भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है, क्योंकि इसी समय कला में मिट्टी या लकड़ी के जगह पत्थर के प्रयोग से कला को स्थिरता एवं निरंतरता प्राप्त होती है। बिहार में कला की प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य मौर्यकाल से उपलब्ध होने लगते हैं।

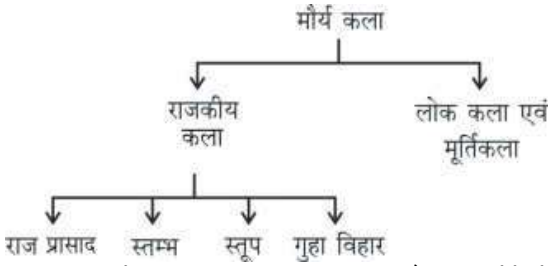

राज प्रासाद– मौर्ययुगीन शासकों के राजप्रासाद अत्यन्त विशाल और भव्य होते थे। पाटलिपुत्र में स्थित चन्द्रगुप्त मौर्य के राजाप्रसाद के सम्बन्ध में एरियन ने कहा है कि चन्द्रगुप्त का राजप्रासाद एशिया के सूसा और एकवतना के भवनों से बड़ा था। यह राजप्रासाद पटना के समीप कुम्रहार नामक ग्राम के पास था। कुम्रहार में इस भवन के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे इसकी भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सभा भवन में अब तक 40 स्तम्भ मिले हैं इस भवन के फर्श व छत काष्ठ के थे। इस भवन का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ था तथा उन पर चमकदार पॉलिश की गई थी। फाह्यान ने इस राजप्रासाद के बारे में लिखा है कि ''यह प्रसाद मानव कृति नहीं है, वरन देवों द्वारा निर्मित है।''

स्तम्भः–अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए बनवाये गये स्तम्भ काफी ऊँचे हैं। इनके शीर्ष पर पशुओं के आकार हैं, जिनके नीचे उल्टे हुए कमल के फूल के समान आसन भी हैं। अशोक के एकाश्मक स्तंभ विहार में चार स्थानों पर पाए गए हैं– लौरिया नंदनगढ़ (प. चंपारण) लौरिया- अरेराज (पूर्वी चंपारण), बसाढ़ (वैशाली), रामपूर्वा (प. चंपारण)

स्तूप

महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को आठ भागों में बाँटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, जिसे स्तूप कहा जाता है। यह गोल आकृति के आधार पर स्थित पाषाण अथवा ईंटों के ठोस गुम्बद के आकार का होता है। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अफगानिस्तान और भारत में 84000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उसके द्वारा निर्मित स्तूपों को तक्षशिला, वैशाली, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रीनगर एवं मथुरा में देखा जा सकता है।

गुहा विहार

मौर्य काल में वास्तुकला के अन्तर्गत एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव हुआ जिसका जन्मदाता अशोक था। अशोक ने भिक्षुओं के निवास के लिए पाषाणों को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया। जहानाबाद में स्थित बराबर की पहाड़ियों की गुफाएँ मौर्यकालीन स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण हैं। अशोक ने सुदामा गुफा आजीवक भिक्षुओं को दान में दिया। राजगीर स्थित सोन भंडार की गुफाएं भी इसी क्रम की उपलब्धि हैं। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का प्रयोग इनकी विशिष्टता है गुफा का बाहर का मुखमंडप आयताकार है किंतु छत गोलाकार है।

लोक कला एवं मूर्तिकला

मौर्य काल में मूर्तियाँ बनाने की कला अत्यन्त विकसित थी। इस काल में पशुओं की विभिन्न मूर्तियाँ बनी। पशु आकृतियों के अतिरिक्त मूर्तिकला की आरंभिक मिशालें पटना से प्राप्त यक्षों की दो मूर्तियाँ हैं। लोहानीपुर (पटना) से दो नग्न पुरूषों की मूर्तियाँ मिली हैं जो संभवतः जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ हैं। मूर्तिकला का अद्भुत नमूना पटना के दीदारगंज से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति है जिसे दीदारगंज यक्षी नाम दिया गया है। मटियाले भूरे रंग में बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति सीधी खड़ी हुई मुद्रा में है। इस अद्भुत कलाकृति पर भी मौर्य कालीन चमकीली पॉलिश का प्रयोग हुआ है।

मौर्यकालीन कला भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। मौर्य कला के अन्तर्गत काष्ठ के स्थान पर पाषाणों के प्रयोग ने कला को स्थायी रूप प्रदान किया। इस प्रकार भारतीय कला में मौर्यकालीन कला का महत्वपूर्ण स्थान है।

SECTION-II

प्रश्न-5. वर्तमान भारतीय समाज में सांप्रदायिकता सर्वाधिक खतरनाक समस्या है। चर्चा कीजिए।

उत्तर- साम्प्रदायिकता, समकालीन बहुलवादी भारतीय समाज के समक्ष मौजूद एक बड़ी समस्या है। यह भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को ही चुनौती देती है। सांप्रदायिकता का आशय एक ऐसी अवस्था से है, जो नकारात्मक मनोवैज्ञानिक विचारधारा

सम्प्रदायवाद के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। इस अवस्था में एक सम्प्रदाय के लोगों के मन में विद्वेष की भावना व्याप्त हो जाती है, उसके बाद साम्प्रदायिकता का उदय होता है।

सांप्रदायिकता देश के हर हिस्से में किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट हो रही है, इसलिए सांप्रदायिकता वर्तमान भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

रामधारी सिंह दिनकर ने 'संस्कृति के चार अध्याय' में लिखा है कि ''सांप्रदायिकता संक्रामक रोग है जब एक जाति भयानक रूप से सांप्रदायिक हो उठती है, तब दूसरी जाति भी अपने अस्तित्व का ध्यान करने लगती है और उसके भाव भी शुद्ध नहीं रह जाते हैं।''

भारत एक बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं बहुभाषायी देश है, इसलिए सांप्रदायिक भावनाएं बलवती होती रहती हैं। लेकिन सांप्रदायिकता सदैव घातक नहीं होती है। सांप्रदायिकता को राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर घातक बना दिया जाता है।

यह निश्चित है कि सांप्रदायिकता और धर्म का कोई मेल नहीं है। लेकिन सांप्रदायिकता का केंद्र धर्म होता है। यही कारण है कि धर्मस्थलों को चोट पहुंचाकर एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति भड़काया जाता है। क्योंकि धार्मिक भावना से खेलना आसान होता है।

भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत औपनिवेशिक शासन की देन है, जिसका वीभत्स रूप भारत के विभाजन के रूप में देखा गया। अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो नीति के तहत सांप्रदायिकता का बीजारोपण किया था, जिसका फल भारत को निरंतर दंगों के रूप में प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के तौर पर देश विभाजन, 1984 का सिख विरोधी दंगा बाबरी मस्जिद रामजन्म भूमि विवाद, गुजरात दंगे, मुजफ्फरपुर दंगे 2013, मणिपुर दंगे इत्यादि को देखा जा सकता है।

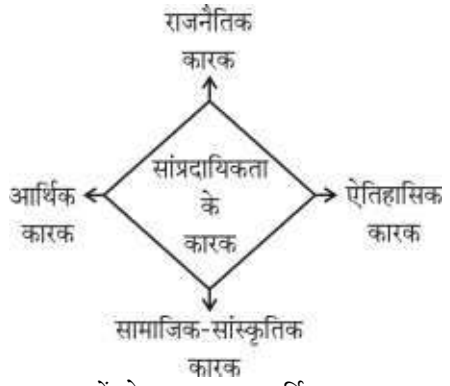

सांप्रदायिकता नकारात्मक दृष्टि से अन्य समूहों से अलग एक धार्मिक पहचान पर जोर देता है जिसमें दूसरे समूहों के हितों को नजरअंदाज कर, पहले स्वयं के हितों की पूर्ति करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। सांप्रदायिकता देश के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। जो देश के विकास को प्रभावित करती हैं।

भारत की सांप्रदायिक समस्याएं देश की एकता एवं अखंडता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। सांप्रदायिक हिंसा को सामूहिक प्रयासों से धार्मिक सदभाव को बढ़ावा देकर रोका जा सकता है।

प्रश्न-6. बिहार में जातिवादी राजनीति पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए?

उत्तर- भारत में आजादी के बाद से प्रत्येक राज्यों में जाति एवं वर्ग आधारित राजनीति की शुरुआत हो गई थी। जाति भारत में अपने शासन को न्यायोचित ठहराने का एक साधन बन गया था। इसने भारतीय समाज में जातिगत संघर्ष को जन्म दे दिया। बिहार की राजनीति में हमेशा जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। बिहार जैसे राज्य बुरी तरह से खाद्यान्न की कमी से प्रभावित थे। और उन्हें बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया।

- बिहार आन्दोलन से पहले के दशक में कृषि मुख्य रूप से कुछ जातियों के हाथों में थी। और उन्हें हमेशा नीचा समझा जाता था। 1970 के दशक में पिछड़ी जातियां राजनीतिक सत्ता के लिए मुखर हो गई इनका नेतृत्व मुख्यतः तीन मध्यवर्ती कृषि जातियों उदाहरण- कोइरी, कुर्मी और यादव द्वारा किया गया।
- बिहार में जाति आधारित राजनीति बहुत तेजी से अपने पैर फैलती जा रही है।
- आजादी के बाद कुछ वर्षों तक कांग्रेस में अगड़ी जातियों का बिहार के राजनीतिक विसात में वर्चस्व था। सत्ता के पदों पर निचली जातियों का योगदान बढ़ने लगा और शासन सत्ता में प्रमुख अंग बन गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह रही कि पिछड़ी जातियों का शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे।

- शोध से पता चला, कि राजनीतिक विचारधारा, भागीदारी, आय और राज्य की क्षमता जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखने के बाद भी, उच्च जातियों के अधिक प्रतिनिधित्व से पुनर्वितरण नीतियों के बजाय विकास-उन्मुख पर अधिक केन्द्रित होना चाहिए।
- जाति एव वर्ग आधारित प्रतिनिधित्व न केवल चुनाव के परिणाम समझने में, बल्कि नीति के लिए भी मायने रखता है। इस प्रकार जाति बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने साबित किया कि कैसे जाति एवं वर्ग का राजनीतिकरण एक दोहरी प्रक्रिया है। जातियों के राजनीति की उतनी जरूरत है जितनी की राजनीति को जातियों एवं वर्गो की आवश्यकता हुई।
- जब जाति समूह राजनीति को अपनी गतिविधियों के क्षेत्र बनाते हैं। तब जाति समूहों के भी अपनी पहचान बनाने और पद के लिए प्रयास करने का मौका मिलता है। भारतीय राजनीति में राजनीतिक सत्ता के लिये प्रमुख जाति समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा के सन्दर्भ में भी देखा गया है।

प्रश्न-7. हाल ही में भारत-पाक संबंधों में गिरावट आई है। क्या आप इससे सहमत हैं?

उत्तर- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिलने के पश्चात् पाकिस्तान भारत से ''द्विराष्ट्र सिद्धांत'' पर अलग हुआ था। भारत पकिस्तान के साथ भाषाई, सांस्कृतिक भौगोलिक, आर्थिक और जातीय संबंध साझा करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते आपसी मतभेद, शत्रुता और संदेह के कारण पिछले 75 सालों से बेहतर नहीं हो पाये हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् अब तक भारत-पाक के बीच चार युद्ध हो चुके हैं। रिश्तों में आई कटुता को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच शिमला समझौता, लाहौर घोषणा पत्र जैसे कदम उठाए गये।

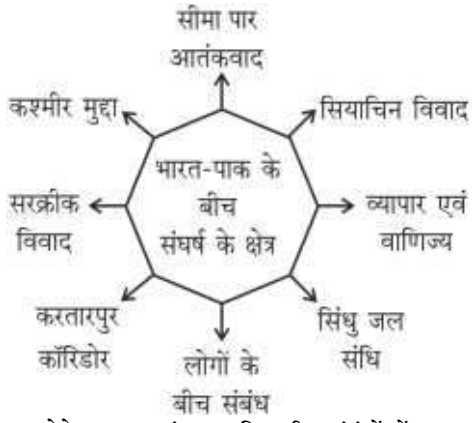

- पाकिस्तान के नियंत्रण क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद द्वि-पक्षीय संबंधों में एक मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है। भारत ने लगातार सीमा पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। भारत द्वारा पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी गयी कि जब तक सीमा पर आतंकवाद पर अंकुश नहीं लगता तब तक किसी प्रकार की बात-चीत पर सहमति नहीं बन सकती।
- उरी व पुलवामा घटना के पश्चात् भारत-पाक के व्यापारिक संबंधों में गिरावट आई है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से निर्यात पर सीमा शुल्क 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।
- हाल ही में भारत-पाक के बीच सिंधु जल आयोग की 118वीं बैठक (2022) पाकिस्तान में सम्पन्न हुई। सिंधु जल संधि के तहत सिंधु प्रणाली की छह नदियों के जल प्रयोग को लेकर समझौता हुआ था।
- भारत-पाकिस्तान के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा कश्मीर मुद्दा है जो दोनों देशों के रिश्तों में खटास का एक प्रमुख कारण है। अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान, अलग झंडा रखने और अपने नियम रखने का विशेष अधिकार दिया था, लेकिन अगस्त, 2019 में अनुच्छेद-370 को हटा दिया गया और जम्मू-कश्मीर अब सभी के लिए समान भारतीय संविधान का पालन करता है।
- 1972 के शिमला समझौते में सियाचिन इलाके को बेजान और बंजर करार दिया गया था, लेकिन इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ। उसके बाद इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। इस ग्लेशियर के ऊपरी भाग पर भारत का और निचले भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है।
- सरक्रीक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ। सरक्रीक विवाद दरअसल 60 किमी. लम्बी दलदली जमीन का विवाद है जो भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के राज्य सिंध के बीच स्थित है।

दोनों देशों के बीच जटिल संबंधों को लेकर चिंता का सबसे बड़ा कारण सीमा पार आतंकवाद है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। कि यदि पाकिस्तान खतरे की रेखा पर करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि पाकिस्तान भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहता है। तो उसे सीमा पर अपना दुःस्साहस छोड़ना होगा तथा भारत के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने होंगे।

इस प्रकार केवल कुछ छोटी-मोटी कार्यवाहियों से दोनों देशों के बीच स्थायी शांति या मैत्री का युग नहीं आयेगा। भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध ठोस रणनीति बनानी होगी तथा नई सोच के साथ कार्य करना होगा। पाकिस्तान को अपनी भूमि से संचालित आतंकवाद को बंद करना होगा तथा मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंपना होगा। यदि पाकिस्तान ऐसा करता है और अतीत की भूलों को नहीं दोहराता है तो भारत-पाक संबंध पुनः स्थापित हो सकते हैं।

प्रश्न-8. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

उत्तर-

(1) गंगा शोधन योजना

गंगा नदी का दक्षिण एशिया में महत्त्वपूर्ण आर्थिक पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्त्व है। हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इस नदी की लंबाई उत्तर और पूर्वी भारत के मैदानों में 2500 किमी. से भी अधिक है। गंगा बेसिन जो नेपाल, चीन और बांग्लादेश के भागों में भी पड़ता है, भारत का 26% भूभाग, इसके 30 प्रतिशत जल संसाधन और इसकी 40 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या शामिल है।

गंगा नदी का इतना महत्त्व होने के बावजूद भी अत्यधिक प्रदूषण दबावों के कारण गंगा की जैवविविधता तथा पर्यावरण को गंभीर खतरा है। गंगा की सफाई के लिए 1985 में गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन यह योजना गंगा सफाई के लक्ष्य से कोसों दूर थी। इस योजना की कमियों को दूर कर भारत सरकार द्वारा एक बहु-क्षेत्रीय, नदी बेसिन दृष्टिकोण के माध्यम से इस नदी के व्यापक प्रबंधन हेतु 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया।

गंगा सफाई को पूर्ण करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत केन्द्र सरकार द्वारा जून 2014 में 20 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय से शुरू किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी क्रियान्वयन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया गया था।

- नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तम्भ निम्न हैं:-

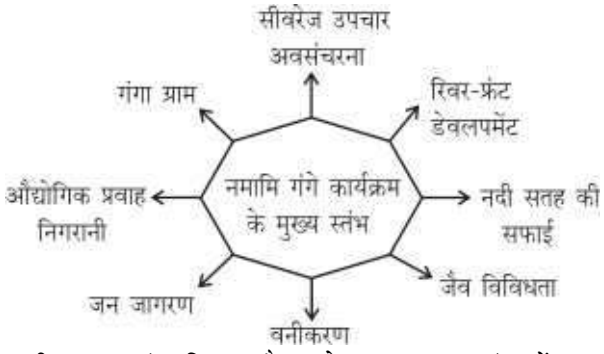

नमामि गंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम (2021-26) के दूसरे चरण में छोटी नदियों और आर्द्रभूमि पुनरुद्धार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जलशक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है।

(2) अंटार्कटिका अभियान

भारतीय अंटार्कटिका अभियान 1981 में शुरू हुआ था। पहला अभियान दल डा० एस. जेड. कासिम के नेतृत्व में गया था जिसमें 21 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों की एक टीम शामिल थी। अब तक 42 अभियान संचालित किए जा चुके हैं।

भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम ने अंर्टाकटिका में तीन स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन स्थापित किया है जिनका नाम है- दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। वर्तमान में दो बेस स्टेशन मैत्री और भारती चालू हैं। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का प्रबंधन करता है।

अंटार्कटिका क्षेत्र के प्रति वैश्विक आकर्षण का मुख्य कारण इसकी परमाणु ऊर्जा खनिजों से संपन्न होना है। इसलिए भारत द्वारा भी इस क्षेत्र के प्रति रुझान, अनुसंधान एंव सबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भारतीय संसद द्वारा भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 पारित किया गया है। इस विधेयक में अंटार्कटिका से संबंधित नीतियों के निर्धारण के लिए 'भारतीय अंटार्कटिका प्राधिकरण' की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। इसका संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

यह विधेयक भारत की अंटार्कटिका गतिविधियों के कुशल व वैकल्पिक संचालन के लिए एक नियामक ढाँचा तैयार करने की व्यवस्था करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होगा।

अंटार्कटिका क्षेत्र एक वैश्विक क्षेत्राधिकार का स्थल है। यहाँ सभी देशों का बराबर का अधिकार है। इस क्षेत्र की पर्यावरण एवं परिस्थितिकी को क्षति पहुँचाए बिना वैज्ञानिक अनुसंधानों से संबंधित पर्यटन यात्राएं की जानी चाहिए।

(3) कोसोवो संकट

कोसोवो बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक नव स्वतंत्र देश है। कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से अपने को स्वतंत्र देश घोषित किया। कोसोवो द्वारा स्वतंत्रता की एकतरफा घोषणा थी, इसलिए सर्बिया कोसोवो की संप्रभुता को मान्यता नहीं देता है और इसे अपना हिस्सा मानता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों सहित लगभग 100 देशों ने कोसोवो को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है।

कोसोवो विभिन्न जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों का निवास स्थल है। यहां 1.8 मिलियन लोगों में से 92% अल्बानियाई और केवल 6% सर्व जाति के लोग रहते हैं। अल्बानियाई लोग मुस्लिम धर्म के हैं जबकि सर्बियाई लोग रूढ़िवादी ईसाई हैं। दो प्रतिशत जनसंख्या बोस्नियाई और तुर्की है।

आटोमन शासन के दौरान कोसोवो में जातीय और धार्मिक संतुलन में बदलाव आया, यह क्षेत्र अल्बानियाई मुसलमानों के बहुमत वाला क्षेत्र हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोसोवो सर्बिया का एक प्रांत बना गया है। 1980 के दशक में कोसोवो अल्बानियाई लोगों ने सर्बिया से अलग होने की मांग की। इनके द्वारा कोसोवो लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया। इस संगठन ने सर्बियाई शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सर्बिया ने 1998-1999 में भारी सेना तैनात करके विद्रोह को कुचल दिया।

कोसोवो की सहायता के लिए 1999 में नाटो ने शांति सैनिक तैनात किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1244 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्त्व वाले एक संक्रमण कालीन प्रशासन ने कोसोवो का नेतृत्त्व संभाला।

भारत, चीन और रूस जैसे जैसे देश कोसोवो को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से लगभग 100 से अधिक देशों ने मान्यता प्रदान की है। कोसोवो और सर्बिया के मध्य अभी विवाद चलता ही जा रहा है।

भारत में एच. आई वी./एड्स का पहला मामला वर्ष 1986 में सामने आया था। इसके पश्चात यह बड़ी तीव्रता से पूरे देश में फैला। वर्तमान समय में प्रत्येक 10000 व्यक्तियों में से लगभग 22 व्यक्ति HIV से संक्रमित हैं। भारत में तकरीबन 21.40 लाख लोग HIV – AIDS संक्रमित हैं।

भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) की स्थापना की, जो अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एड्स विभाग बन गया है। विकसित देशों की तरह, भारत में एड्स महामारी का मुकाबला करने हेतु वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुविधाओं, उपकरणों एवं चिकित्सा विशेषज्ञों की सुविधाएं विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

NACO ऐसे भारत की कल्पना करता है जहाँ HIV से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति की गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुँच हो और उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। अनुसंधान एवं मूल्यांकन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रणनीतिक सूचना प्रबंधन का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन अनुसंधान परिणामों को प्रोग्रामेटिक कार्यवाही और नीति निर्माण में अनुवाद सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

- HIV/AIDS अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय योजना।
- हितधारकों के साथ साझेदारी और नेटवर्किंग।
- HIV/AIDS अनुसंधान के लिए क्षमता निर्माण में सहायता करना।
- प्रमुख कार्यक्रम का संचालन करना,
- NACO के राष्ट्रीय HIV/AIDS अनुसंधान योजना का क्रियान्वयन।

HIV/AIDS अनुसंधान संस्थाओं के बीच सहयोग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए HIV/AIDS अनुसंधान के लिए भारतीय संस्थानों का नेटवर्क नामक एक अनुसंधान संघ की स्थापना की गयी है। जिसका उद्देश्य महामारी विज्ञान, व्यवहारिक, सामाजिक और जैव-चिकित्सा विषयों के परिचालन, अनुसंधान और मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाना है।

भारत सरकार ने 1992 में एड्स विरोधी अभियान के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य देश HIV संक्रमण के प्रसार एवं प्रभाव को कम करना था। इसी तरह यह पाँच चरणों से होकर गुजरा। पाँचवें चरण का प्रमुख उद्देश्य HIV के नये मामलों में कमी लाना, HIV प्रभावित लोगों को आवश्यक उपचार एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

HIV/AIDS के कारण

- संक्रमित व्यक्ति से संभोग करना।
- संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाना।
- संक्रमित सुई का उपयोग।
- संक्रमित माँ से गर्भ में पल रहे शिशु में।
- संक्रमित माँ द्वारा स्तनपान कराना।

एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु संक्रमण के बाद होती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य सतर्क एवं निर्धारित समेकित प्रक्रिया के द्वारा HIV संक्रमण के मामले को तेजी से घटाना एवं इस बीमारी से निटपने संबंधी प्रक्रिया को और बल प्रदान करना है।

बचाव के उपाय

- सघन प्रचार प्रसार द्वारा जागरूकता लाना।
- संभोग करते समय उच्च गुणवत्ता वाले कण्डोम का प्रयोग।
- पेशेवर सेक्स वर्कर का नियमित रक्त परीक्षण कराना।
- रक्त चढ़ाते समय उसका पूर्व परीक्षण करना।
- संक्रमित व्यक्ति का उचित उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना।
- एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी का सही से पालन एवं क्रियान्वयन।

HIV/AIDS के रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण हेतु वैश्विक एवं स्थानीय दोनों स्तरों पर संसाधनों, तकनीकी स्तर पर सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है।

बिहार लोक सेवा आयोग
43वीं मुख्य परीक्षा, 2001
प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन)

SECTION-I

प्रश्न-1. संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। व्याख्या कीजिए।

उत्तर- आदिवासियों के विद्रोहों में संथाल विद्रोह सबसे आक्रामक व जबरदस्त था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन-ए-कोह संथाल बाहुल्य क्षेत्र था संथाल लोगों ने गैर-आदिवासी लोगों को इस क्षेत्र से बाहर निकालने और उनकी सत्ता को पूर्णतः समाप्त करने के लिए संगठित विद्रोह की शुरुआत जुलाई 1855 में किया था।

संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम व्यापक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह का केन्द्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा किये जाने वाला शोषण व अत्याचार था।

संथाल विद्रोह एक संगठित विद्रोह था। इनके नेतृत्वकर्त्ताओं ने पुरुषों एवं महिलाओं को संघर्ष करने के लिए तैयार किया। इनकी सेना लगभग 60 हजार तक हो चुकी थी। विद्रोहियों ने महाजनों और जमीदारों पर हमला बोला, उनके मकान जला डाले, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकखानों को जला दिया। इन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के शोषण के प्रतीक सभी स्थानों व माध्यमों पर हमला किया।

संथाल आदिवासियों के संगठित विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना का सहारा लिया गया। एक मेजर जनरल के नेतृत्व में 10 टुकड़ियाँ भेजी गई थी। उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया और विद्रोही नेताओं को पकड़ने पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

संथाल विद्रोह का दमन बड़ी क्रूरता से किया गया। इस आन्दोलन के संगठित स्वरूप के कारण इसमें जनशक्ति व सामूहिक भावना विद्यमान थी। संथाल विद्रोहियों की संख्या 60 हजार के पार पहुँच गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सुनियोजित सत्ता से टकराना था। संथाल विद्रोह की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगना की स्थापना की और संथालियों का अपनी भूमि, अपना शासन और अपने क्षेत्र का सपना सरकार हुआ।

प्रश्न-2. 1857 के विद्रोह में कुँवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर- वीर कुंवर सिंह भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज वह स्वर्णिम नाम है जिसकी चमक युगों-युगों तक बरकरार रहेगी। इन्हें '1857 की क्रांति का महानायक' भी कहा जाता है। इनका जन्म 23 अप्रैल 1777 ई. को बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी।

बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत मुख्यतः जगदीशपुर से होती है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभालते ही सर्वप्रथम आरा पर अधिकार कर लिया और स्वयं को आरा का शासक घोषित कर दिया। आरा में बंधक ब्रिटिशों को छुड़ाने के लिए लगभग 415 सैनिकों का सैन्य दल दानापुर भेजा गया। इस दल का नेतृत्व कैप्टन डूनबर कर रहा था लेकिन कुंवर सिंह के नेतृत्व में तैयार लड़ाकों ने कैप्टन डूनबर के नेतृत्व में भेजे गये सैन्यदल को पराजित कर दिया।

जुलाई के अंत तक मेजर बिसेंट आयर ने आरा की ओर कूच किया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, परन्तु कुंवर सिंह बहुत समय तक आरा की रक्षा नहीं कर पाये और अपने पैतृक गाँव चले गये। यहाँ से कुंवर सिंह कानपुर जीतने में सहायता प्रदान करने के लिए नाना साहब के पास चले गये।

कानपुर के युद्ध में भाग लेने के पश्चात् कुंवर सिंह दिसम्बर, 1857 में लखनऊ पहुँचे, जहाँ पर अवध के नवाब ने उन्हें शाही पोशाक से सम्मानित किया और आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की जागीर प्रदान की। मार्च, 1858 में उन्होंने आजमगढ़ को अधिकृत कर लिया। 22 मार्च, 1858 को कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने अतरौलिया, आजमगढ़ में एक बहुत बड़ा आकस्मिक हमला किया तथा कर्नल मिलमैन के नेतृत्व वाले ब्रिटिश सैन्य दल को आजमगढ़ तक वापस खदेड़ दिया।

गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने मार्क कीर तथा सर एडवर्ड लुगार्ड को कुंवर सिंह पर दबाव डालने एवं आजमगढ़ को मुक्त कराने के लिए भेजा, लेकिन कुंवर सिंह ने उन्हें हरा दिया। यहाँ से कुंवर सिंह व उनके सैनिकों ने गंगा नदी को पार करके जगदीशपुर की ओर कूच किया। वहाँ पर 23 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सैन्य दल को पराजित किया। लेकिन यहीं पर वे बुरी तरह घायल हो गये तथा 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया।

निर्भय योद्धा के रूप में उनकी वीर-गाथा पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। ब्रिटिश उस क्षेत्र में लम्बे समय तक स्वतंत्रता सेनानियों पर निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाये। कुंवर सिंह उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कई व्यक्तियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुदान दिया और तीर्थ स्थानों के रखरखाव के लिए भी अनुदान दिये। प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा ने कुंवर सिंह को ''राष्ट्रीय एकता का प्रतीक'' माना है।

प्रश्न-3. स्वामी सहजानन्द के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आन्दोलनों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर- ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों तथा अत्याचारों से बिहार के किसान भी शोषण के विरुद्ध जागरूक होकर एक मंच तैयार करने हेतु तत्पर थे। बिहार में किसानों की समस्याओं के समाधान एवं उन्हें संगठित करने के उद्देश्य से वर्ष 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा के नेतृत्वकर्ता श्रीकृष्ण सिंह एवं मो. जुबैर थे। इस आन्दोलन को प्रगतिशील एवं निर्णायक नेतृत्व स्वामी सहजानन्द के कुशल नेतृत्व में मिला।

स्वामी सहजानन्द का जन्म उत्तर प्रदेश में वर्ष 1889 में हुआ। वह भारतीय किसान आंदोलन के प्रणेता, पथ प्रदर्शक और अग्रणी जननायक थे। यद्यपि उनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने गणेश दत्त सिंह के साथ बिहार के भूमिहार लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विषय में अध्ययन किया और महसूस किया कि सामंतवादी रवैया अपनाने के कारण अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने गांधीजी के असहयोग आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना की। वर्ष 1928 में किसान सभा का गठन किया। नवम्बर, 1929 में उनके नेतृत्व में सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। वह इस सभा के अध्यक्ष बनाये गये तथा श्रीकृष्ण सचिव बनाये गये। सारे प्रांत में किसान आन्दोलन ने जोर पकड़ा।

स्वामी सहजानन्द ने महसूस किया कि जब तक किसानों के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना नहीं की जाती तब तक उन्हें वाजिब हक प्राप्त नहीं हो पायेगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1936 ई. में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। वह स्वयं प्रथम अध्यक्ष बने तथा एन.जी. रंगा को सचिव बनाया गया। उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह किसानों की मांगों को अपने राष्ट्रीय मांगों में शामिल करे। वह पंडित नेहरू का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकृष्ट कराने में सफल रहे। कांग्रेस एवं किसान सभा के मध्य समझौता हुआ और कांग्रेस ने अपनी मांगों में किसानों की मांगों को प्रमुखता दी।

वर्ष 1937 में बिहार में किसानों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी और श्रीकृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। स्वामी सहजानन्द ने किसानों की मांगों को मानने हेतु दबाव बनाना शुरू किया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो और किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ अधिक न हो।

स्वामी सहजानन्द के नेतृत्व में बिहार के अनेक हिस्सों में बकाश्त आंदोलन शुरू हुआ। स्वामी सहजानन्द स्वयं मार्क्सवादी विचारधारा की ओर झुकने लगे थे। उन्होंने साम्यवादियों के सहयोग से मजदूर एवं किसानों के संघर्ष को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने में विश्वास किया। कालान्तर में कांग्रेस एवं साम्यवादियों से मतभेद हो गये। किसानों की समस्या और समाधान ही उनके चिंतन एवं गतिविधियों का केन्द्र बना रहा। किसानों की समस्याओं पर विचार करने हेतु उन्होंने हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया।

किसान आन्दोलनों की प्रमुख मांग नहर शुल्क में कमी, मालगुजारी में कमी, भ्रष्टाचार एवं शोषण को समाप्त करना था। आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर जमींदार चिंतित हुए तथा इसके दमन के लिए सरकार पर दबाव डालने लगे। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 1932 में एक जमींदार समर्थक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गयी।

स्वामी सहजानन्द किसानों के निर्विवाद नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। इस आन्दोलन में उनके प्रमुख सहयोगी रामानन्द मिश्र, कार्यानंद शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, यदुनंदन शर्मा थे। इन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। बिहार में किसान सभा की लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई। इस संगठन को गाँवों के स्तर पर फैलाने में सहजानंद सरस्वती के साथ-साथ कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा का योगदान सराहनीय रहा। उन्होंने किसानों की समस्याओं को अनेक मंचों पर उठाने का प्रयास किया।

इस तरह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आन्दोलन को निर्णायक स्थिति में पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे किसानों को संगठित करने, संघर्षशील बनाने तथा किसानों की मांगों को कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल कराने में सफल रहे।

सहजानंद सरस्वती ने औपनिवेशिक शासन के साथ-साथ जमींदारी व्यवस्था का भी प्रबल विरोध किया तथा इस व्यवस्था से पीड़ित भारतीय जनता को मुक्ति दिलाने का निरंतर प्रयास किया।

प्रश्न-4. बिहार में पाल कला की प्रधान विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर- पाल शासकों का काल मात्र एक नवीन राजनीतिक शक्ति के उदय और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वरन् इस राजवंश की छत्रच्छाया में भारतीय संस्कृति और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ।

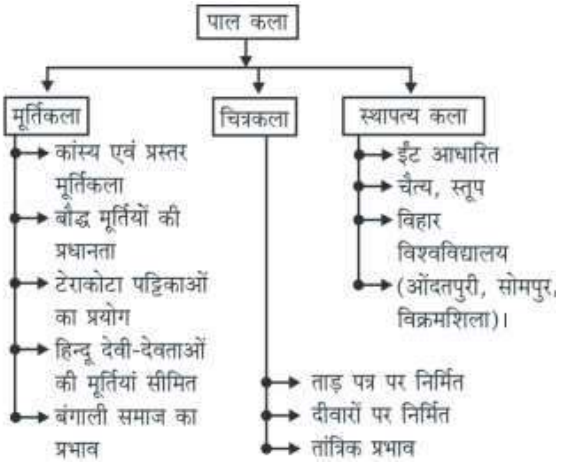

स्थापत्य कला

- पाल स्थापत्यकला के साक्ष्य सोमपुरी, ओदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं।
- पालकला में टेराकोटा, मूर्तिकला और चित्रकला को महत्व दिया गया था।
- पाल शासकों द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय एवं विहार प्रसिद्ध बौद्धिक केन्द्र हैं।
- इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है।
- पाल शासकों द्वारा बौद्ध स्तूपों का निर्माण गुम्बदाकार में किया गया है जिसे बंगला छत कहा जाता है।

पाल मूर्तिकला

- पालकालीन मूर्तिकला की विशिष्ट शैली के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं हिन्दू धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ।
- पालकालीन मूर्तियां कांस्य, प्रस्तर एवं टेराकोटा की बनी हैं।
- जैन तीर्थकरों की धातु मूर्तियां चौसा से प्राप्त हुई हैं।
- बुद्ध से संबंधित मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है।
- बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का स्वतंत्र रूप से मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना पाल मूर्तिकला की प्रमुख विशेषता है।
- बुद्ध की कुछ स्वतंत्र मूर्तियों में उन्हें विविध मुद्राओं में दिखाया गया है। पटना संग्रहालय में सुरक्षित भूमिस्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति के ललाट पर उर्जा का प्रदर्शन हुआ है।
- बोधिसत्व मूर्तियों में प्रतिमाशास्त्रीय परम्परा के निर्वाह के साथ ही उत्तम शिल्प का भी दर्शन होता है।
- पालयुगीन ब्राह्मण मूर्तियों के अंतर्गत विष्णु, शिव, सूर्य गणेश तथा देवियों की सुन्दर मूर्तियां प्राप्त होती हैं।

चित्रकला

- पालकालीन चित्रकला का दर्शन ताड़, पांडुलिपियों एवं दीवारों पर बने चित्रों में होता है।
- पालकालीन लघुचित्र एवं भित्तिचित्र प्राप्त हुए हैं।
- पालकालीन चित्रकला बौद्धग्रंथ प्रज्ञापरमिता, अष्टाहसत्रिका, पंचरक्षा में प्राप्त होता है।
- इन चित्रलिपियों पर तांत्रिक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं।
- इन चित्रलिपियों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं, महायान सम्प्रदाय के देवी-देवताओं तथा जातक कथाओं पर आधारित दृष्यों का अंकन प्राप्त होता है।
- इन चित्रलिपियों के निर्माण में प्राथमिक रंगों का व्यवहार किया गया है। तत्पश्चात उन पर हरे, भूरे, हल्के गुलाबी और बैंगनी रंगों से चित्रकारी की गई है।
- नालंदा से प्राप्त इन पांडुलिपियों के चित्रकारियों की विशिष्टता उनका उत्कृष्ट स्नायविक रेखांकन, इंद्रियासक्त लालित्य एवं रैखिक अलंकृत शैली है।
- पाल कालीन कला को 'मध्यकालीन कला की पूर्व शैली' कहा जाता है। इस कला का प्रभाव दक्षिण-पूर्व एशिया तक देखा जा सकता है। पाल कला सांस्कृतिक संगम और धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

SECTION-II

प्रश्न-5. जागतिकरण (Globalization) क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर- वैश्वीकरण एक जटिल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण के वर्तमान धारा का उदारीकरण और निजीकरण से अभिन्न संबंध है। यह पूँजी, श्रम, उत्पाद, प्रौद्योगिकी और सूचना के जरिए आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रों के बीच गठबंधन निर्माण के साथ ही उत्पन्न हो रही है। अलग-अलग विद्वानों ने वैश्वीकरण की अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं।

थॉमस फ्राइडमैन के अनुसार

वैश्वीकरण वास्तव में बाजारों, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी का एकीकरण है। पूर्व की सभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की भांति यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में घरेलू राजनीतियों, आर्थिक नीतियों तथा सभी देश के विदेशी संबंधों को स्वरूप प्रदान कर रहा है।

मॅलकोल्म वेटर्स के अनुसार

वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से विश्व अत्यधिक अंतर्सम्बंधित हो रहा है।

वैश्वीकरण का प्रभाव

समाज पर वैश्वीकरण का व्यापक और बहु-आयामी प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण की व्यापकता व्यक्तियों की निजी पसंद तक तेजी से पहुँच जाती है तथा उनके आर्थिक व राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित करती है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक सहयोग एवं सहकार का ढांचा भी तैयार कर देता है जिससे वे गैर-आर्थिक संमस्याएं जो सभी देशों के लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं।

1990 के दशक के आरम्भिक वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी नीतिगत परिवर्तन हुए थे। इस नए आर्थिक सुधार को उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकारण के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देना तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में उतारना था। अर्थव्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र में लगातार सुधार किए गये। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं।

- भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। वैश्वीकरण के दौर में कृषि क्षेत्र के सभी पक्षों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। जैसे-प्रौद्योगिकी विकास, विकसित उत्पादन तकनीक तथा गुणवत्ता आधारित अभिवृद्धि। अच्छे बीजों के विकास तथा उत्पादन के लिए अनेक नई कृषि प्रौद्योगिकियों को लागू किया गया। कृषि क्षेत्र में औद्योगिक विकास को भी वैश्वीकारण के कारण बढ़ावा मिला है।
- अनेक विदेशी कंपनियां भारत में अपने उद्योग स्थापित कर चुकी हैं, खासकर औषधि निर्माण के क्षेत्र में। इससे देश में बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिला है।
- नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के कारण अनेक प्रकार के काम मशीनों द्वारा होने लगे जिससे श्रमिकों व कर्मचारियों की मांग कम हो गयी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। औषधि उत्पादन के क्षेत्र में, रासायनिक, निर्माण और सीमेंट उद्योग में लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा।
- वैश्वीकारण ने विदेशी निवेशकों को घरेलू बाजार में निवेश करने के रास्ते भी खोल दिए। इससे प्रतिस्पर्द्धा और नवीनीकरण की प्रक्रिया और तेज हो गयी।
- वैश्वीकरण का भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव

- वैश्वीकरण के चलते बाजार अनेक प्रकार के उत्पादों से भरा पड़ा है जिसके चलते लोगों को अपनी पसंद के उत्पाद चुनने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो जाते हैं।
- निवेश का उन्मुक्त प्रवाह विकसित देशों से विकासशील देशों की तरफ हो रहा है। सीधे विदेशी निवेश के कारण विश्व व्यापार को तेजी से विकसित होने का खुला अवसर मिला है।
- सूचनाओं के तीव्र प्रवाह के चलते विश्व भर में एक दूसरे के यहाँ सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ा है।
- विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के चलते बौद्धिक प्रतिभाओं का विकास विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर हो रहा है।

नकारात्मक प्रभाव

- कम्पनियों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करवाने के कारण रोजगार संकट उत्पन्न हो गया है।
- वैश्विक स्तर पर काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से खतरा उत्पन्न हो जाता है कि कहीं ये कम्पनियाँ विश्व पर अपना आधिपत्य जमाकर दुनिया पर राज न करने लगें।
- कम वेतन पर काम करने के लिए विवश किया जा सकता है जिससे कर्मचारियों व श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा।
- लोगों के एक दूसरे से सम्पर्क बढ़ने पर वैश्विक पर्यटन में उछाल आयेगा और पर्यावरणीय चुनौतियों का खतरा बढ़ जायेगा।

इस प्रकार वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार का उदारीकरण हो जाता है निवेश और पूँजी का उन्मुक्त प्रवाह होने लगता है और वैश्विक स्तर पर तालमेल बिठाने के लिए देशों पर दबाव बनने लगता है। वैश्वीकारण ने विभिन्न देशों के बीच व्यावसायिक संबंधों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम कर दिया।

प्रश्न-6. हाल में भारत-अमेरिका संबंध में परिवर्तन आया? चर्चा करें।

उत्तर- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में न दोस्त हैं और न ही दुश्मन। दोनों देशों के बीच संबंधों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा गया है। 21वीं सदी में भारत-अमेरिका के बीच संबंध भू-राजनीतिक और वैश्विक रणनीतियों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ते संबंधों को 21वीं सदी की एक निर्णायक साझेदारी के रूप में देखा जा सकता है।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और नियम आधारित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने सहित साझा मूल्यों **पर** आधारित है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता तथा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में साझा हित है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है।

संयुक्त राष्ट्र, G-20, आसियान, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय संगठनों में दोनों देश मजबूत सहयोगी हैं। भारत और अमेरिका ने एक मुक्त तथा स्वतंत्र भारत-प्रशांत को बढ़ावा देने तथा उचित लाभ प्रदान करने के लिए जापान व आस्ट्रेलिया के साथ 'क्वाड' समूह का गठन किया है।

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून, 2023 के बीच अमेरिका विजिट पर गये थे। उनकी यह यात्रा कई मायनों में महत्त्वपूर्ण थी। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हरकतों के कारण इनके बीच और प्रगाढ़ता देखने को मिली। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में अपने आखिरी संबोधन में कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैम्पियन है, और दुनिया दो महान लोकतंत्र के संबंधों को मजबूत होते देख रही है।

मोदी का यह दौरा दोनों देशों के लिए अहम रहा। इस समझौते के द्वारा दोनों देश जटिल तकनीकों को सुरक्षित रखेंगे और आपस में साझा करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन गुजरात में अपना प्लांट लगाएगी। अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कई कम्पनियों के सीईओ के साथ भी बैठक की।

वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत और अमेरिका के संबंध काफी महत्त्वपूर्ण हो गये हैं। एशियाई राजनीति चीन की बढ़ती दखलंदाजी ने इनके बीच संबंध को सुधारने के लिए मजबूर कर दिया। आज का भारत 20वीं सदी के भारत से बिल्कुल अलग है। 20वीं सदी में जहाँ भारत गुटनिरपेक्ष व पंचशील सिद्धांतों को प्राथमिकता देता था वहीं आज भारत वैश्विक राजनीति में अपने विचारों को मजबूती से रख रहा है। हालांकि भारत अपनी पुरानी नीतियों से विमुख नहीं हुआ है।

प्रश्न-7. तहलका मामला भारतीय जीवन में भ्रष्टाचार का रूप उद्घाटित किया है। इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए?

43th BPSC I Paper Section-II

उत्तर– तहलका मामला वर्ष 2001 में रक्षा प्रतिष्ठानों और राजनीतिक हलकों में भ्रष्टाचार को उजागर करने से संबंधित था। इस मामले को 'ऑपरेशन वेस्ट एंड' कहा जाता है। 1990 के दशक के अंत में भारतीय रक्षा क्षेत्र उपकरणों की खरीद और हथियार सौदों को लेकर विवादों में घिर गया था। इसी संदर्भ में तहलका समाचार-पत्र ने खोजी पत्रकारिता की शुरुआत की और इससे ही 'स्टिंग ऑपरेशन का दौर शुरू हुआ।'

- ऑपरेशन वेस्ट एंड जनवरी, 2001 में समाचार पोर्टल तहलका द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसमें आरोपी ने सेना के लिए थर्मल इमेजर्स के आपूर्ति आर्डर के लिए एक काल्पनिक कंपनी ने कथित तौर पर रिश्वत ली थी। इस मामले में जया जेटली, गोपाल पचरेवाल और मेजर जनरल एस०पी० मुरगई को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया गया था।
- भारत सरकार देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामले को देखते हुए भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए कई स्तरों पर प्रयासरत है। सरकार 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता' के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए भ्रष्टाचार से निपटने और सरकारी संस्थानों की ईमानदारी और जवाबदेही में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं।

- भ्रष्टाचार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसे नियंत्रित करने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने के लिए विभिन्न कानून और नियम बनाए गए हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इन कानूनों का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाना है। तभी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है।

बिहार लोक सेवा आयोग
44वीं मुख्य परीक्षा, 2002
प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन)

SECTION-I

प्रश्न-1. ब्रिटिश शासनकाल में बिहार में पश्चिमी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक विवरण दीजिए।

उत्तर- ज्ञान-विज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की महत्ता प्राचीन काल में सर्वाधिक रही है। यहाँ के प्राचीन शैक्षणिक वातावरण के उत्कर्ष का अनुमान नालन्दा विक्रमशिला और मिथिला में स्थित सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों से लगाया जा सकता है। वर्तमान में बिहार शैक्षणिक दृष्टि से देश भर में निचले पायदान पर है।

अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात् उनके द्वारा अपनाई गई औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारी गिरावट दर्ज की गई। स्थायी बंदोबस्त तथा ऐसी ही व्यवस्थाओं के लागू होने के कारण राजाओं व जमींदारों की आय में गिरावट आई इसका सीधा प्रभाव उनके द्वारा शिक्षा के विकास में दी जा रही सहायता पर पड़ा।

- बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरम्भ 1835 में हुआ। मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई।
- 1835 ई. में पटना के साथ-साथ पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा में भी जिला स्कूल की स्थापना की गई।
- 1863 में देवघर, मोतिहारी, हजारीबाग तथा चाइबासा में भी जिला स्कूल स्थापित किए गये।
- 1854 में चार्ल्सवुड घोषणापत्र के आधार पर व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए बिहार में कई तकनीकी शिक्षण संस्थानों को स्थापित किया गया।
- 1863 में पटना, मुजफ्फरपुर, मुँगेर, राँची, हजारीबाग आदि नगरों में कालेज स्थापित किए गए।
- उच्च शिक्षा के लिए 1917 में पटना विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।
- वैज्ञानिक शिक्षा के विकास के लिए 1928 में पटना साइंस कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज (1925) तथा 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज खोला गया।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कालेज 1902 में बिहार के समस्तीपुर में अमेरिकी नागरिक हेनरी फिलिप्स के अनुदान से एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फार्म स्थापित किया गया।
- इस संस्थान का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना था।
- पशु विकास के क्षेत्र में सुधार के लिए 1930 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज स्थापित किया गया।
- खनिज संसाधनों के दोहन एवं अनुप्रयोग के लिए धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई।
- बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास में स्वयंसेवी संस्थाओं तथ प्रमुख समाज सेवियों एवं सुधारकों का भी विशेष योगदान रहा है।
- ब्रह्मसमाज सेवियों के प्रयास से पटना में राममोहन राय मिशनरी और आर्य समाज के सहयोग से बिहार के कई स्थानों पर डी.ए.वी. कालेज स्थापित किये गये।
- मुस्लिम समाज के लिए शिक्षण संस्थानों में मुजफ्फरपुर में 1872 में साइंटिफिक सोसायटी, पटना में मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल स्थापित किए गए।
- बिहार में आधुनिक शिक्षा का लाभ महिलाओं तक उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किया गया था।
- 1847 में पटना में सेंट जोसेफ स्कूल, 1867 में दो अन्य बालिका स्कूलों की स्थापना की गई थी।
- बांकीपुर तथा कटक में कन्याओं के लिए इंटरमीडिएट स्कूल की व्यवस्था की गई थी।
- 1929 में गठित हार्टोंग समिति ने भी बिहार में स्त्री शिक्षा के विकास के लिए सुझाव दिया था।

बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास ने नवीन विचारों एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहित किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा का विकास औपनिवेशिक हितों से परिचालित था, इसलिए बिहार को शैक्षणिक विकास का लाभ पूर्णरूप से नहीं प्राप्त हो सका। इसलिए आज भी बिहार शैक्षणिक दृष्टि से सभी राज्यों में निचले स्थान पर है।

प्रश्न-2. अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया।

उत्तर- बिरसा आन्दोलन को जनजातीय विद्रोहों में सबसे संगठित एवं विस्तृत माना जाता है। इसलिए इसे महान 'उल्गुलान' कहा जाता है। बिरसा आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुण्डा ने किया था। बिरसा मुण्डा ने इस आंदोलन को संगठित करने एवं संचालित करने के लिए अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व एवं धार्मिक प्रतीकों का सहारा लिया था।

छोटानागपुर क्षेत्र की मुण्डा जनजातियों द्वारा किया गया यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप का परिणाम था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भू-राजस्व व्यवस्था से मुंडाओं की पारंपरिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने लगी। जमींदारों, ठेकेदारों एवं जागीरदारों के लिए यह व्यवस्था लाभदायक सिद्ध होती गई। इनके शोषण के विरुद्ध मुंडाओं ने एक संगठित विद्रोह किया।

बिरसा मुण्डा 1894-95 तक अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीति समझ चुका था। उसने अंग्रेज अधिकारियों एवं पादरियों को एक ही तरह का माना था। उसने कहा कि दोनों भोली-भाली जनता को लूट रहे हैं। बिरसा ने अपने लोगों के शोषण का कारण उनकी अनेक प्रकार की रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से जकड़ा होने को माना था अतः उसने उन्हें जागरूक करने के लिए उनके शुद्धिकरण पर बल दिया। जिनके लिए धर्म का सहारा लेना पड़ा।

बिरसा मुण्डा ने मुण्डाओं को जागरूक करने के लिए प्रार्थना, पवित्रता एवं निष्ठा पर आधारित एक नया धर्म चलाया। इस संबंध में अनेक प्रकार की दंत कथाएँ प्रचलित हैं। उसने अपने को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त घोषित किया। बिरसा ने अपने आपकों 'भगवान का दूत' कहा तथा अपनी चमत्कारिक शक्तियों के बल पर अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया।

बिरसा मुण्डा इस धर्म के नेतृत्वकर्त्ता होने के नाते हजारों आदिवासियों का नेता बना गया और शीघ्र ही यह धार्मिक आंदोलन खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। बिरसा मुण्डा गाँव-गाँव घूमकर धार्मिक व राजनीतिक आधार पर आदिवासियों को एकजुट कर मुण्डा आन्दोलन को एक ससस्त्र व व्यापक संगठित आन्दोलन शुरू करने में सफल रहा।

बिरसा मुण्डा ने मुण्डा जनजाति के लोगों को धर्म के नाम पर संगठित किया क्योंकि आज भी धर्म के नाम पर लोगों को संगठित करना अपेक्षाकृत सहज है। उसने औपनिवेशिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक नीतियों के विरोध का आह्वान कर लोगों को संगठित करने में सफलता प्राप्त की यद्यपि यह आन्दोलन अपने लक्ष्य में असफल रहा तथापि इसने औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त चुनौती पेश किया। इससे जनजातियों में एकता व संगठन की प्रवृत्ति जागृत हुई।

प्रश्न-3. बिहार के संदर्भ में भारत छोड़ो आन्दोलन के स्वरूप तथा विस्तार का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर- भारत छोड़ो आंदोलन हो या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कोई भी लड़ाई, उसमें बिहार की प्रभावी व महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जब किया जा रहा था, उससे पूर्व ही बिहार में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी।

भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था। 31 जुलाई को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की बैठक बुलाकर कांग्रेसी कार्यक्रम को भावी संघर्ष के लिए तैयार रहने की बात की गई। आंदोलन शुरू होते ही 9 अगस्त, 1942 को कांग्रेस के अग्रणी नेता और बिहार के नेता गिरफ्तार कर लिए गए और यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया।

बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जय प्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू श्याम नंदन, कार्तिक प्रसाद इत्यादि क्रांतिकारी नेताओं के हाथों में था। बिहार के सभी जिलों में आंदोलन का प्रभाव दिखाई देता है। राजधानी पटना में आंदोलन उग्र स्थिति में पहुँच चुका था।

अंग्रेजों भारत छोड़ो के राष्ट्रीय आह्वान पर 11 अगस्त, 1942 को बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का एक समूह जुलूस निकालता हुआ सचिवालय की ओर बढ़ रहा था। इनका इरादा सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराना था। इसी समय पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. ऑर्थर ने निहत्थे छात्रों पर गोलियाँ चलवा दी थी। इस गोलीकांड में 25 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हुए और 7 छात्र शहीद हो गए। इस घटना के बाद भारत छोड़ो आंदोलन ने और भी उग्र रूप ले लिया।

9 नवंबर, 1942 को पुलिस की निष्क्रियता का लाभ उठाकर जय प्रकाश नारायण, रामानंदन मिश्र, योगेन्द्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि क्रांतिकारी नेता हजारीबाग जेल की दीवार फाँदकर भाग निकले। इन नेताओं ने सरकार की दमन कार्यवाइयों को देखते हुए गुप्त गतिविधियों का संचालन शुरू कर दिया।

बिहार की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पटना गोलीकांड के बाद आंदोलन उग्र हो गया था। जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों में अवरोध डालने का निर्णय लिया गया। इसके फलस्वरूप पूरे बिहार की रेल पटरियों को नुकसान पहुँचाया गया, तार तथा टेलीफोन लाइनों को काट दिया गया तथा डाकखानों, थानों इत्यादि की इमारतों को जला दिया गया।

भारत छोड़ो आंदोलन के निमित्त बिहार में कई गुप्त संस्थाओं का निर्माण हुआ। 'आजाद दस्ता' इनमें प्रमुख था। यह इस आंदोलन के दौरान स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना जय प्रकाश नारायण द्वारा नेपाल की तराई में किया गया था। इसमें सदस्यों को छापामार युद्ध एवं विदेशी शासन को अस्त-व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन में 'आजाद दस्ता' ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारत छोड़ो आंदोलन पूर्ववर्ती आंदोलनों की तुलना में स्वतः स्फूर्त एवं उग्र आंदोलन था। महात्मा गाँधी ने 'करो या मरो' का नारा दिया था। इसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें भारत को तुरंत आजाद करने की माँग की गयी थी। बिहार की जनता एवं क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

प्रश्न-4. मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए?

उत्तर- मौर्य कला का भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है, क्योंकि इसी समय कला के क्षेत्र में मिट्टी या लकड़ी के जगह पत्थर के प्रयोग से कला को स्थिरता एवं निरंतरता प्राप्त होती है। बिहार में कला की प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य मौर्यकाल से उपलब्ध होने लगते हैं।

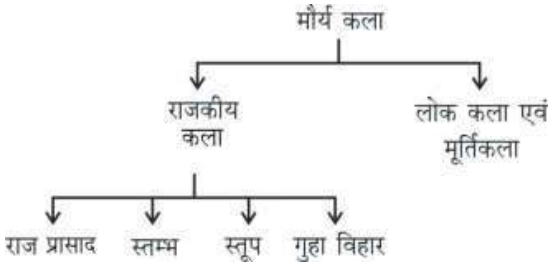

- **राज प्रासाद–**मौर्ययुगीन शासकों के राजप्रासाद अत्यन्त विशाल और भव्य होते थे। पाटलिपुत्र में स्थित चन्द्रगुप्त मौर्य के राजाप्रसाद के सम्बन्ध में एरियन ने कहा है कि चन्द्रगुप्त का राजप्रासाद एशिया के सूसा और एकवतना के भवनों से बड़ा था। यह राजप्रासाद पटना के समीप कुम्रहार नामक ग्राम के पास था। कुम्रहार में इस भवन के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे इसकी भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सभा भवन में अब तक 40 स्तम्भ मिले हैं इस भवन के फर्श व छत काष्ठ के बने थे। इस भवन का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ था तथा उन पर चमकदार पॉलिश की गई थी। फाह्यान ने इस राजप्रासाद के बारे में लिखा है कि ''यह प्रसाद मानव कृति नहीं है, वरन देवों द्वारा निर्मित है।''
- **स्तम्भ–**अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए बनवाये गए स्तम्भ काफी ऊँचे है। इसके शीर्ष पर पशुओं के आकार हैं, जिनके नीचे उल्टे हुए कमल के फूल के समान आसन भी हैं। इनके निर्माण में चुनार के धूसर बालू के पत्थर का उपयोग हुआ है। अशोक के एकाश्मक स्तंभ बिहार में चार स्थानों पर पाए गए हैं– लौरिया नंदनगढ़ (प. चंपारण) लौरिया- अरेराज (पूर्वी चंपारण), बसाढ़ (वैशाली), रामपूर्वा (प. चंपारण)
- **स्तूप–**महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को आठ भागों में बाँटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, जिसे स्तूप कहा जाता है। यह गोल आकृति के आधार पर स्थित पाषाण अथवा ईंटों के ठोस गुम्बद के आकार का होता है। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अफगानिस्तान और भारत में 84000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उसके द्वारा निर्मित स्तूपों को तक्षशिला, वैशाली, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रीनगर एवं मथुरा में देखा जा सकता है।
- **गुहा विहार–**मौर्य काल में वास्तुकला के अन्तर्गत एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव हुआ जिसका जन्मदाता अशोक था। अशोक ने भिक्षुओं के निवास के लिए पाषाणों को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया। जहानाबाद में स्थित बराबर की पहाड़ियों की गुफाएँ मौर्यकालीन स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण हैं। अशोक ने सुदामा गुफा आजीवक भिक्षुओं को दान में दिया। राजगीर स्थित सोन भंडार की गुफाएं भी इसी क्रम की उपलब्धि हैं। गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का प्रयोग इनकी विशिष्टता है गुफा का बाहर का मुखमंडप आयताकार है किंतु छत गोलाकार है।
- **लोक कला एवं मूर्तिकला–**मौर्य काल में मूर्तियाँ बनाने की कला अत्यन्त विकसित थी। इस काल में पशुओं की विभिन्न मूर्तियाँ बनी। पशु आकृतियों के अतिरिक्त मूर्तिकला की आरंभिक मिशालें पटना से प्राप्त यक्षों की दो मूर्तियाँ हैं। लोहानीपुर (पटना) से दो नग्न पुरुषों की मूर्तियाँ मिली हैं जो संभवतः जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ हैं। मूर्तिकला का अद्भुत नमूना पटना के दीदारगंज से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति है जिसे दीदारगंज यक्षी नाम दिया गया है। मटियाले भूरे रंग में बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति सीधी खड़ी हुई मुद्रा में है। इस उद्भुत कलाकृति पर भी मौर्य कालीन चमकीली पॉलिश का प्रयोग हुआ है।

मौर्यकालीन कला भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। मौर्य कला के अन्तर्गत काष्ठ के स्थान पर पाषाणों के प्रयोग ने कला को स्थायी रूप प्रदान किया। इस प्रकार भारतीय कला में मौर्यकालीन कला का महत्वपूर्ण स्थान है।

SECTION-II

प्रश्न-5. पश्चिम एशिया में शांति के विभिन्न प्रयासों के विभिन्न प्रयत्नों की विवेचना कीजिए एवं उनकी विफलता के कारणों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर– पश्चिम एशिया परंपरागत रूप से मेसोपोटामिया, नील नदी डेल्टा, ईरान, लेवेंट, अरब और अनातोलिया के निकटस्थ क्षेत्रों को दिया गया नाम है। वर्तमान में पश्चिम एशिया के अंतर्गत पश्चिम में मिस्र, तुर्की, साइप्रस से लेकर पूर्व में ईरान और फारस की खाड़ी तक तथा उत्तर में ईरान व तुर्की से लेकर दक्षिण में ओमान तथा यमन तक का क्षेत्र इसमें शामिल है।

- पश्चिमी एशिया का अधिकांश भाग 14वीं शताब्दी के बाद से ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। इस साम्राज्य में नस्ल, धर्म और संस्कृति में भिन्न बहुसांस्कृतिक आबादी निवास करती थी। शुरू में यह शांतिपूर्ण क्षेत्र था, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह स्थिति परिवर्तित हो गयी।

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण

फिलिस्तीन क्षेत्र में अरबों का निवास जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के नियंत्रण में था।

- यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का पवित्र शहर येरुशलम यहीं पर स्थित है। यहूदी फिलिस्तीन को अपना शहर मानते हैं, जहाँ से अतीत में उन्हें निर्वासित किया गया था।
- नाजियों के अधीन जर्मनी में संघर्ष अपने चरम पर पहुँच गया। अधिकांश यहूदियों को मार डाला गया और बचे हुए लोगों को जेल में डाल दिया गया।
- 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव पास करके फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। लेकिन अरबों ने इजराइल को एक वैध राज्य के रूप में स्वीकार नहीं किया और मातृभूमि छोड़ने से इंकार कर दिया।
- जब इजराइल की नीतियों में कड़वाहट बढ़ी तो अरबों को अपनी संपत्ति और मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अस्दैल नासिर ने अरबों को एकजुट करने की कोशिश की और इसलिए आक्रामक नीतियाँ अपनाई। पश्चिमी शक्तियों के सहयोग से इजराइल ने 1950 में मिस्र पर हमला कर दिया। हिंसा और जवाबी कार्यवाही के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र लगातार युद्ध और आतंकवादी हमलों की चपेट में रहा जिसके कारण यह क्षेत्र तनाव का केंद्र बन गया।
- यमन संकट 2011-12 में राष्ट्रपति अली अस्दुल्ला सालेह के तख्तापलट के साथ शुरू हुआ।
- सीरिया का गृहयुद्ध अरब स्प्रिंग की अशांति की व्यापक लहर के हिस्से के रूप शुरू हुआ। सीरिया में चल रहा संघर्ष 21वीं सदी का दूसरा सबसे घातक संघर्ष रहा।

पश्चिम एशिया में शांति के प्रयास

शांति के लिए किए गए प्रयासों में सबसे सफल ''ओस्लो'' प्रयास था, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुआ था।

- 28 जनवरी, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पश्चिमी एशिया शांति योजना का अनावरण किया गया। पश्चिमी एशिया शांति योजना में कहा गया कि अमेरिका कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजराइली बस्तियों को मान्यता देगा।
- इसके बदले में इजराइल, फिलिस्तीन राज्य के दर्जे पर बातचीत के दौरान नई गतिविधियों पर चार वर्ष की रोक को स्वीकार करने पर सहमत होगा। हालाँकि इजराइली सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन फिलिस्तीन के साथ इस पर समझौता नहीं हो सका।
- रूस ने सुझाव दिया था कि पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन मंत्री स्तर पर आयोजित किया जा सकता है।
- हाल ही में 10 मार्च को दो पश्चिमी एशियाई प्रतिद्वंद्वियों ईरान और सऊदी अरब के बीच चीन की मध्यस्थता वाला समझौता, सात साल की ठंडी दुश्मनी के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित किया गया।

प्रश्न-6. भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के प्रभावों की विवेचना कीजिए एवं उसके बाद की गयी सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण कीजिए।

उत्तर– 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला पाकिस्तान के नापाक मंसूबे का एक उदाहरण है। देश के शूरवीरों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस हमले को नाकाम कर दिया था। संसद पर हुए हमले को लगभग 23 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस हमले ने 45 मिनट में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी करके हिंदुस्तान को झकझोर दिया था।

- पाकिस्तान के समर्थन से 13 दिसंबर, 2001 को की गयी नापाक हरकत न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की तारीख में दर्ज एक काला अध्याय है। इस दिन संसद पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हालांकि हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो दिन बाद ही हमले के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को गिरफ्तार कर लिया। जिसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 9 फरवरी, 2013 को फाँसी पर लटका दिया गया।
- 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले ने अनेक प्रकार से प्रभावित किया।
- इस हमले के पश्चात लोगों में एक प्रकार से असुरक्षा की भावना भर गयी। लोगों को लगा कि जहाँ संसद नहीं सुरक्षित है, वहाँ आम जनता का क्या होगा।
- आतंकी हमले के पश्चात आर्थिक विकास प्रभावित हुआ, विदेशी इनवेस्टर्स भारत में सुरक्षा को लेकर इनवेस्ट करने से कतराने लगे। जिसके कारण शासकीय योजनाएँ भी प्रभावित हुई।
- 2001 के संसद हमले के पश्चात भारत में अघोषित युद्ध की स्थिति बन गयी।
- भारत में इस हमले ने एक विशेष वर्ग के विरुद्ध लोगों को खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। लोगों में विद्वेष की भावना भर गयी।
- भारत विश्व में आतंकवाद से प्रभावित देशों में से एक है। आजादी के बाद से ही भारत में छिट-पुट आतंकी घटनाएँ घटित होती रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2001 से 2018 के मध्य भारत में आतंकी हमलों के कारण लगभग 8000 से ज्यादा लोग मारे गए।
- 2002 में भारत सरकार द्वारा संसद में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए 'आतंक निवारण अधिनियम' (POTA) पारित किया गया।
- भारत में 26/11 हमले के पश्चात भारत सरकार द्वारा ने 'राष्ट्रीय जाँच एजेंसी' (NIA) का गठन किया गया था।

- भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड' का निर्माण किया। इसका उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को आपस में जोड़ना है, ताकि ये सुरक्षा एजेंसियाँ बेहतर सामंजस्य के साथ कार्य कर सकें।
- भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए 'राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड' नामक एक अर्द्ध-सैनिक बल का गठन भी किया है।
- इसके अतिरिक्त भारत 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी सदस्य है, जो मुख्य रूप से धन शोधन व आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने का कार्य करती है।
- आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन गया है। आतंकवाद की लड़ाई में भारत ने जिस प्रकार से सक्रियता दिखायी है, उसके बाद भी विश्व के अन्य देश जो आतंकवाद से प्रभावित हैं, उतने सक्रिय नहीं दिखे। पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद पर काबू पाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसमें अभी और कुछ किए जाने की संभावना है। तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी कई बार आतंकी गिरोह सुरक्षा बलों पर हमले कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। इनसे तत्काल निपटने की आवश्यकता है।

प्रश्न-7. विश्व व्यापार केन्द्र (WTC) पर हमले के बाद विश्व राजनीति में भारत की भूमिका।

उत्तर- 11 सितम्बर, 2001 को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में आतंकियों ने न्यूयार्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपना निशाना बनाया। इस भीषण हमले में लगभग तीन हजार लोगों की जानें गयी थी। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन अलकायदा ने ली थी। इस भीषण हमले को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिकी इतिहास का काला दिन कहा था।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के कुछ ही महीनों बाद भारत के संसद भवन पर एक भीषण हमला हुआ जिसने पूरे विश्व को चिंताग्रस्त कर दिया जो आतंकवादी विचारधारा के विरुद्ध थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और भारतीय संसद भवन पर हुए हमले ने विश्व राजनीति में भारत के दृष्टिकोण को बदल कर रख दिया। अब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मुखर होकर लड़ाई छेड़ दी जिससे विश्व की अन्य शक्तियों ने भी साथ देना शुरू कर दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में भारत के प्रयास

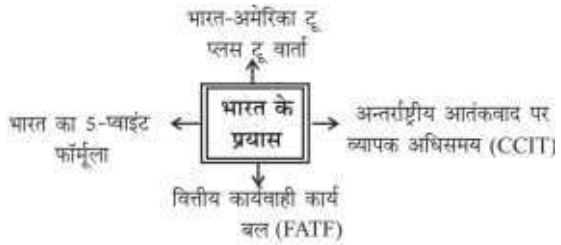

- भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों के प्रति वचनबद्ध है और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के प्रति 'जीरो टालरेंस' की नीति का लगातार समर्थन करता रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय द्वारा सभी आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाना तथा आतंकवादी शिविरों को बंद करना।
- वैश्विक स्तर पर सीमापार आतंकवाद को प्रत्यर्पण योग्य अपराध घोषित करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने 2018 में '5-प्वाइंट' फार्मूला प्रस्तुत किया। इन फार्मूलों के तहत समय पर क्रियाशील बुद्धिमत्ता का आदान-प्रदान आधुनिक संचार साधनों के दुरुपयोग को निजी क्षेत्र के सहयोग से रोकना, सीमा नियंत्रण, यात्रियों की आवाजाही की जानकारी साझा करना तथा वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए वास्तविक केन्द्र बिन्दु का पता लगाना।
- आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत व अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता के जरिए सहयोग के प्रयास बढ़ाने पर सहमति बनी है।
- दोनों देशों में संयुक्त राष्ट्र तथा एफ ए टी एफ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- एफ.ए.टी.एफ. के तहत आतंकवाद के लिए मिलने वाली मदद पर रोक लगाने का प्रयास किया गया।
- 11 सितम्बर, 2001 को आतंकवाद का जो चेहरा देखने को मिला वह अत्यन्त भयावह था। यह हमला कितना भीषण था, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्विन टॉवर के ध्वस्त होने के बाद जो आग लगी थी उसे बुझाने में लगभग 100 दिन लग गये थे। हालांकि वर्तमान में आतंकवाद पर कुछ अंकुश लगा है। लेकिन फिर भी इसे और कठोर कानूनों के माध्यम से नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है।

प्रश्न-8. वर्तमान संदर्भ में भारत और अफगानिस्तान के राजनैतिक सम्बंधों की विवेचना कीजिए।

उत्तर- भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के पड़ोस में स्थित दो प्रमुख एशियाई देश हैं। 7वीं सदी तक अफगानिस्तान वृहत्तर भारत का एक भाग था, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य प्राचीन काल से गहरे संबंध रहे हैं। भारत के लिए अफगानिस्तान का महत्त्व न सिर्फ भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक निकटता की वजह से है बल्कि वर्तमान दौर से आतंकवाद के उभार ने भी अफगानिस्तान को भारत के लिए अतिमहत्त्वपूर्ण बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के सामरिक हितों को सुरक्षित रखने हेतु भी अफगानिस्तान काफी महत्त्वपूर्ण है।

भारत-अफगानिस्तान के बीच संबंधों के प्रमुख बिंदु

- भारत-अफगानिस्तान के मध्य सैंधव काल से ही व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध हैं।
- डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है इसे 1893 में अफगानिस्तान और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बीच खींची गयी थी
- सोवियत हस्तक्षेप (1979-89) के दौरान अफगानिस्तान के सोवियत समर्थित लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता प्रदान करने वाला एक मात्र दक्षिण-एशियाई देश भारत था।
- 1990 के दशक में भारत तालिबान-विरोधी उत्तरी गठबंधन के प्रमुख समर्थकों में से एक बन गया।
- भारत ने सार्क में अफगानिस्तान की सदस्यता का प्रस्ताव 2005 में दिया।
- दोनों देशों के मध्य वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित सामरिक साझेदारी समझौते के माध्यम से भारत-अफगानिस्तान संबंधों में मजबूती आई है।
- जब अफगानिस्तान 2015 में तीन तरह के सामरिक, राजनीतिक, सुरक्षा एवं आर्थिक संक्रमणों से गुजर रहा था। तब भारत ने अफगानिस्तान की सुरक्षा एवं विकास के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता व्यक्त करके भविष्य के संबंध में इसके डर को समाप्त किया था।

राजनीतिक संबंध

- भारत-अफगानिस्तान के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने में भू-राजनीतिक अनिवार्यताओं का विशेष महत्त्व है क्योंकि अफगानिस्तान, भारत और मध्य एशिया के मध्य अवस्थित है।
- अफगानिस्तान एशिया के चौराहे पर स्थित होने के कारण रणनीतिक महत्त्व रखता है क्योंकि यह भारत को मध्य एशिया और मध्य एशिया को पश्चिम एशिया से जोड़ता है।
- भारत का संपर्क ईरान-अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के माध्यम से ही होता है। इसलिए अफगानिस्तान भारत के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
- भारत अपने राजनीतिक संबंधों के कारण अफगानिस्तान में लोकतंत्र का प्रबल समर्थक रहा है और स्थिर शांतिपूर्ण एवं समृद्ध अफगानिस्तान का समर्थन करता रहा है।

चुनौतियां

- भारत-अफगानिस्तान के संबंध में अनेक प्रकार की चुनौतियां विद्यमान हैं।

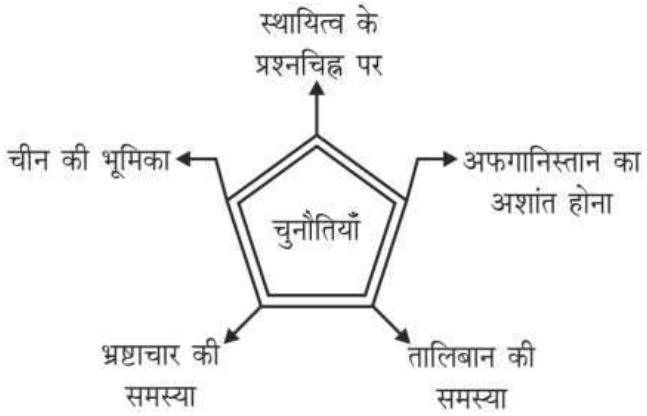

- वर्तमान स्थिति भारत व अफगानिस्तान के संबंधों को कमजोर करती दिख रही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ अफगानिस्तान पर अगस्त, 2021 में तालिबान का कब्जा हो गया वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो आतंकवादियों की जन्म भूमि बन चुका है तथा इस मुद्दे पर आग में घी डालने का काम चीन द्वारा किया जा रहा है। आये दिन पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत को परेशान करता रहता है।

  हालांकि अफगानिस्तान में भारत द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों को लेकर तालिबान ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी कि भारत द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आयेगी क्योंकि दशकों से युद्ध का शिकार अफगान समाज को पुनरुद्धार की अधिक आवश्यकता है।

  इस प्रकार भारत को दक्षिण एशियाई परिदृश्य में अपनी 'सॉफ्टपावर' की नीति को और अत्यधिक विस्तारित करने की आवश्यकता है। भारत के पास एक अवसर है क्योंकि कहीं न कहीं यह माना जा सकता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आई. एस. आई. एस. की वृद्धि और जोखिम को नियंत्रित करने में वह भारत की मदद करेगा।

बिहार लोक सेवा आयोग
45वीं मुख्य परीक्षा, 2002
प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन)

SECTION-I

प्रश्न-1. बिहार के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ब्रिटिश शासन काल के दौरान क्या परिवर्तन हुए।

उत्तर- अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक मान्यताएं थीं। भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य के बाद निर्मित आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास न होकर ब्रिटिश आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यस्था के स्वरूप को बदल डाला। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से सामाजिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आया।

ब्रिटिश शासनकाल में बिहार सहित सम्पूर्ण भारत की सामाजिक-आर्थिक दशा परिवर्तित हुई। अंग्रेजों का मूल उद्देश्य भारतीय धन संपदा का अनियंत्रित दोहन करना था। भारतीय कृषि, सहित अर्थव्यवस्था की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में परिवर्तन कर देश के समक्ष आर्थिक एवं सामाजिक संकट उत्पन्न कर दिये गये।

सामाजिक परिवर्तन

- बिहार में जातिगत बंधन प्राचीन काल से ही मजबूत रहा है। अंग्रेजों की विभेदकारी नीतियों ने इस जातिगत बंधन को शिथिल किया और विभिन्न जातियों के मध्य द्वेष की भावना उत्पन्न कर दी। इससे जातियों ने अपने-अपने जातिगत संगठनों का निर्माण किया।
- ब्रिटिशकालीन भूराजस्व नीति ने जमींदार, भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक, पूंजीपति तथा मध्यमवर्ग जैसे वर्गों को उत्पन्न किया।
- ब्रिटिश कालीन पाश्चात्य शिक्षा ने समाज के बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग एवं अशिक्षित जनसमुदाय में विभेद उत्पन्न किया। यद्यपि पाश्चात्य शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रवाद का उदय रहा है।
- पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त लोगों ने समाज सुधार पर बल दिया और एक नवीन सामाजिक, धार्मिक सुधार आंदोलन चला।
- ब्रिटिश शासन की 'फूट डालो और राज करो' नीति ने न केवल जातिगत विभेद उत्पन्न किया बल्कि धार्मिक विभेद एवं वैमनस्यता का बीजारोपण किया। इसने साम्प्रदायिकता को जन्म दिया।
- पाश्चात्य प्रभाव से भारतीयों की परंपरागत खान-पान एवं रहन-सहन के ढंग में भी परिवर्तन हुआ।

आर्थिक परिवर्तन

- ब्रिटिश कालीन भूराजस्व प्रणाली ने बिहार की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया।
- बिहार में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई, जिसमें जमीदारों को भूमि का मालिक माना गया और परंपरागत रैयत केवल कृषि मजदूर बन गए। इन्हें प्रतिवर्ष उच्च लगान देनी पड़ती थी।

- इस स्थायी बंदोबस्त ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता, गरीबी, भुखमरी, महाजनी ऋणजाल, गुलामी जैसी बुराइयाँ समाज पर थोप दीं।
- बिहार एक कृषि प्रधान राज्य था। लेकिन नवीन भू-राजस्व प्रणाली ने कृषि को गतिहीन कर दिया।
- ब्रिटिश आर्थिक हितों के अनुरूप बिहार के हस्तशिल्प, कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया गया।
- कृषि का व्यावसायीकरण कर दिया गया इसमें अंग्रेज अपनी आवश्यकताओं एवं शर्तों के तहत नील, चाय, अफीम, जूट जैसी फसलों का उत्पादन कराने लगे। परिणाम स्वरूप गरीबी, भुखमरी और अकाल जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
- बिहार में अंग्रेजी नीतियों के अनुकूल सीमित औद्योगिक विकास किया गया।

ब्रिटिश नीतियां ब्रिटिश हितों के अनुरूप तैयार की जाती थीं। इसलिए इसका सर्वाधिक लाभ अंग्रेजी शासन को प्राप्त हुआ। भारत सहित बिहार में इसका सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

प्रश्न 2- संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। व्याख्या कीजिए।

उत्तर- आदिवासियों के विद्रोहों में संथाल विद्रोह सबसे आक्रामक व जबरदस्त था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन-ए-कोह संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। संथाल लोगों ने गैर-आदिवासी लोगों को इस क्षेत्र से बाहर निकालने और उनकी सत्ता को पूर्णतः समाप्त करने के लिए संगठित विद्रोह की शुरुआत जुलाई 1855 में किया था।

संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम व्यापक ससस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह का केन्द्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा किये जाने वाला शोषण व अत्याचार था।

संथाल विद्रोह एक संगठित विद्रोह था। इनके नेतृत्वकर्त्ताओं ने पुरुषों एवं महिलाओं को संघर्ष करने के लिए तैयार किया। इनकी सेना लगभग 60 हजार तक हो चुकी थी। विद्रोहियों ने महाजनों और जमीदारों पर हमला बोला, उनके मकान जला डाले, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकखानों को जला दिया। इन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के शोषण के प्रतीक सभी स्थानों व माध्यमों पर हमला किया।

संथाल आदिवासियों के संगठित विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना का सहारा लिया गया। एक मेजर जनरल के नेतृत्व में 10 टुकड़ियाँ भेजी गई थीं। उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया और विद्रोही नेताओं को पकड़ने पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

संथाल विद्रोह का दमन बड़ी क्रूरता से किया गया। इस आन्दोलन के संगठित स्वरूप के कारण इसमें जनशक्ति व सामूहिक भावना विद्यमान थी। संथाल विद्रोहियों की संख्या 60 हजार के पार पहुँच गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सुनियोजित सत्ता से टकराना था। संथाल विद्रोह की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगना की स्थापना की और संथालियों का अपनी भूमि, अपना शासन और अपने क्षेत्र का सपना सरकार हुआ।

प्रश्न-3. सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर- गाँधी जी की 11 सूत्री मांग को इरविन द्वारा अस्वीकार किये जाने के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया जाना सुनिश्चित हुआ। 12 मार्च, 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती से दाण्डी तक की यात्रा की तथा 6 अप्रैल,1930 को नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह की शुरुआत की।

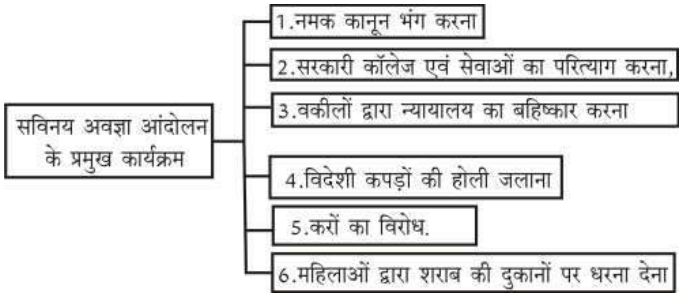

बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई जिसकी रूपरेखा राजेन्द्र प्रसाद ने तैयार की थी। बिहार में समुद्र तट की अनुपस्थिति के कारण अनेक स्थानों पर नमकीन मिट्टी को खौलाकर नमक बनाया गया।

बिहार में सविनय अवज्ञा के प्रमुख केंद्र चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर,पटना और शाहाबाद थे। मुजफ्फरपुर में इसका नेतृत्व राम दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद तथा ठाकुर रामानंदन सिंह, पटना में अंबिका कांत सिंह दरभंगा में सत्यनारायण सिंह तथा छपरा और सिवान में रामरक्षत ब्रह्मचारी ने किया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्व में हुए आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक था। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की। इसमें महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों और व्यापारियों ने भाग लिया जिससे कांग्रेस को अखिल भारतीय पहचान प्राप्त हुई। शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों और निरक्षरों द्वारा इस आंदोलन को जो समर्थन दिया गया, वह उल्लेखनीय था।

सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर सहित बिहार में भी उल्लेखनीय रही थी। इस आंदोलन के जरिये महिलाओं ने जनजीवन में अपना स्थान बनाया। जनवरी 1929ई0 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन सम्पन्न हुआ जिसमें बिहार की महिलाओं की मुलाकात देश के अन्य भागों से आई महिलाओं से हुई जिससे बिहार की महिलाओं में जागरूकता आई।

बिहार में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सफल बनाने का श्रेय बिहार की राष्ट्रवादी महिलाओं को जाता है। इनमें श्रीमती हसन इमाम, विंध्यवासिनी देवी, सरस्वती देवी, रामप्यारी देवी, रामस्वरूप देवी, चंद्रावती देवी ने प्रमुख भूमिका निभाई।

बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सामाजिक आधार बहुत विस्तृत था। इस आंदोलन में बुद्धिजीवी वर्ग ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मुस्लिम समुदाय की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा अधिक थी। वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया और आंदोलन में शामिल हुए। बिहार के छात्रों ने भी इस आंदोलन की सफलता में उल्लेखनीय योगदान दिया। महिलाओं एवं व्यापारिक वर्गों का जबरदस्त सहयोग मिला। चौकीदारी कर न देने का आंदोलन किसानों के सहयोग से सफल रहा।

ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के क्रम में किए गए आंदोलनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार के विभिन्न वर्गों ने इसमें प्रभावी भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार के क्रूर दमन चक्र के बावजूद जन भागीदारी की दृष्टि से यह आंदोलन अद्वितीय रहा है।

प्रश्न-4. पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

उत्तर- औरंगजेब के शासनकाल में कला की उपेक्षा की गयी। राजाश्रय के अभाव में चित्रकार यत्र-तत्र प्रस्थान कर अपने जीविकोपार्जन की तलाश में जुटने लगे। सन 1790 में चित्रकारों का एक दल मुर्शिदाबाद से बिहार के विभिन्न जिलों में आकर बस गए। इन्हीं में से चित्रकारों का एक दल पटना में बसा। इसी दल के चित्रकारों ने पटना कलम शैली को जन्म दिया।

पटना कलम शैली को कम्पनी शैली भी कहा जाता है। क्योंकि इन चित्रों को कम्पनी के अधिकारियों द्वारा बनवाया जाता था। पटना कला शैली पर मुगल कला तथा ब्रिटिश शैली दोनों का प्रभाव पड़ा था।

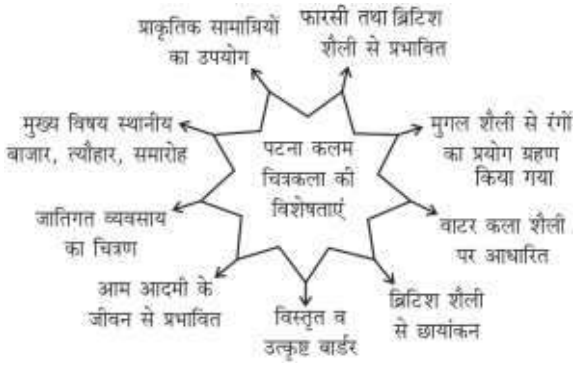

- पटना कलम के अंतर्गत कागज एवं हाथीदांत, का प्रयोग किया जाता था।
- यह चित्रकला शैली मुगल एवं ब्रिटिश शैली से प्रभावित थी।
- यह वाटर शैली पर आधारित थी जो बाद में इंडो-ब्रिटिश शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई।
- इसे पुरुषों की चित्रकला शैली कहा जाता है।
- इस चित्रकला शैली में प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल रंगों को तैयार करने में किया जाता था जैसे-काशगरी मिट्टी, सीप, रामरस, सिंदूर, गेरू, कालिख।

- चित्रों में सोने का भी प्रयोग किया जाता था। रंगों को तैयार करने में गोंद भी मिलाया जाता था।
- इस चित्रकला शैली के चित्रों की विषयवस्तु आम आदमी के दैनिक जीवन से प्रभावित था।
- चित्रकला के मुख्य विषय स्थानीय त्यौहार, समारोह, बाजार के दृश्य और घरेलू गतिविधियां थीं।
- इसमें बार्डर काफी उत्कृष्ट एवं विस्तृत रूप से सजाए गए होते थे।
- पटना कलम के चित्र बाजार और मूल्य आधारित थे।

पटना कलम शैली को पुरुषों की चित्रकला शैली कहा जाता है। लालचंद्र एंव गोपाल चंद्र इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इस शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। पटना कलम के चित्रों ने ही भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा दी और स्वतंत्रा चित्रकाल की शुरुआत हुई, चित्रकला को राजकीय संरक्षण के दासत्व से मुक्ति मिली। फलस्वरूप स्वतंत्र चित्रकारिता ने स्वदेशी और राष्ट्रीयता की भावना को न केवल पोषित किया बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाई।

SECTION-II

प्रश्न-5. अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की विवेचना कीजिए। और इसका आतंकवाद को मदद करने वाले देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है, समझाइये।

उत्तर- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आतंकवाद की एक सहमति पूर्व व्यापक परिभाषा नहीं बनाई गई है। 1970 और 1980 के दशक के दौरान इस शब्द को परिभाषित करने के संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर प्रयास विफल रहे।

''आतंकवाद एक आपराधिक कृत्य है जो राज्य के खिलाफ किया जाता है और इसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना है। यह स्थिति कुछ व्यक्तियों, समूहों या आम जनता की भी हो सकती है'' – संयुक्त राष्ट्र संघ

एफ.बी.आई. के अनुसार

- ''आतंकवाद राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में किसी सरकार, नागरिक आबादी या उसके किसी भी वर्ग को डराने या मजबूर करने के लिए बल या व्यक्तियों या संपत्ति के खिलाफ हिंसा का गैर-कानूनी उपयोग है। ''

आतंकवाद के कारण

आतंकवाद का समाधान (Solution of Stopping Terrorism)

(1) यथार्थवादी समाधान (Realist Solution)

- 11 सितम्बर, 2001 के बाद अमेरिकी विदेश नीति में यथार्थवादी नीति अपनाते हुए 'आतंक के विरुद्ध युद्ध' का नारा दिया गया। अमेरिकी विदेश नीति में आतंकवाद के अलावा घातक नरसंहार के हथियारों को भी सीमित करने का प्रयत्न किया गया।

यथार्थवादी समाधान की आलोचना

- उदारवादियों के अनुसार, आतंकवाद के समाधान हेतु राज्यों के बीच परस्पर सहयोग आवश्यक है। इनके अनुसार आतंकवाद को फैलाने में गैर-राष्ट्रीय कर्ताओं की भूमिका मुख्य है।

आतंकवाद के विरुद्ध समाधान हेतु व्यवहारिक उपाय

- वर्ष 2014 में यूएनओ द्वारा प्रस्ताव-1576 पारित किया गया जिसमें आतंकवादी गतिविधियों को घोर आपराधिक कृत्य माना गया।

(1) आतंकवादियों को प्राप्त वित्तीय स्रोतों को पूर्णतः समाप्त करना।

(2) नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध।

(3) आतंकियों के प्रशिक्षण अड्डों को समाप्त करना।

(4) राज्यों के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान।

- संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यालय (UNOST) दुनिया भर में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रयासों का नेतृत्व और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।
- UNOCT के तहत UN Counter Terrorism सेंटर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करता है और सदस्य देशों को वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीतिक को व्यवहार में लाने में सहायता करता है।
- Drugs and Crime पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) आतंकवाद रोकथाम शाखा (TPA) वैश्विक प्रयासों में एक प्रमुख खिलाड़ी है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्यवाई कार्य बल (FATF) द्वारा स्थापित किए गए हैं जो इन अवैध कार्यों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकने के लक्ष्य के साथ धन शोधन (Money Laundering) और आतंकवाद फंडिंग की निगरानी करता है।

आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त प्रयास समय की मांग है, सभ्य समाज में आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले आतंकवाद समूह एवं उनको आर्थिक व अन्य संसाधन उपलब्ध कराने वालों को विरुद्ध सख्त कार्यवाई की जरूरत है।

FATF ने अभी (2022) हाल में पाकिस्तान को अपने 'ग्रे-लिस्ट' से बाहर निकाला है, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी की जरूरत महसूस होती रही है।

प्रश्न-6. भारत की नवीन विनिवेश योजना क्या है तथा यह भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य में किस तरह प्रभावित करेगी? विवेचना कीजिए।

उत्तर- विनिवेश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक उपक्रमों से अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र या सामान्य जनता को बेचती है। जिसके निम्न कारण हो सकते हैं–

1. आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के अंग रूप में।

2. सार्वजनिक उपक्रमों के सुधार के लिए।

3. बजटीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

1951 में पारित अधिनियम में सरकार को यह अधिकार मिला है कि वह देश की जरूरत के अनुसार व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है।

- 1953 में 9 एयरलाइन्स का राष्ट्रीयकरण किया (एयर इंडिया, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, एयरवेज, भारत एयर वेज, डेक्कन एयर वेज, हिमालियन एवियशन, कलिंग एयरलाईंस, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर इंडिया इंटरनेशनल) इन्हें दो सार्वजनिक उपक्रम इंडियन-एयरलाइंस तथा एयर इंडिया एयरलाइंस के अधीन कर दिया गया।
- 1956 में जीवन बीमा निगम अधिनियम के माध्यम से 154 भारतीय बीमाकर्ताओं, 16 गैर भारतीय बीमा कर्ताओं 75 प्रोविडेड समितियों को भारतीय जीवन बीमा निगम में राष्ट्रीयकरण किया गया।
- 1972 में सामान्य बीमा अधिनियम के माध्यम से 55 भारतीय तथा 52 विदेशी कम्पनियों की सामान्य बीमा व्यवसाय के अधीन राष्ट्रीयकरण किया।
- 1969 में 14 तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- 1971-75 कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण।

सी. रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर 1991 में विनिवेश कार्यक्रम की शुरुआत की जो प्रायः सांकेतिक विनिर्माण था। जिसमें सरकार प्रायः 5%-10% हिस्सा ही बेचती है। विनिवेश मंत्रालय को 2004 में (UPA) पुनः विनिवेश विभाग बना दिया जो वित्त मंत्रालय के अधीन होगा। 14 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया।

2016 से सरकार ने रणनीतिक विनिवेश की योजना बनायी। जिसमें सरकारी उपक्रमों को दो भागों में बाँटा गया।

(1) सामरिक

(2) गैर-सामरिक

- 1999 में घोषणा की गयी कि गैर सामरिक उद्योगों में अपनी हिस्सेदारी 26% या उससे कम कर देगी।
- सामरिक उपक्रम (रेलवे, परमाणु ऊर्जा, अस्त्र-शस्त्र) में सरकार अधिकांश हिस्सा बचाकर रखेगी तथा बड़ा भाग राजनीतिक साझेदार को बेचेगी। जो उस क्षेत्र में अनुभवी एवं विशेषता रखता है।

2016 में घोषित नीति के अनुसार

- मंत्रियों/विभागों एवं नीति आयोग के बीच परामर्श के माध्यम से विनिवेश किया जायेगा।
- नीति आयोग विनिवेश योग्य PSU की पहचान करेगा तथा इसके पक्षों पर सलाह देगा।
- CGD (विनिवेश पर सचिवों का समूह) नीति आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखेगा ताकि CCEA (आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति) के लिए फैसला लेना सरल हो सके।

आत्मनिर्भर भारत के लिए न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (PSE) नीति 4 फरवरी 2021 को अधिसूचित की गयी। जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उपक्रमों को सामरिक, गैर रणनीतिक, क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया।

सामरिक क्षेत्र

(1) परमाणु उर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा।

(2) परिवहन एवं दूर संचार

(3) बिजली, पेट्रोलियम, कोयला अन्य खनिज।

(4) बैंकिंग बीमा एवं वित्तीय सेवाएँ।

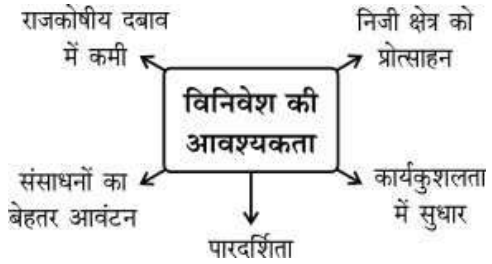

सरकार सभी क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी कम करेगी तथा विनिवेश से प्राप्त धनराशि सामरिक क्षेत्र एवं विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों में लगायेगी। 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना हुई, जो 2001 में पूर्ण मंत्रालय बना गया। इस सरकार के कार्यकाल में सार्वजनिक क्षेत्र की 12 कम्पनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेची गयी। जिसमें मारुति उद्योग, हिन्दुस्तान जिंक, भारत एल्युमिनियम, विदेश संचार निगम लिमटेड शामिल हैं।

2004-2014 तक UPA सरकार के कार्यकाल में विनिवेश प्रक्रिया सुस्त रही। 2014 में पुनः सरकार के कार्यकाल में विनिवेश ने जोर् पकड़ा। 2014 के बाद हिन्दुस्तान कारपोरेशन लिमटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमटेड, DCIL, USCC, NPCC, THDC और नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री के साथ IRCTC हुडको की कोचीन शिपयार्ड लिमटेड, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन, रेलटेल आदि सार्वजनिक उपक्रमों को शेयर बाजार में सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किया गया है।

केन्द्रीय बजट 2023-24 में सरकार द्वारा 51,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विनिवेश भारत में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख उपकरण है। यह राजस्व सृजन, सार्वजनिक उद्यमों की दक्षता में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहयोगी है।

प्रश्न-7. सर्वोच्च न्यायालय एवं निर्वाचन आयोग के चुनाव-सुधार सम्बन्धी हाल के निर्णयों की व्याख्या कीजिये। ये किस तरह भविष्य में भारतीय राजनीति को प्रभावित करेंगे समझाइये।

उत्तर- एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिए सबसे अच्छे नागरिकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में चुना जाय। इससे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती है। जो सरकारात्मक वोट पर चुनाव जीतते हैं। एक जीवंत लोकतंत्र में मतदाता को चुनने का या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिए जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करें।

चुनाव सुधार की जरूरत

- राजनीति के जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतहीन सम्भावनाओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन है।
- चुनाव आयोग के सामने एक सुखद चुनौती है अब अधिक से अधिक महिलाएँ मतदान के लिए आगे आ रही हैं।
- पिछले चुनाव में महिलाओं ने कुछ मतदान केन्द्रों का प्रबंधन किया था। इस बार आयोग की योजना महिलाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे पोलिंग बूथ बनाना है जिनका प्रबंधन सिर्फ महिला अधिकारियों के हाथों में हो। इन्हें पिंक बूथ नाम दिया गया।
- अब चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार की तेजी से बदलती शैली से जूझना होगा।

सरकार, न्यायालयों और चुनाव आयोग द्वारा किये गये प्रयास–

सन् 2000 से पहले के सुधार

(1) मतदान की आयु कम हुयी

- संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गयी।
- चुनाव आयोग में लगे कर्मचारी, कर्मचारी को चुनाव की अवधि के दौरान आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा।
- इस अवधि में ये कर्मी चुनावी आयोग के नियंत्रण में रहेंगे।
- नामांकन पत्रों को लेकर प्रस्तावकों की संख्या में 10 फीसदी का इजाफा किया गया।

(2) EVM का प्रचलन में आना

- EVM का लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष सटीक और पारदर्शी बनाना है जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके।
- राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 का अपमान करने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना।
- राष्ट्रीय पद के चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावकों की संख्या को 50 किया गया।
- EVM का पहला व्यापक उपयोग 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनाव में किया गया था।

सन् 2000 के बाद का चुनाव सुधार

एक्जिट पोल पर प्रतिबंध

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान शुरू होने के आधा घण्टे पहले और मतदान खत्म होने के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में चुनाव के दौरान एक्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर दो वर्ष तक के कैद, या जुर्माना या दोनों का भागी होगा।

चुनावी खर्च पर सीलिंग

- लोकसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख रुपये कर दिया गया वहीं छोटे राज्यों में यह सीमा 28 लाख रुपये तक है।

जागरूकता और प्रसार

- युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार करने हेतु भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। यह सिलसिला 2011 में शुरू हुआ।
- 20000 रुपये से अधिक राजनीतिक चन्दे की चुनाव आयोग को जानकारी देना।

नोटा (NOTA)

- 27 सितम्बर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने नोटा की शुरुआत करने का निर्देश दिया ताकि मतदाता सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के अधिकार का प्रयोग कर सके। लेकिन नोटा का चुनाव परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ता।
- 2013 से 2016 के बीच विभिन्न राज्यों के संघीय चुनाव में नोटा के तहत औसत 2% वोट पड़े।

मतदान सूची में आनलाइन नामांकन

- वर्ष 2013 में, मतदान सूची में नामांकन के लिए ऑनलाइन फाइलिंग के लिए एक प्रावधान किया गया था।

सिद्धदोषी सांसदों एवं विधायकों की तत्काल अयोग्यता प्रभावी

- 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अभियोग पत्रित सांसद और विधायक अपराध के लिए दोषी सिद्ध होने पर अपील के लिए तीन माह का नोटिस दिए जाने के बिना ही संसद या विधान सभा की सदस्यता के तत्काल प्रभाव से अयोग्य हो जायेंगे।

कारपोरेट अंशदानों के कैप हटा

- बजट 2017 में किसी कम्पनी के पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 7.5 प्रतिशत तक अंशदान की सीमा समाप्त कर दी गयी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब कोई कम्पनी किसी दल को कितनी भी धनराशि दान के रूप में दे सकती है।

विदेशी वित्त पोषण/फंडिंग की अनुमति

- वर्ष 2018 में राजनीतिक दलों को विदेशी स्रोतों से चंदा/अंशदान प्राप्त करने की अनुमति दी गयी है। अर्थात राजनीतिक दल अब विदेशी कम्पनियों से चंदा प्राप्त कर सकते हैं। उसी अनुरूप विदेशी अंशदान अधिनियम, 2010 में संशोधन कर दिया गया है, इस संशोधन के तहत विदेशी कम्पनी की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है।

शुचिता पूर्ण चुनावों के संचालन एवं राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है ऐसे में महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू करना बहुत जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टचार और आपाराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके।

प्रश्न-8. 'जी-8' देशों की हाल के बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों की विवेचना कीजिए। ये निर्णय किस तरह अफ्रीकी देशों की आर्थिक विकास की मदद में सहायक होंगे?

उत्तर- जी-8 एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच (फोरम) है। इस मंच की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में समूह-6 के नाम से विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर की थी, इसमें शामिल राष्ट्र थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1976 में कनाडा को शामिल कर लिया गया और मंच का नाम बदलकर समूह-7 कर दिया गया। 1997 में रूस शामिल हो गया और मंच का नाम समूह-8 हो गया। समूह-8 के अन्तर्गत सदस्य यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। प्रत्येक वर्ष इस बैठक की मेजबानी का दायित्व सदस्य राष्ट्रों में इस क्रम में घूमता है; फ्रांस, यूएसए, यूके, रूस, जर्मनी, जापान, इटली, और कनाडा।

साल 2014 में जब रूस ने काला सागर प्रायद्वीप में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तब समस्त देशों में रूस को लेकर मतभेद होने लगा जिसके तहत रूस को इस संगठन में से हटा दिया गया। अब यह संगठन जी-7 के रूप में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है।

मुख्य निर्णय

- अफ्रीका के विकास के लिए नयी भागीदारी (NEPAD) के जवाब में और समर्थन में एक शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता शामिल थी; संस्थाओं और शासन को मजबूत करना व्यापार आर्थिक और सतत् विकास को बढ़ावा देना, ऋण राहत को लागू करना, ज्ञान का विस्तार स्वास्थ्य में सुधार और एच.आई.वी/एड्स का सामना करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और जल संसाधन प्रबंधन में सुधार करना।

नागरिकों की प्रतिक्रियाएँ और अधिकारियों की प्रतिक्रियाएँ

- पिछला शिखर सम्मेलन, जेनेवा, इटली में 27वां जी-8 शिखर सम्मेलन, बड़े वैश्वीकरण विरोध और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कभी-कभी हिंसक प्रदर्शन चल रहा था। जेनेवा के विपरीत, शिखर सम्मेलन के दौरान पास के अधिकांश क्षेत्र को जनता के लिए बंद कर दिया गया था और प्रदर्शनकारियों को दूर रखा गया था। मुख्यतः कैलगरी के विरोध शांतिपूर्ण था जिसमें रेजिंग ग्रेनीज सहित समूहों ने भाग लिया।

बिहार लोक सेवा आयोग

45वीं मुख्य परीक्षा, 2005

प्रश्न पत्र-प्रथम (सामान्य अध्ययन)

SECTION-I

प्रश्न-1. बंगाल से अलग होने एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए।

उत्तर- मुगल काल में बिहार एक अलग सूबा था। जो मुगल सत्ता की समाप्ति के बाद बिहार, बंगाल के नवाब के अधीन चला गया। बिहार की प्रशासनिक पहचान के लोप की प्रक्रिया 1765 से शुरू हुई जब इसकी दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी को सौंप दी गई। इसके बाद बिहार की प्रशासनिक पहचान समाप्त हो गई। बिहार की पहचान बंगाली अस्मिता के तले दबती चली गई।

बिहारी बुद्धिजीवियों ने बिहार को एक अलग प्रांत बनाए जाने की मांग उठानी शुरू की। इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। बिहारी हित की बात करने वाला प्रमुख अखबार 'द बिहार हेराल्ड' था। बिहार के अलग प्रांत के गठन की चेतना 19वीं सदी के अंतिम दशकों में तीव्र हुई। इस चेतना के वाहकों में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, नंदकिशोर लाल, रायबहादुर और कृष्ण सहाय आदि थे।

1905 में लार्ड कर्जन ने बंगाल को पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया तब सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण के नेतृत्व में बिहार के बुद्धिजीवियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और 1906 में ''पार्टिशन ऑफ बंगाल और लिबरेशन ऑफ बिहार'' नाम से लेख प्रकाशित किया।

सन 1906 में पटना कॉलेज के प्रांगण में शर्फुद्दीन के सभापतित्व में पहले बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन सम्पन्न हुआ जिससे पृथक बिहार आंदोलन को बल मिला। 1906 में 'बिहार टाइम्स' का नाम बदलकर 'बिहारी' कर दिया गया। अप्रैल 1906 में अली इमाम की अध्यक्षता में संपन्न बिहारी प्रादेशिक सम्मेलन में बिहार को अलग प्रांत घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में जार्ज पंचम के आगमन पर आयोजित केन्द्रीय विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम और मोहम्मद अली ने पृथक प्रांत के रूप में बिहार के मुद्दे को उठाया। अंततः 12 दिसंबर 1911 का दिन मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि इसी दिन भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक होकर बिहार अस्तित्व में आया।

22 मार्च, 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ, जिसमें भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, पटना, तिरहुत एवं छोटानागपुर को शामिल किया गया। इसकी राजधानी पटना बनी। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ।

आगे चलकर 1 अप्रैल, 1936 को ओडिशा प्रमंडल को बिहार से अलग कर ओडिशा प्रांत गठित हुआ। शेष क्षेत्र बिहार राज्य में शामिल रहे। 1956 में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। बिहार राज्य का अंतिम विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ, जब बिहार से झारखंड को अलग करके उसे देश का 28वां राज्य बनाया गया। जो आज बिहार की वर्तमान भौगोलिक स्थिति मौजूद है। वर्तमान बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी. है तथा इसमें कुल 38 जिले शामिल हैं।

प्रश्न-2. बिहार के जन-आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वास्तविक जनांदोलन का स्वरूप भारतीय राजनीति में गांधी जी के आगमन के बाद प्राप्त हुआ। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में नवीन तकनीकों का समावेश किया। इसमें सत्याग्रह, स्वदेशी, बहिष्कार, सत्य, अहिंसा जैसे तत्व प्रमुख थे। इन तत्वों के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में परिणत हुआ। इसमें किसान, मजदूर, युवा, वृद्ध व महिलाएं भी अपने आप को सक्षम पाती थीं।

बिहार के जन आंदोलन भी गांधी जी के दिशा-निर्देशों से ही संचालित होते थे। गांधी जी का अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश क्षेत्रीय राजनीति के माध्यम से ही हुआ है। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण में ही किया गया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह से किसानों को गोरों के अत्याचार से मुक्ति मिली और गांधी जी की लोकप्रियता देश भर में प्रमाणित हुई।

- गाँधी जी के सत्याग्रह का सफल प्रयोग सर्वप्रथम चम्पारण सत्याग्रह के दौरान किया गया। गाँधी जी ने इस सत्याग्रह के सहारे किसानों को जन-आन्दोलन का हिस्सा बनाया। बिहार सहित भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए कुल जनसंख्या के दो-तिहाई किसान हैं।
- गाँधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर आंदोलन शुरू किया। यह अहिंसा पर आधारित आंदोलन महिलाओं के अनुकूल था बिहार की महिलाएँ भी अन्य महिलाओं के समान आंदोलन का हिस्सा बनी। इससे जनांदोलन का आधार मजबूत हुआ।
- गाँधी जी ने बिहार में ही सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की, इसलिए बिहार की धरती देश भर में आंदोलन की धरती बनी। आगे चलकर गाँधी जी के सभी आंदोलन में बिहार की प्रभावी भूमिका रही।
- गाँधी जी सर्वोदय के हिमायती थे। उन्होंने बिहार की जनता का सब प्रकार से विकास को प्रेरित किया। उन्होंने स्वावलंबन, अस्पृश्यता उन्मूलन, साम्प्रदायिक सद्भाव, जातिगत विभेद जैसी समस्याओं को दूर कर बिहार को एक सक्षम राज्य बनाने में सहयोग दिया।
- गाँधी जी ने बिहार के कई दौरे किए। 1925 व 1927 में गाँधी जी की बिहार यात्रा ने मुस्लिम एकता, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों के विकास को प्रोत्साहित किया।
- गाँधी जी से प्रेरित होकर बिहार के कई नेता राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल हुए। इनमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जय प्रकाश नारायण, जे.बी. कृपलानी जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल थे।
- गाँधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर बिहार की धरती ने देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने में प्रभावी भूमिका निभाई थी। गाँधी जी ने स्वयं कहा था कि ''बिहार की जनता ने आंदोलनों के दौरान सत्याग्रह एवं अहिंसा के सिद्धान्तों का जिस प्रकार पालन किया, वह उल्लेखनीय एवं सराहनीय है।

प्रश्न-3. आधुनिक बिहार में शिक्षा और प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए एवं स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका बताइए।

उत्तर- प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केन्द्र के रूप में विख्यात रहा है। इस काल में बिहार में नालंदा, ओदंतपुरी तथा विक्रमशिला शिक्षा के प्रमुख केन्द्र रहे हैं। ब्रिटिश शासन काल में बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर बिहार के बुद्धिजीवियों ने प्रेस का विकास किया। बिहार में शिक्षा एवं प्रेस के विकास ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभावी भूमिका निभाई।

देश में आधुनिक शिक्षा के विकास में 1813 के चार्टर अधिनियम का विशेष महत्व है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भारत में शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपये का खर्च करने का अधिकार दिया गया। बिहार में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ मैकाले प्रस्ताव (1835) के आधार पर हुआ। 1835 में पटना, पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा आदि जिलों में जिला स्कूल स्थापित किए गए।

1863 में देवघर, मोतिहारी, हजारीबाग, चाईबासा में भी जिला स्कूल स्थापित किए गए। सन् 1854 में चार्ल्सवुड की सिफारिश के आधार पर जनवरी 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वुड डिस्पैच में व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर बिहार में भी अनेक कॉलेजों की स्थापना की गई। जनवरी 1853 में पटना कालेज की स्थापना की गई। बिहार में उच्च शिक्षा के विकास में पटना विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पटना में साइंस कॉलेज, मेडिकल कालेज, वेटरिनरी कॉलेज स्थापित किए गए। धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई।

बिहार में पत्रकारिता का राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके माध्यम से राष्ट्रवादी भारतीयों ने प्रगतिशील विचारों का भारतीय जनमानस के बीच प्रचार-प्रसार किया तथा अखिल भारतीय स्तर पर भी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया।